

- वर्ष 27 • अंक 2-3
- जनवरी-जून 2015



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल



सदस्य



Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

| | | |
|--|---|----|
| ● संपादक मंडल | | 1 |
| ● संपादकीय | | 2 |
| ● अनुचिंतन | | 4 |
| ● भाषण | | |
| नए भारत का नया बैंकिंग परिदृश्य | एस एस मूंदड़ा | 6 |
| ● लेख | | |
| बैंकिंग उद्योग और महिला सशक्तीकरण | अभिनव श्रीवास्तव | 13 |
| कोच की भूमिका में प्रबंधक | विजय प्रकाश श्रीवास्तव | 18 |
| सरकार की विकासोन्मुख प्रधानमंत्री जन-धन योजना और उसका प्रभाव | ¹ डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह ² वैभव सिंह | 22 |
| सरकारी बैंकों के एकीकरण की प्रासंगिकता | सतीश कुमार सिंह | 25 |
| बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस | डॉ. जयकरण हीरेकर | 28 |
| बदलते परिदृश्य में प्रबंधकीय नेतृत्व की अवधारणा | के.आर. चौहान | 33 |
| बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन | ¹ एन.एस. गोपाल रत्नम ² प्रशांत रामटेके | 38 |
| खातेदार की मृत्यु पर खाते का संचालन व निपटारा | ए.के. बंसल | 43 |
| शैडो बैंकिंग - एक वास्तविकता | ध्रुव मुखर्जी | 46 |
| व्हिसल-ब्लोवर नीति | रवि गुप्ता | 52 |
| समूह कृषि वित्त | रावेला वेंकटेश्वर राव हिंदी अनुवाद - डॉ. जयकरण हीरेकर | 55 |
| ● लेखकों से/पाठकों से | | 62 |
| ● रेग्युलेटर की नज़र से | डॉ. रमाकांत गुप्ता | 63 |
| ● इतिहास के पन्नों से | डॉ. मीनू मंजरी | 65 |
| ● घूमता आईना | के.सी. मालपानी | 69 |

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

डॉ. अनिल चन्द्र
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

डॉ. ए.आर. जोशी
परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

श्री जनमेजय पट्टनायक
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

डॉ. जवाहर कर्णावत
सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्रीमती सुषमा फडणीस
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051

श्री ब्रिज राज

उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

श्री राकेश चन्द्र नारायण

उप महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव

संकाय सदस्य एवं मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया प्रबंध विकास संस्थान
सीबीडी बेलापुर, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री के.सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी 9, 2 री मंजिल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
के लिए संपादित और प्रकाशित तथा इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....



प्रिय पाठको,

हम बार-बार विद्वज्जनों से बैंकिंग पर लेख लिखवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आप उन्हें पढ़कर बोर नहीं होते अपितु और भी पढ़ने की इच्छा प्रकट करते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर अंक में आपको कुछ नया दें। किसी भी प्रॉडक्ट को बेचने के लिए उसमें नवीनता लाते रहना नितांत आवश्यक है। तभी तो लाइफबाय के बाद नया लाइफबाय जैसा प्रॉडक्ट लांच किया जाता है। प्रॉडक्ट में नहीं, तो कम से कम उसके नाम में ही नवीनता हो। पर पत्रिका का प्रकाशन बहुत कठिन कार्य है - क्योंकि इसमें नाम को तो बदला नहीं जा सकता, उसकी विषयवस्तु में ही नवीनता लानी पड़ती है।

इस अंक की तो शुरुआत ही हम **नए भारत का नया बैंकिंग परिदृश्य** से कर रहे हैं - आदरणीय उप गवर्नर श्री मूंदड़ा जी का यह व्याख्यान सचमुच नवीनता से ओतप्रोत है और इसका अनुवाद भी ऐसा किया गया है कि वह अनुवाद जैसा न लगकर मूल लेख जैसा लग रहा है। उप गवर्नर महोदय ने अगले एक दो दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बैंकिंग सेक्टर की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पाठक अवश्य पसंद करेंगे और इससे बैंकिंग के बारे में उनकी समझ में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी।

सरकारी बैंकों का एकीकरण और प्रधानमंत्री जन-धन योजना भी ऐसे ही नवीन विषय हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए क्रमशः श्री सतीश कुमार सिंह का लेख “सरकारी बैंकों के एकीकरण की प्रासंगिकता” और डॉ. नरेंद्र पाल सिंह एवं श्री वैभव सिंह का लेख “सरकार की विकासोन्मुख प्रधानमंत्री जन-धन योजना और उसका प्रभाव” अवश्य पढ़ें। इस अंक से हम **रेग्युलेटर की नज़र से** नामक एक नया स्तम्भ भी शुरू कर रहे हैं और “इतिहास के पन्नों से” में आप रू-ब-रू होंगे एक नई लेखिका से। इस तरह से कुल मिलाकर यह अंक नवीनता से परिपूर्ण है।

बैंकों में आपदा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसे ध्यान में रखते हुए श्री एन.एस. गोपाल रत्नम एवं श्री प्रशांत रामटेके का लेख “बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन” शामिल किया गया है। खातेदार की मृत्यु होने पर खाते के संचालन व निपटारे की समस्या का समाधान सभी जानना चाहते हैं और इस बारे में हमारा ज्ञानवर्धन किया है हमारे नियमित लेखक श्री विनय बंसल जी ने।

बैंकिंग में बदलाव आने के साथ ही प्रबंधन की चुनौतियाँ भी नई होंगी। अतः प्रबंधन संबंधी दो लेख -

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव का लेख “कोच की भूमिका में प्रबंधक” और श्री के.आर. चौहान का लेख “बदलते परिदृश्य में प्रबंधकीय नेतृत्व की अवधारणा” - शामिल किए गए हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में कृषि और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और इनकी जानकारी श्री रावेल्हा वेंकटेश्वर राव एवं श्री अभिनव श्रीवास्तव के लेखों में मिलेगी। दो नए विषयों शैडो बैंकिंग एवं व्हिसल ब्लोवर नीति पर भी इस अंक में लेख शामिल किए गये हैं।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इस बार हमारे विभाग की सहायक प्रबंधक डॉ. मीनू मंजरी ने “इतिहास के पन्नों से” में आपका परिचय कराया है बैंकिंग के क्षेत्र में योगदान देने के साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के प्रति समर्पित बैंक “इण्डियन ओवरसीज़ बैंक” से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - पत्रिका की संपादकीय समिति के तकनीकी सलाहकार श्री के.सी. मालपानी ने अपने लेख ‘घूमता आईना’ में।

अनुचिंतन

जहां तक भाषा का प्रश्न है, इस बारे में पहले कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। सितंबर का महीना इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी माह की 10 से 12 तारीख तक भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति, प्रशासन, विज्ञान, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय आदि विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा और हमें आशा करनी चाहिए कि उससे कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकलेंगे। हिंदी भाषा के बारे में कुछ और लिखने से पहले हम उक्त सम्मेलन के निर्णयों का इंतजार करेंगे।

महाकवि भारवि ने लिखा है “वसंति हि प्रेमिणि गुणा न वस्तुषु।” अर्थात् गुण या आकर्षण वस्तु में नहीं अपितु प्रेमियों के हृदय में होता है। पर जहां तक पत्रिकाओं का सवाल है पत्रिका गुणवत्तापूर्ण होगी तभी वह पाठकों के हृदय में स्थान बना पाएगी। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं से ही पता चलेगा कि यह अंक आपके हृदय में स्थान बना पाने में कहां तक सफल रहा है। पिछले अंक के बारे में आपने जो प्रतिक्रियाएँ दीं उन्हें पढ़कर हम अभिभूत हो गए। हम ऐसे सभी उत्साहवर्धक पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in और/अथवा anilchandra@rbi.org.in नामक ईमेल पतों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।



(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

महाप्रबंधक

अ | नु | चि | त | न

अक्तूबर-दिसंबर 2014 विशेषांक मिला। अत्यंत रुचिकर और ज्ञानवर्धक सामग्री है। शासकीय उपक्रम की पत्रिका होते हुए भी, गत 6-7 वर्षों में मैंने कहीं कोई पूफ की त्रुटि नहीं देखी। कई लेखक अंग्रेजी में लिखते होंगे, किंतु उनका हिंदी अनुवाद भी दोषरहित रहता है। यह बड़े महत्त्व की बात है। इसके प्रकाशन, मुद्रण से जुड़े सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सजधज, मुखपृष्ठ आकर्षक है। मेरी बधाइयां।

● **ज्वाला प्रसाद मिश्र**
इन्दौर

बैंक तथा आर्थिक धारणाओं पर केंद्रित पत्रिका हिंदी माध्यम के जरिये उपयुक्त जानकारी प्रकाशित करना आपके साहित्यिक एवं समाज के बीच सशक्त संवाद को प्रदर्शित करता है। समसामयिक चेतना की द्वंद्व-धर्मी पत्रिका राष्ट्रीय विकास, उन्नति के लिए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपका संपादकीय बैंकिंग इतिहास को दोहराते हुए महत्त्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराता है। श्रीमान विनय बंसल का आलेख 'भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : चुनौतियां एवं भावी परिदृश्य' तथा श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव का 'नई पीढ़ी की अपेक्षाएं और बैंकिंग कैरियर' आज की नई प्रणाली व जोखिम पर प्रभाव डालती है। पत्रिका समाज के आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को प्रकट करती है। उत्कृष्ट संपादन हेतु मनपूर्वक शुभेच्छा।

● **प्रा. डॉ. प्रकाश वि. जीवने**
नागपुर

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का अक्तूबर-दिसंबर 2014 अंक प्राप्त हुआ। 'बैंकिंग कल, आज और कल' विशेषांक में बैंक की विकासात्मक गतिविधियों के साथ अतीत और वर्तमान का परिदृश्य रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा चुनौतियों को उजागर किया गया है। इस अंक के सभी लेख सारगर्भित, सामयिक और सराहनीय हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास में बैंकों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिसकी ज्वलंत तस्वीर बैंकिंग चिंतन-अनुचितन के माध्यम से शहरों-गावों और घर-घर तक

पहुंचती है। बैंकिंग चिंतन-अनुचितन के संपादक एवं लेखकों को हार्दिक बधाई।

● **डॉ. भागचन्द्र जैन**
रायपुर

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का अक्तूबर-दिसंबर 2014 का बैंकिंग कल, आज और कल विशेषांक पाकर बड़ा अच्छा लगा। मुद्रा के सभी रूपों के चित्रों से सज्जित एवम् लेनदेन के विविध रूपों को प्रदर्शित करता मुखपृष्ठ बड़ा आकर्षक है। प्राचीन काल से अब तक के बैंकिंग व्यवसाय के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले लेख 'राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग उद्योग', 'प्राचीन भारत में बैंकिंग' एवं 'बैंकिंग : अतीत एवं वर्तमान' ज्ञानवर्धक हैं। लेख 'पारंपरिक बैंकिंग बनाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग' बैंकिंग के बदलते स्वरूप एवं कार्यपद्धति की जानकारी देता है। अन्य सभी लेख महत्त्वपूर्ण एवं पठनीय हैं। 'इतिहास के पन्नों से' के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अतीत से अब तक की आत्मकथात्मक जानकारी बहुत रोचक है। घूमता आईना के अंतर्गत दी गई जानकारी, कि एक व दो रूपये मूल्य के नोट फिर प्रचलन में होंगे, बड़ी सुखद है। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए प्रबंध संपादक एवं सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं।

● **विष्णू वर्मा**
फैजाबाद

मैंने बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का अक्तूबर-दिसंबर 2014 अंक पढ़ा जिसमें कि संपूर्ण सामग्री विशेष रूप से अत्यंत ही उपयोगी रही। फिर भी 'नई पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंक - कुछ चिन्तन', 'राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग उद्योग', 'बैंकिंग - अतीत एवं वर्तमान', 'आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था और कॉरपोरेट गवर्नेंस' एवं 'केंद्रीय बैंकिंग : तब और अब' लेख अत्यंत ही अच्छे रहे जिससे कि सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ।

● **योगेन्द्र दत्त शर्मा**
बुलन्दशहर

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का अक्तूबर-दिसंबर 2014 (अंक 1 वर्ष 27) अंक जो कि वर्ष 2014 का विशेषांक है, सहर्ष प्राप्त हुआ। प्रस्तुत विशेषांक में बैंकिंग उद्योग के प्रारंभ से आज तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चरणबद्ध वर्णन पढ़कर बैंकिंग के गौरवमयी उत्कर्ष से रू-ब-रू होकर प्रतीत होता है कि बैंकिंग का भावी परिदृश्य भी कल्पनातीत होगा क्योंकि बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों और इक्कीसवीं सदी के डेढ़ दशक में तो बैंकिंग में चमत्कारिक परिवर्तनों से व्याप्त क्रांतिमय माहौल विद्यमान हो गया। प्राचीनकाल में श्रेष्ठियों, रोहिलों, पुश्तैनी महाजनों का वित्तीय पोषण का परंपरागत धंधा रहा और वर्तमान घड़ी में आई.टी. के युग में व्यवसाय संवर्धन (बैंकिंग का) चरम सीमा पर है। बैंकिंग के प्रगति/उत्कर्ष की यशोगाथा से ओतप्रोत यह अंक पढ़ने के लिए अनूठा एवं खास है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की महत्ता बखूबी समझाई गई है व सविस्तृत वर्णन किया हुआ है। पत्रिका में पारंपरिक बैंक स्कंध में विजय प्रकाश श्रीवास्तव और अभिनव श्रीवास्तव के लेख पठनीय हैं। विनय बंसल का लेख भी समसामयिक तथा ज्ञानवर्धक है। संक्षेप में अंक के कुशल संपादनार्थ

संपादक मंडल को ढेर सारी हार्दिक बधाईयों के साथ अगले अंक की प्रतीक्षा में।

● **ह.सा. अग्रवाल**
अकोला, विदर्भ

बैंकिंग कल, आज और कल का यह विशेषांक हमें बैंकिंग जगत के इतिहास और वर्तमान से रू-ब-रू कराती है। बदलते समय के साथ बैंकिंग उद्योग समय के साथ ताल से ताल मिलाते हुए मजबूती से खड़ा है और दिन प्रतिदिन इसमें नई टेक्नलॉजी जुड़ती जा रही है। यह पत्रिका हमें इन सब बातों से अवगत कराती है। संपादकीय काफी ज्ञानवर्धक है। 'इतिहास के पन्नों से' में सावित्री सिंह जी का प्रस्तुतीकरण रोचक है। के.सी. मालपानी जी का घूमता आईना हमें बैंकिंग जगत में हो रही वर्तमान हलचलों से अवगत कराता है। इस तरह का अनूठा विशेषांक निकालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग एवं समस्त लेखकों को एक बार पुनः साधुवाद।

● **श्री सुनील कुमार गुप्ता**
पंचकूला

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फॉर्म IV

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | प्रकाशन का स्थान | : | मुंबई |
| 2. | प्रकाशन की अवधि | : | तिमाही |
| 3. | संपादक, प्रकाशक का नाम | : | डॉ. रमाकांत गुप्ता |
| | राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| | पत्ता | : | भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी 9, 2 री मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 |
| 4. | उन व्यक्तियों के नाम और पत्ते जो इस पत्रिका के मालिक हैं | : | भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 |

मै, डॉ. रमाकांत गुप्ता, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक : 31 मार्च 2015

ह./-
डॉ. रमाकांत गुप्ता
प्रकाशक

नए भारत का नया बैंकिंग परिदृश्य*

- श्री एस एस मूंदड़ा

भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई बैंक लि. की प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती चंदा कोचर, एक्सिस बैंक लि. की प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा, एचडीएफसी बैंक लि. के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य पुरी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत तथा दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक श्री सुनील कौशल तथा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ सदस्यगण, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, देवियो और सज्जनो।

2. सर्वप्रथम, मैं तमाल तथा मिंट प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मिंट की इस वार्षिक बैंकिंग सभा में प्रमुख व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम बैंकरों के कैलेंडर में सबसे अधिक प्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। मैं इस कार्यक्रम में पिछली बार जनवरी 2014 में एक पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुआ था और उस वर्ष पैनल परिचर्चा का विषय था “भारतीय बैंकिंग : एक नया बैंकिंग परिदृश्य” जिसे इस बार और विस्तार प्रदान करते हुए “नए भारत का नया बैंकिंग परिदृश्य” कर दिया गया है।

3. जब मैं इस सभा की विषयवस्तु के बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में बार-बार यह ख्याल आ रहा था कि भारत के बारे में नया क्या है? क्या यह नई राजनीतिक व्यवस्था और उसके बाद होने वाले नीतिगत परिवर्तन हैं? क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास का नया नेता होने का लेबल है? क्या यह अधिक

वित्तीय समावेशित भारत है जैसा कि सोचा जा रहा है या यह एक ‘डिजिटल’ या ‘सबसे जुड़ा हुआ’ भारत है जो कि नया है। मेरे विचार से यह इन सभी का मिश्रण और उससे भी कहीं अधिक है। हम सभी जानते हैं कि विश्व के किसी भी देश में एक दीर्घकालीन आर्थिक विकास हेतु राजनीतिक स्थिरता सबसे पहली जरूरी शर्त है तथा एक निर्णायक जनादेश के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार महत्वपूर्ण विकास समर्थक सुधारों को प्रारम्भ करने में सक्षम होती है।

नए भारत की रूपरेखा के परिचायक

4. नए भारत की रूपरेखा के परिचायक क्या हैं? वे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अगले दस या बीस वर्षों के दौरान बने रहेंगे? मेरे विचार से, सात ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। वे हैं -

- जनसांख्यिकी,
- शहरीकरण,
- डिजिटाइजेशन,
- औद्योगीकरण,
- शिक्षा,
- समावेशन, तथा
- वैश्विक एकीकरण।

मैं इनमें से कुछ पर विस्तार से बात करना चाहूंगा तथा आगे चलकर बैंकिंग प्रणाली पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी हम गहन चर्चा करेंगे।

* मिंट द्वारा आयोजित वार्षिक बैंकिंग सभा, 2015 में श्री एस एस मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 जनवरी 2015 को ‘नए भारत का नया बैंकिंग परिदृश्य’ पर दिया गया प्रमुख व्याख्यान।

● इसका हिंदी रूपांतरण श्री नरेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक ने तैयार किया है।

जनसांख्यिकी

5. इस समय भारत के पास उपलब्ध जनसांख्यिकी लाभ पर काफी चर्चा हो रही है। इसकी वर्तमान वृद्धि दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, चीन की कामकाजी जनसंख्या 2015 तक अपने अधिकतम पर पहुंच जाएगी और अगले एक या डेढ़ दशक में वह संकुचित हो जाएगी जबकि भारत की 68 प्रतिशत जनसंख्या 2030 तक कामकाजी श्रेणी (15-64) में होगी। 2030 तक भारतीय जनसंख्या का अनुमानित जीवनकाल भी लगभग 70 वर्षों का हो जाएगा। ग्राहकों के नए प्रवाह की दृष्टि से आंकड़े बैंकों के लिए एक ओर जहां दीर्घकालीन अवसर प्रदान करेंगे वहीं दूसरी ओर इनसे चुनौतियाँ भी उत्पन्न होंगी जो अलग-अलग आयु वर्ग के ग्राहकों के अलग-अलग तौर-तरीकों से जुड़ी होंगी। बैंकों को ग्राहकों की अपेक्षा का सतत पूर्वानुमान करना होगा और उन्हें तत्परतापूर्वक पूरा करने हेतु रणनीति तैयार करनी होगी।

शहरीकरण

6. भारत तेजी से बढ़ती हुई शहरीकरण की प्रवृत्ति से भी रू-ब-रू हो रहा है। यह अनुमान है कि 2030 तक समग्र जनसंख्या में 1.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में शहरी जनसंख्या 2.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 631 मिलियन हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि आज की 31 प्रतिशत की तुलना में 41.8 प्रतिशत जनसंख्या शहरी समुदायों में जीवन-यापन करेगी। हालांकि शहरी जनसंख्या का यह प्रतिशत 50 प्रतिशत के मौजूदा वैश्विक औसत की अपेक्षा काफी कम होगा किन्तु इससे मूलभूत संरचना निर्माण, आवास, उपभोग, ग्राहकों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि के संबंध में बैंकों को अत्यधिक व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे।

डिजिटाइजेशन

7. डिजिटाइजेशन एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर नई सरकार सतत ज़ोर दे रही है। तेज गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी द्वारा देश में इंटरनेट के प्रसार पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इंटरनेट प्रसार में पिछले वर्ष के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है; तथापि,

इंटरनेट प्रसार का 20 प्रतिशत का यह स्तर अन्य विकासशील देशों जैसे चीन (46 प्रतिशत), ब्राज़ील (53 प्रतिशत) तथा रूस (59 प्रतिशत) की तुलना में फीका है; जबकि विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड तथा जापान में यह 85 प्रतिशत से अधिक है। इंटरनेट के इस कम प्रसार में बैंकिंग क्षेत्र के लिए अवसर छुपे हुए हैं। जैसे-जैसे देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बैंक एक डिलिवरी चैनल के रूप में इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी ओर, देश में मोबाइल प्रसार उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक लगभग 930.20 मिलियन है तथा इसमें भी पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं जिनका दोहन किया जाना है।

औद्योगीकरण

8. नई सरकार के 'मेक इन इंडिया' मंत्र ने भी सही तार छू लिए हैं तथा सकल देशी उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की कमोबेश स्थिर रही मौजूदा 15 प्रतिशत की भागीदारी को 2025 तक बढ़ाकर 25-30 प्रतिशत के आस पास करने के प्रयास जारी हैं। अगर यह प्रयास सफल होता है तो इसका तात्पर्य होगा घरेलू रोजगार में 90 मिलियन की वृद्धि के साथ ही सहयोगी कॉर्पोरेट एवं खुदरा कारोबार के अवसरों में बढ़ोतरी।

शिक्षा

9. इसी प्रकार, देश में चार ई अर्थात Expansion (विस्तार), Equity and inclusion (समान हिस्सेदारी तथा समावेशन), Excellence (श्रेष्ठता) और Employability (नियोजनीयता) पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए शिक्षा का स्तर सुधारने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। इससे ग्राहकों की जागरूकता, उनकी आवश्यकता, मांग तथा उनकी प्रत्याशाओं में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।

वित्तीय समावेशन

10. प्रत्येक घर में एक बैंक खाते पर ध्यान देते हुए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना को अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पिछली गणना तक, इस योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या 12.14 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस योजना की वजह से बैंकों को उपलब्ध हुए अवसरों का उल्लेख करने

की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसके अतिरिक्त, यह तो केवल एक शुरुआती कदम है, इस कार्य के बड़े हिस्से की तो अभी शुरुआत की जानी है।

वैश्विक एकीकरण

11. इसके साथ ही मैं बढ़ते वैश्विक एकीकरण के अंतिम मुद्दे पर पहुंच चुका हूँ जो मुझे लगता है कि पहले ही वित्तीय क्षेत्र को काफी प्रभावित कर चुका है। चाहे फिर वो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दी गई मात्रात्मक सुगमता (Quantitative easing) और बाद में उनको हटाया जाना हो या फिर मुद्रा की परिवर्तनीयता, अर्थव्यवस्थाओं तथा मुद्राओं इत्यादि की क्षेत्रीय संधि का बनना या टूटना इत्यादि हो। वित्तीय दृष्टिकोण से वैश्विक संरचना को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य ऐसी घटनाएँ भी हो सकती हैं जो अभी तक सामने न आई हों। मैं यहां फाइनेंशियल टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित दो मुख्य समाचारों का उल्लेख करना चाहूँगा : पहला है, स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से रूस को अलग कर दिया जाना तथा दूसरा विश्व के तीन सबसे बड़े बैंकों द्वारा 30 क्षेत्राधिकारों में संपर्की बैंकिंग संबंधों से बाहर निकल आने के बारे में है। प्रत्यक्ष रूप से इन बैंकों के लिए, विकासशील देशों में ऋणदाताओं के साथ संबंध तोड़ने के कारण हैं - उल्लंघनों, धनशोधन तथा आतंकवाद के लिए वित्तपोषण के कारण विनियामक प्रतिबंधों के प्रभाव से होनेवाले जोखिम को सीमित करना। इस प्रकार की घटनाएँ, हालांकि विशिष्ट क्षेत्राधिकारों में उत्पन्न होती हैं, तथापि ये विश्व में कहीं भी व्यवसाय तथा वित्त को बुरी तरह से प्रभावित करने की संभाव्यता रखती हैं।

12. इन परिस्थितियों में, बैंकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे ऐसी उभरती प्रवृत्तियों पर नजर रखें तथा सन्निकट चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल तैयार रहें बल्कि उसके साथ ही सामने आनेवाले अवसरों को भी हाथ से न जाने दें।

नए बैंकिंग परिदृश्य में प्रमुख कर्ता/कार्य

13. आइए अब एक नज़र इस पर भी डाली जाए कि नए बैंकिंग परिदृश्य में प्रमुख कर्ता/कार्य पर इन मुद्दों/गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

14. ग्राहक, कर्मचारी, मालिक तथा विनियामक बैंकिंग प्रणाली

के प्रमुख हिताधिकारी हैं। उभरते हुए परिदृश्य में, बैंकों को ग्राहकों के ऐसे वर्ग को संतुष्ट करना होगा जो सुशिक्षित, सुविज्ञ तथा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। संभवतः बैंकों को विभिन्न माध्यमों द्वारा डिजिटल तथा वास्तविक दुनिया में अपने उत्पाद तथा सेवाएँ बेचने हेतु विवश होना पड़ेगा। जैसे-जैसे ग्राहकों द्वारा मांगे गए उत्पादों/सेवाओं की जटिलता बढ़ेगी, जैसे-जैसे बैंकों को न केवल अपने कर्मचारियों की कार्य-क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा बल्कि उन्हें अपने साथ बनाए रखने का भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा नई प्रतिस्पर्धा संभवतः इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) को कम कर देगी जिसका लाभ मालिकवर्ग इस समय उठा रहा है, इससे बैंकों में और अधिक पूंजी लगाने के लिए भावी निवेशकों को प्रोत्साहित करना कठिन हो जाएगा। सरकारी बैंकों के मामले में उनके स्वामित्व में बदलाव आ सकता है और सरकार उनमें अपनी शेरधारिता को कम कर सकती है। इस तरह से वे भी निजी पूंजी की दौड़ में शामिल हो जाएँगे।

15. जैसा कि हमने देखा, उपभोक्ता संरक्षण, धनशोधन तथा बाज़ार के सही संचालन पर विनियमित संस्थाओं की विफलताओं से समस्त विश्व में विनियामक विशेष रूप से काफी सख्त हो गए हैं। यह विनियामक सक्रियता समस्त विश्व में बैंकों पर दंडों को बार-बार लगाए जाने और उसकी मात्रा से पता चल जाती है। संकट के बाद, केवल अमेरिका तथा यूरोप में ही बैंकों को अब तक दंडराशि और विधिक खर्चों में लगभग 230 बिलियन डॉलर व्यय करने पड़े हैं।² अगले दो वर्षों में बैंकों को इस प्रयोजन के लिए संभवतः 70 बिलियन डॉलर और खर्च करने पड़ सकते हैं। यह संख्या चौंकाने वाली है। हमने अपने क्षेत्राधिकार में भी कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां देखी हैं किन्तु वे इनके मुकाबले बिलकुल भी सख्त नहीं हैं। मेरा विश्वास करें, भारतीय विनियामक अब तक तुलनात्मक रूप से अधिक सहनशील रहे हैं। आपमें से कुछ लोग जो विदेश में कार्य-संचालन कर रहे हैं, वे भलीभांति जानते हैं कि मेजबान विनियामक संस्थाएं कितना सख्त रुख अपनाती हैं। बैंकों को सख्त विनियामक दौर का सामना करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा।

² <http://www.irishtimes.com/business/financial-services/us-european-banks-have-paid-230bn-in-legal-costs-since-2009.1-2064163>

16. नया बैंकिंग परिदृश्य इस क्षेत्र में वर्तमान में जारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा। मैं इनमें से कुछ पर विस्तार से बात करना चाहूँगा।

प्रतिस्पर्धा तथा समेकन

17. इस क्षेत्र का आनेवाला दौर प्रतिस्पर्धा तथा समेकन का होगा जिसका सामना बैंकों को कभी न कभी करना होगा। इस कैलेंडर वर्ष में दो नए निजी बैंक कार्य करना आरंभ कर देंगे। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के प्रारंभ में छोटे वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक भी मैदान में उतर सकते हैं। बाज़ार के मौजूदा खिलाड़ियों के बीच समेकन तथा विलयन हो सकते हैं। निःसंदेह बाज़ार के इन नए खिलाड़ियों के लिए लाभ के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं और इन पूर्ण संगठित तथा मंजे हुए विनियमित खिलाड़ियों के पास अविनियमित शैडो बैंकिंग संस्थाओं के चंगुल से ग्राहकों को बाहर निकालने के ढेरों अवसर हैं। किन्तु, मौजूदा खिलाड़ी अपने जोखिम पर वहाँ डटे रह सकते हैं। हमने देखा है कि प्रतिस्पर्धा से एकाधिकार रखनेवाले को कड़ी चुनौती मिलती है। ऐसा विमानन एवं दूरसंचार क्षेत्र में घटित हो चुका है और बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा नहीं होने का कोई कारण नहीं है। मेरा यकीन करें यह आपके लिए नई प्रतिस्पर्धा का अंत नहीं है। बैंक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को मांग के अनुसार ढालने अथवा विविध स्वरूप वाले बैंकों को आरंभ करने की संभावनाओं की ओर रिज़र्व बैंक इशारा करता रहा है। इसके अलावा, इस देश में निवेश करने हेतु विदेशी बैंकों के लिए भी अनुकूल माहौल है।

18. ऐसा नहीं है कि नए प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश करने भर से ही जल्द नाटकीय परिवर्तन हो जाएंगे। बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे नए खिलाड़ी रातों-रात हासिल नहीं कर सकते। नए बैंक एक छोटी शुरुआत के साथ आरंभ कर समय के साथ-साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा केवल कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि कौशल के लिए भी होगी। प्रक्रियाओं को और दक्ष बनाने के लिए दबाव होगा।

प्रौद्योगिकी

19. मैं परस्पर सामाजिक संबंध स्थापित करने में प्रौद्योगिकी द्वारा लाए जा रहे आमूल-चूल बदलाव के बारे में पहले ही चर्चा

कर चुका हूँ। लोगों के बीच मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती पैठ ने उद्यमियों के लिए नए मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। वर्तमान समय के ग्राहक जिस प्रकार अपने कारोबार में लेनदेन करते हैं उसमें इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यदि सभी पारंपरिक कारोबार प्रौद्योगिकी से प्रभावित हो सकते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र भला इससे अछूता कैसे रह सकता है। सेवा-आपूर्ति की क्षमता एवं प्रभावात्मकता के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के सुलेखित लाभों का दूसरा पक्ष यह भी है कि इसने ग्राहक को अलग-थलग करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है जिसमें सर्वप्रथम एटीएम तथा उसके बाद इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग का समावेश है। इस अर्थ में बैंक एक **चेहरा विहीन** संस्था बन गए हैं। इस संक्रमण काल में बैंक किस प्रकार अपने ग्राहकों से परस्पर संबंध स्थापित करते हैं एवं उनको बनाए रखते हैं उसमें बदलाव लाए जाने की जरूरत है। मैं बैंकिंग सेवाओं के साथ टेक्नॉलॉजी के जुड़ने और बैंकों पर होनेवाले उसके प्रभाव पर थोड़ी देर बाद चर्चा करूँगा।

जोखिम प्रबंधन

20. बैंकों में जोखिम प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं बैंक। बैंक का कारोबार जोखिम भरा होता है अतः उनके पास जोखिम प्रबंधन ढांचे का होना जरूरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेढ़ दशक पूर्व पहली बार भारत में बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन का अनुसरण अनुपालन बाध्यताओं की वजह से अधिक किया जाता है और बैंक के कारोबार में उतने प्रभावी ढंग से इसे लागू नहीं किया जाता जितना कि किया जाना चाहिए। चूंकि वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में जटिलताएँ बढ़ रही हैं, अतः बैंक अपने पूंजी स्तर के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के कौशल के उचित मूल्यांकन के बाद ही जोखिम वहन करने की अपनी क्षमता पर विचार करें तथा उसे तय करें।

21. जैसा कि मैंने पहले बताया, नए भारत को परिभाषित करनेवाले कारकों का नए बैंकिंग परिदृश्य के प्रत्येक कर्ता एवं कार्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये तत्व परस्पर मिलकर पारंपरिक रूप से नई बैंकिंग व्यवस्था को आकार प्रदान करेंगे। इन 7 ढांचों,

4 कर्ताओं और 3 कार्यों को चुनना तथा उनके आपसी संबंध से संभाव्य कारोबारी परिदृश्यों का निर्माण करना आपके लिए रोचक होगा। आप संभावनाओं और चुनौतियों की व्यापकता को देखकर हैरान हो सकते हैं। अब मैं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय पर लौटता हूँ जिसे व्यापक रूप से नई बैंकिंग में 'सब कुछ' माना जा रहा है।

प्रौद्योगिकी – एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदायक

22. मैं सुप्रसिद्ध पुस्तक 'बैंक 3.0' के लेखक ब्रेट किंग के इस उद्धरण से प्रारंभ करना चाहूंगा : "ग्राहक चैनल/उत्पादों का एक-दूसरे से अलग-थलग प्रयोग नहीं करते। प्रतिदिन ग्राहक विभिन्न माध्यमों द्वारा बैंक से संपर्क करते हैं। वे किसी तीसरी पार्टी को राशि ऑनलाइन अंतरित कर सकते हैं, नकद आहरण हेतु एटीएम जा सकते हैं, वेतन जमा होने की जांच ऑनलाइन कर सकते हैं, उपभोक्ता बिलों का भुगतान कर सकते हैं, खुदरा विक्रेता से वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की शेष राशि जानने अथवा गुम कार्ड की रिपोर्ट के लिए कॉल-सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे अधिक सुविज्ञ हैं तो शेरों की खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, अपने यूरो खाता से यूएसडी खाता में नकदी का अंतरण भी कर सकते हैं, म्यूच्युअल फंड में एकमुश्त रकम जमा कर सकते हैं अथवा आवास बीमा पॉलिसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।"

23. उपर्युक्त कथन बैंकिंग एप्लीकेशन्स के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाता है जिसमें प्रौद्योगिकी सहायक हो सकती है। वास्तव में, **बहु-उत्पादों को प्रदान करने के लिए एकल चैनल निपटान** की आवश्यकता है। तथापि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी एक सुविधा प्रदायक है, न कि सभी समस्याओं का निदान। अधिकांश भारतीय बैंकों ने वेब-आधारित और मोबाइल-आधारित डिलिवरी उपायों में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। इनमें से प्रत्येक चैनल अलग-अलग वेंडरों के सहयोग से तैयार किए गए हैं और प्रत्येक वेंडर ने अलग-अलग तकनीकों का प्रयोग किया है जिससे जटिलताएँ एवं लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं एवं उसे समकालीन बनाए रखने के लिए नए तकनीक को अपनाना

एक खर्चीला उपाय हो जाता है। अतः जब तक हम प्रौद्योगिकी आधारित डिलिवरी उपायों की पूरी क्षमता का इष्टतम दोहन नहीं कर लेते तब तक हम अनुत्पादक निवेश में ही लगे रहेंगे।

24. यद्यपि मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल से भुगतान को अपनाने को लेकर बहुत ही उत्साह है, परंतु यह मॉडल कुछ ही देशों में सफल रहा है जहां पर कि इसके लिए उपयुक्त परिवेश मौजूद है। मैं यहां मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए वित्त एवं भुगतान संबंधी सेवाएं प्रदान करने की बात कर रहा हूँ न कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम के रूप में इसके इस्तेमाल की। भारत के परिप्रेक्ष्य में, वास्तविक विश्लेषण करने पर इसे अपनाने की धीमी गति के विभिन्न कारणों का खुलासा होगा। दूसरी ओर, तकनीकी मुद्दे हैं जैसे कि हैंडसेटों के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम की विविधता, इंक्रिप्शन आवश्यकताएँ, इंटर-ओपरेबल प्लेटफॉर्म अथवा इसका अभाव, मानकीकृत संचार संरचना का अभाव, एप्लिकेशन को डाउनलोड करने में कठिनाइयाँ, सक्रिय करने में समय का लगना आदि। ये सभी ऑन-बोर्डिंग मर्चेन्ट और ग्राहकों तथा ग्राहक मालिकाना संबंधी परिचालनगत कठिनाइयों से और भी प्रखर हो जाते हैं। इन कारकों के पारस्परिक प्रभाव की वजह से एक प्रभावकारी और वैश्विक रूप से लेनदेन का स्वीकृत चैनल बन चुके मोबाइल बैंकिंग के विस्तार एवं स्वीकार्यता में गतिरोध पैदा हो रहा है। बैंकों एवं दूरसंचार कंपनियों के बीच समन्वय एवं सहयोग संबंधी अन्य मुद्दे भी हैं जो मोबाइल बैंकिंग के वाहक अथवा उसमें रुकावट का कार्य करते हैं। यदि भारत में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं हेतु प्रभावकारी डिलिवरी चैनल के रूप में मोबाइल को अपनाया जाना है तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की आवश्यकता है।

25. मैं प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होनेवाले कुछ अवसरों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। उदाहरण के रूप में पर्सनलाइज्ड गूगल सर्च पेज पर प्रदर्शित होनेवाले परिणाम को ही लें। एक व्यक्ति जब कभी गूगल पर सर्च करता है तो वह वेबसाइट उस व्यक्ति द्वारा विजिट किए गए साइट/उस व्यक्ति द्वारा क्लिक किए गए लिंक के ब्योरे को स्टोर कर लेता है और भविष्य में जब कभी दोबारा उन वेबसाइटों को सर्च किया जाता है तो वेबसाइट उन्हीं साइटों को

ज्यादा लोड करता है जिन्हें वह व्यक्ति पहले देख चुका होता है। वर्तमान में एटीएम द्वारा किए गए अंतरणों की संख्या गूगल वेब पेज पर किए गए सर्च से कहीं ज्यादा है। तथापि, गूगल द्वारा अपने सर्च में हासिल किए गए पर्सनलाइजेशन की तर्ज पर एटीएम पर दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिस पर बैंक एवं उनके सॉफ्टवेयर वेंडर भविष्य में कार्य कर सकते हैं ताकि इससे आगे विक्रय को और भी बढ़ाया जा सके।

कुछ सवाल जो जवाब चाहते हैं :

26. मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ जिनका हल बैंकिंग कारोबार और बैंक कर्मियों को तलाशना है ताकि बदलते परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता बनी रहे।

- (i) क्या मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी की तरह **अकाउंट नंबर पोर्टबिलिटी** की संभावना हो सकती है? ताकि, यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संतुष्ट नहीं हो तो उसके पास अपना बैंकिंग संबंध, लॉकर, स्टॉक एवं बैरल किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करने का विकल्प मौजूद हो। हां, ऋण करार आदि से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं लेकिन ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की चुनौतियों पर विजय नहीं पाई जा सकती है और आज जिस प्रकार बैंकिंग की जा रही है उसमें बड़ा फेरबदल नहीं किया जा सकता।
- (ii) बैंक कब तक अपने **खुदरा ऋण पोर्टफोलियो** को लगातार बढ़ाते रहेंगे? इन ऋणों को एकत्र करने और बाजार में अन्य निवेशकों को इसे वितरित करने के लिए यदि कोई माध्यम नहीं बनाया जाता है तो खुदरा ऋण पाइप लाइन में शीघ्र ही रुकावट आ सकती है।
- (iii) **सामूहिक निधीयन** (Crowd Funding) भविष्य में बैंकों के उधारी कारोबार को कैसे प्रभावित कर सकता है? पूरे विश्व में सामूहिक निधीयन के जरिए उगाही जाने वाली राशि में क्रमिक वृद्धि देखी

गई है, यह 2011 में \$ 1.5 बिलियन से 2012 में \$ 2.7 बिलियन और फिर 2013 में बढ़कर \$ 5.1 बिलियन हो गया है। मैंने आप में से कुछ को यह कहते सुना है कि यह राशि नगण्य है। यद्यपि, विकास की यह दर काफी तेज है और 'पियर टू पियर' उधारी कारोबार के साथ जुड़ने पर यह कम से कम उन खिलाड़ियों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकता है जो एक समान क्षेत्र में परिचालन करते हैं।

- (iv) यदि मोबाइल बैंकिंग सफल हुआ तो **क्या प्लास्टिक मुद्रा की आवश्यकता तब भी होगी?** इसमें मुख्य रूप से एक साथ दो प्रश्न जुड़े हुए हैं - पहला क्या मोबाइल बैंकिंग सफल होगी और अगर ऐसा हुआ तो इसका एटीएम और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट कार्ड के भविष्य पर क्या असर होगा। इस समय नकदी प्रणाली के महत्त्व को देखते हुए उस पर निर्भरता को कम करने की जरूरत कमोबेश उचित लगती है और इसलिए, यदि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल/इंटरनेट आधारित भुगतानों की ओर उन्मुख होते हैं तो प्लास्टिक कार्ड और अभी तक किए गए इस तरह के निवेश निरर्थक हो जाएंगे यदि उनकी अन्यत्र उपयोगिता पर ध्यान न दिया गया तो।
- (v) बैंकिंग प्रणाली के लिए **आईएफ़आरएस** को लागू करने के क्या मायने हैं? आईएफ़आरएस अकाउंटिंग संभवतः आस्तियों अथवा पूंजी की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है। प्रश्न यह है कि आईएफ़आरएस के साथ-साथ विवेकपूर्ण विनियमन कैसे अस्तित्व में रहेगा? आईएफ़आरएस के अंतर्गत प्रस्तावित क्षति गणना, प्रभावी ब्याज दर आधार पर ब्याज द्वारा प्राप्त आय की गणना और विभिन्न पोर्टफोलियो के परिचालन एवं गणना के लिए बहु प्रणाली के होने का अर्थ है आईएफ़आरएस की ओर उन्मुख होने के लिए आईटी प्रणाली का

अपग्रेडेशन/पुनः निर्माण करना। बैंकों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए वित्तीय लेखांकन और कर लेखांकन के लिए अभिसरण नीतियों संबंधी चुनौतियों पर काबू पाएं। इसके अलावा वे आईएफआरएस लेखा में दक्षता हासिल करने हेतु क्रेडिट, कोषागार आदि जैसे क्षेत्रों में अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करें।

(vi) क्या बड़ी कंपनियां बैंकों से उधार लेती रहेंगी? हाल ही में, वैश्विक बाजार, विशेष रूप से उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में निधियों के प्रवाह में तेजी देखने में आई है और ऐसा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रारम्भ किए गए क्यूई के प्रकारों के कारण हुआ है। कई कॉर्पोरेट घरानों को बैंकों के पास गए बिना सस्ते दर पर निधि प्राप्त हो जा रही है। यूरो क्षेत्र और जापान में निरंतर बनी मुद्रा अवस्फीति की प्रवृत्तियां क्यूई के लौट आने का संकेत कर रही हैं जो उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के उधारी कारोबार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विकसित देशों में बड़ी कंपनियां अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के बजाय वित्तीय बाजारों से सीधे ही संपर्क करते हैं। अतः एक ओर जहां समय-विशेष के दौरान घटित क्यूई का असर कम होने लगेगा वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के परिपक्व होने के साथ ही अधिकाधिक बड़ी कंपनियां अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों के मुहताज नहीं रह जाएंगे।

(vii) क्या पहले किए गए ऋण-पुनर्रचना के प्रभाव बैंकों के लिए पुनः बाधा उत्पन्न करेंगे? मेरा यह मानना है कि दीर्घकालीन वैश्विक आर्थिक मंदी ने संकट के तत्काल बाद की गई अग्रिमों की पुनर्रचना के समय पहले किए गए अनुमानों को परिवर्तित कर दिया होगा। जैसे ही अधिस्थगन अवधि पूरी होने वाली होगी, बैंकों को इन परियोजनाओं की

तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और जहां भी व्यवहार्यता पर खतरा प्रतीत होगा उससे संबंधित हानि उठानी होगी। जहां भी वित्तीय संभावनाएं गैर-अर्थक्षम होंगी, वहां समय पर निर्णय लेना ऋण की वापसी/वसूली सहित, महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

27. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि वैश्विक विनियामक सुधार किस प्रकार भारतीय बैंकों को प्रभावित कर सकते हैं। बासेल-III मानकों की घोषणा हो चुकी है और उन्हें निश्चित समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है जिसमें लिक्विडिटी सीमा को 01 जनवरी 2015 से पहले ही लागू किया जा चुका है। अतः आप सभी लोग लीवरेज, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर जैसी नई विनियामक संकल्पनाओं से वाकिफ हो ही चुके हैं। डी-एसआईबी दिशा-निर्देशों की भी घोषणा की जा चुकी है और घरेलू परिप्रेक्ष्य में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माने गए बैंकों की सूची अगस्त 2015 में जाहिर की जाएगी। पूंजी और लिक्विडिटी बफर के कड़े अनुपालन के अलावा इन बैंकों को व्यापक 'रिकवरी एवं समाधान योजनाएं' तैयार करने की होड़ में शामिल होना पड़ेगा। जी-एसआईबी के लिए पहचाने गए बैंकों के लिए टीएलएसी (कुल हानि अवशोषकता पूंजी) ढांचे को लागू करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड के स्तर पर चर्चा भी चल रही है। ऊपर की गई समस्त चर्चा का मूल सार यह है कि बैंकों को कारोबार में बने रहने के लिए अपने पूंजी आधार में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी। प्रश्न यह है कि "आप ऐसी पूंजी कहाँ पाएंगे?"

28. मैं मूलतः जितनी बातें करना चाहता था उससे कहीं अधिक व्यापक परिवेश पर मैंने चर्चा कर डाली है। मुझे आशा है कि आज यहां उपस्थित महानुभाव मेरी चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे और बाद में उस पर प्रकाश डालेंगे। आमंत्रित करने के लिए मैं पुनः मिंट को धन्यवाद देता हूँ और सार्थक विचार-विमर्श के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

○○○

बैंकिंग उद्योग और महिला सशक्तीकरण

महिलाओं की स्थिति

भारत में कुल महिला श्रम शक्ति का लगभग 90 प्रतिशत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नियोजित है। उत्तर प्रदेश में किया गया औक्सफ़ेम अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दिखाता है कि केवल 6 प्रतिशत महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है, केवल 4 प्रतिशत को संस्थागत साख उपलब्ध है और केवल 8 प्रतिशत के पास ही कृषि से होने वाली आय पर नियंत्रण है। कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए यह एक चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं को समान कार्य के लिए न केवल पुरुषों से कम पारिश्रमिक मिलता है, बल्कि उनके द्वारा किये गए श्रम पर बहुधा विचार भी नहीं किया जाता। भूमि का स्वामित्व प्रायः पुरुषों के पास ही होता है। व्यवसाय से संबंधित निर्णय पुरुष लेते हैं और महिलाओं को उनका पालन करना होता है। कृषि उपज का विपणन भी प्रायः पुरुष ही करते हैं जिससे पूरी कृषि आय पर उनका ही नियंत्रण होता है।

जैसे-जैसे पुरुषों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होता है, कृषि में कार्यरत महिलाओं का अनुपात बढ़ता जाता है। परंतु उन्हें संस्थागत साख की सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि उनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता और न ही संस्थागत वित्तीय सुविधाओं

की जानकारी होती है। महिला कृषकों का एक बड़ा हिस्सा या तो अशिक्षित है या उन्हें प्राथमिक से कम शिक्षा प्राप्त है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार कृषि के आधुनिकीकरण और नई तकनीकों के प्रयोग ने गरीबों की तुलना में अमीरों को और महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक लाभ पहुंचाया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी अपने अध्ययनों में इस बात की ओर संकेत किया है कि कृषि के व्यवसायीकरण से आर्थिक नियंत्रण, रोजगार और लाभ महिलाओं से पुरुषों को स्थानांतरित हो जाते हैं। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि विकासशील देशों में कृषि विकास की नीतियां कई बार यह मान लेती हैं कि कृषक मुख्यतः पुरुष हैं। महिलाओं की भूमिका, ज़रूरतें और असमानताओं को ध्यान में न रखने से कृषि विकास के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। बैंकिंग उद्योग इन चुनौतियों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महिलाओं के सशक्तीकरण में चुनौतियां

बैंकिंग उद्योग के समक्ष महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित चुनौतियां प्रमुख हैं -

- **अशिक्षा एवं वित्तीय असाक्षरता** - जहां ग्रामीण महिलाएं प्रायः अशिक्षित हैं, वहीं शहरी महिलाओं में वित्तीय असाक्षरता है। महिलाओं को बैंकिंग जगत तक लाने के लिए सबसे पहले उन्हें इस बारे में शिक्षित करना होगा। साथ ही, बैंकिंग जगत के प्रति विश्वास जागृत करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय साक्षरता अभियान की इसमें प्रमुख भूमिका है।

- **बैंकिंग आदतों का अभाव** - ऐसे समाज में जहां वित्त का नियंत्रण मुख्यतः पुरुषों के हाथ में हो, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनमें बैंकिंग आदतों का विकास करना बैंकिंग उद्योग



श्री अभिनव श्रीवास्तव
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसकी शुरुआत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से की जा सकती है। तत्पश्चात उनके लिए आधारभूत बचत खाते खोले जा सकते हैं और उन्हें सामान्य बैंकिंग क्रियाकलापों तथा एटीएम के उपयोग से परिचित कराया जा सकता है।

● **आर्थिक अनुशासन एवं बचत की प्रवृत्ति** – बैंकिंग आदतों और वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ आर्थिक अनुशासन भी सशक्तीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति का विकास और छोटी मात्रा में ही सही, उस बचत का निवेश दूरगामी प्रभाव रखता है।

● **ऋण के विवेकशील उपयोग के लिए प्रेरित करना** – बचत की प्रवृत्ति के साथ-साथ दिये गए ऋण का विवेकशील उपयोग भी जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋण का उत्पादक उपयोग हो, जैसे कि कृषि कार्य अथवा व्यवसाय के लिए, न कि घरेलू खर्चों, त्योहारों अथवा विवाह के लिए। इस विवेकशील उपयोग में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं यदि उनमें निर्णयन क्षमता हो और वे वित्तीय रूप से साक्षर हों।

● **निर्णयन क्षमता** – प्रायः महिलाएं बैंकिंग और वित्त संबंधी फैसले नहीं कर पाती हैं। उन्हें परिवार को अथवा मित्रों को शामिल करना पड़ता है। उन्हें पेशेवर सलाह नहीं मिल पाती है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत जरूरी है उनमें निर्णयन क्षमता का आना ताकि वे अपने श्रम, आय, बचत एवं निवेश संबंधी फैसले खुद ले सकें। बैंकिंग उद्योग के सामने महिलाओं में इस निर्णयन क्षमता को लाना एक चुनौती है। इसके अभाव में वित्तीय साक्षरता और आर्थिक अनुशासन भी महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक नहीं हो पाएंगे। निर्णयन क्षमता के आने पर ही महिलाएं अपने साथ-साथ पूरे परिवार पर आर्थिक अनुशासन रख पाएंगी।

● **भूमि अथवा संपत्ति का स्वामित्व** – यद्यपि महिलाएं वैश्विक स्तर पर कृषि में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, भूमि का स्वामित्व पुरुषों के पास ही होता है और महिलाओं के श्रम तथा आय का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथों में होता है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण कृषि संपत्ति है और इसके अभाव में महिलाओं को ऋण प्राप्त करना एक चुनौती से कम नहीं।

● **असंगठित बाज़ार से निकालना** – महिलाओं को असंगठित ऋण बाज़ार से निकाल कर बैंकिंग प्रणाली में लाना भी बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक चुनौती है। आज छोटे व्यवसाय जैसे कि किराना या सब्जी की दुकान के लिए महिलाओं को साहूकार-महाजन के पास जाना पड़ता है क्योंकि उनकी ऋण लेने की क्षमता भी कम होती है और बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने में असमर्थता भी। उन्हें बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का विश्वास दिलाना बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी।


● **ऋण की चुकौती** – बैंकों को एक वाणिज्यिक संस्था के तौर पर भी काम करना है। अतः उन्हें महिलाओं को समय पर ऋण की चुकौती के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण और स्वावलंबन में भी सहायक होगा।

● **सस्ती निधि की व्यवस्था** – बैंकों को सस्ती निधि की व्यवस्था करनी होगी और जमा आकर्षित करने होंगे ताकि महिलाओं को सस्ते ऋण दिये जा सकें।

● **अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन** – बैंकिंग उद्योग को अपनी अनर्जक आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर रखना होगा ताकि बैंक महिला सशक्तीकरण की दिशा में भलीभांति काम कर सके और उस पर लाभदेयता का खतरा उत्पन्न न हो।

बैंकिंग उद्योग की भूमिका

महिलाओं के सशक्तीकरण में बैंकिंग उद्योग की भूमिका को आगे चित्र 1 में प्रस्तुत किया गया है -



महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को समझना – महिला सशक्तीकरण के लिए सबसे पहले बैंकिंग उद्योग को महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को समझना होगा और उन्हें यथोचित कार्यक्रमों एवं नीतियों के द्वारा पूरा करना होगा। एक बड़ी चुनौती बिना भूमि स्वामित्व अथवा किसी संपत्ति के ऋण प्राप्त करने की

है। उन्हें उचित वित्तीय सलाह एवं शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। कृषि के साथ-साथ छोटे व्यवसाय करने के लिए भी गांवों एवं शहरों दोनों में ही महिलाओं को संस्थागत साख की आवश्यकता होती है। कई बार वित्त की अनुपलब्धता के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं।

महिलाओं को वित्तीय शिक्षा – तमिलनाडु के कुछ ग्रामों में 2013 में किए गए प्राथमिक अध्ययन में यह पाया गया कि अनेक महिलाएं जिन्होंने छोटे-मोटे व्यवसाय जैसे बुनाई, हथकरघा अथवा श्रमिक के तौर पर कुछ जमा-पूंजी इकट्ठा की थी वे बीते कुछ वर्षों में एमू योजना जैसी कई धोखाधड़ी की योजनाओं में एक बड़ी राशि खो चुकी हैं। उनमें से कई को भूमि का नुकसान हुआ है और वे कृषक से कृषि श्रमिक बन गई हैं। यह एक बहुत ही दुःखद स्थिति है। बैंकिंग उद्योग वित्तीय शिक्षा के द्वारा महिलाओं को शिक्षित कर सकता है ताकि एक ओर वे ऐसे धोखों से बचें और दूसरी ओर सही वित्तीय फैसले ले पाएं।

ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सुविधाएं – ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि ग्रामीण महिलाएं वित्तीय शिक्षा तथा बहुत सी बुनियादी जरूरतों से वंचित रहती हैं। साथ ही, कई बार दूर-दराज के क्षेत्रों में वे बैंक पहुंचने में समर्थ भी नहीं हो पाती या फिर उन्हें बैंकों की उपलब्धता की जानकारी ही नहीं होती। बैंकिंग उद्योग इन बैंकरहित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोल कर महिला सशक्तीकरण में सहायक हो सकता है। व्हाइट लेबल एटीएम तथा नए बैंकिंग लाइसेंस भी इस संबंध में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

तकनीक का दोहन – ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार के लिए तकनीक का भरपूर दोहन लाभदायक सिद्ध होगा। प्रायः यह देखा गया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में उचित नेटवर्क के अभाव में बिज़नेस करेसपॉन्डेंट को दिये गए उपकरण भलीभांति कार्य नहीं करते। ऐसी कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है। दूसरी ओर, जहां तक संभव हो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा वैकल्पिक भुगतान माध्यमों जैसे कि प्रीपेड कार्ड्स के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।

स्वयं सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी – स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना,

विकसित करना तथा एक-दूसरे के साथ एवं बैंकिंग जगत के साथ संबद्ध करना महिला सशक्तीकरण के लिए अत्यावश्यक है। नाबार्ड द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त सहायता समूह बनाना महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रत्याशित परिणाम देगा। स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से संबद्ध करने में भी बैंकिंग उद्योग अपने ब्रांच नेटवर्क द्वारा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये गैर सरकारी संगठन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सहायता कर सकते हैं ताकि वे एसएचजी-बैंक संबद्धता कार्यक्रम की आवश्यकताओं को भलीभांति समझ सकें। बैंकिंग उद्योग भी इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। यथोचित आर्थिक क्रिया का चुनाव करने में, कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने में तथा विपणन केंद्रों से जुड़ने में भी बैंकिंग उद्योग तथा गैर सरकारी संगठन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सहायता कर सकते हैं।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था – महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने एवं ऋण देने के लिए बैंकिंग उद्योग को बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है जिन्हें कॉरपोरेट जगत अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पूरा कर सकता है, अथवा इसे सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाएं भी ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के विकास तथा संयुक्त देयता समूहों के गठन के लिए इन गैर सरकारी संगठनों के साथ कार्य कर सकती हैं। इन्हें जिला स्तर पर कौशल विकास संस्थाओं के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

रोजगार सर्जक नवोन्मेषी योजनाएं – बैंकिंग उद्योग विभिन्न संस्थाओं जैसे कि नाबार्ड, खादी ग्रामोद्योग, क्वायर बोर्ड, हथकरघा उद्योग, दस्तकारी उद्योग समूहों के साथ मिलकर नयी नवोन्मेषी योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता है जिससे कि महिलाओं के लिए रोजगार तथा आय का सृजन हो। यदि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो नए व्यवसाय स्थापित होंगे, नए रोजगार का सृजन होगा और वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में चल रहे प्रयासों को एक नया आयाम मिलेगा।

सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन – अनेक सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है। बैंकिंग उद्योग महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी – बैंकिंग उद्योग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष आदि संस्थाओं के साथ महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए साझा कार्यक्रम बना सकता है जिससे इस संबंध में वित्त के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त किए जा सकें। सिडबी ने जापान सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की एक योजना प्रारंभ की है। इसमें सिडबी के कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छोटी महिला उद्यमियों की ऋण ज़रूरतों को समझ सकें और उन्हें पूरा कर सकें।

महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय उत्पाद – महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग नए उत्पाद जारी कर सकता है जिससे कि बिना भूमि स्वामित्व वाली महिलाएं भी सरलता से ऋण प्राप्त कर सकें। शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो नए प्रकार के व्यवसाय जैसे कि बालवाड़ी (क्रेच), सिलाई-कढ़ाई/पेंटिंग/पाककला केंद्र प्रारंभ करने की कुशलता रखती हैं किंतु वो अब तक बैंकिंग में इसके लिए ऋण की संभावना की तलाश नहीं कर पाई हैं।

शिक्षा के लिए ऋण – सशक्तीकरण के लिए शिक्षा सर्वोपरि आवश्यकता है और महिलाओं को अच्छी और रोजगारपरक शिक्षा दिलाने में बैंकिंग उद्योग सहायक सिद्ध हो सकता है। महिलाओं के लिए शिक्षा ऋण के नए उत्पाद लाए जा सकते हैं।

महिलाओं के किसान क्लब – महिलाओं को किसान क्लब, चौपाल, परामर्श केंद्र जैसी सुविधाएं प्रदान करने में बैंकिंग उद्योग सहायक सिद्ध हो सकता है। इनमें सरकार के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केंद्रों की भी सहायता ली जा सकती है और दूसरी ओर गैर सरकारी संगठनों की भी। इस प्रकार के केंद्रों द्वारा वित्तीय शिक्षा का प्रसार सरलता से हो सकता है।

महिलाओं के लिए विपणन सुविधाएं – महिला उद्यमियों के लिए कई बार विपणन एक समस्या होती है। बैंकिंग उद्योग इसमें सहायता कर सकता है। बैंक महिलाओं के लिए विशेष विपणन कोष बना सकते हैं।

बीमा सुविधाएं – बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ बीमा सुविधाएं भी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक हैं। अनेक महिला श्रमिक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरती हैं जिन पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता। उनके लिए स्वास्थ्य बीमा बहुत ही आवश्यक है। बैंकिंग उद्योग अपनी अनुषंगी संस्थाओं द्वारा महिलाओं पर केंद्रित बीमा के नए उत्पाद ला सकता है।

महिला बैंक की स्थापना – वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2013-14 में एक सार्वजनिक बैंक के रूप में भारत के प्रथम महिला बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में 25 सितंबर 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय महिला बैंक लि. को लाइसेंस प्रदान किया। भारतीय महिला बैंक ने हाल ही में 19 नवंबर 2013 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस बैंक की अध्यक्ष एक महिला हैं और इसके बोर्ड में भी सभी महिला सदस्य हैं। इसकी 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण इलाकों में खोली जाएंगी। इस प्रकार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए और संतुलित बनेगी। बैंक जहां एक तरफ सभी महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, वहीं आर्थिक रूप से पिछड़ी, भेदभाव की शिकार एवं संस्थागत बैंकिंग सुविधा से वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान देगा।

भारतीय बैंकों में महिला कर्मचारी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में गठित की गई खंडेलवाल समिति ने पाया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल श्रमशक्ति में केवल 17 प्रतिशत महिलाएं हैं और उच्च पदों (एक्जीक्यूटिव) पर केवल 2.7 प्रतिशत महिलाएं आसीन हैं। उन्होंने यह भी पाया था कि बहुत सी महिलाएं अपना कैरियर बीच में ही छोड़ देती हैं। इस समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव दिये थे –

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला कर्मचारियों में विशिष्ट

बैंकिंग कुशलता विकसित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

- बैंकों में उच्च पदों पर कार्यभार संभालने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को उनके कैरियर में 2 वर्ष की विशेष छुट्टी दी जानी चाहिए जो वे व्यक्तिगत कारणों से ले सकें।

समय के साथ स्थिति बदल रही है। वर्तमान में बैंकिंग उद्योग में बड़ी मात्रा में महिलाएं कार्यरत हैं। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख कर भी महिलाओं के सशक्तीकरण में योगदान दिया जा सकता है। जैसे कि, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, छुट्टियां और क्रेच की व्यवस्था आदि। वर्तमान में अनेक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में महिलाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन हैं जो बैंकिंग उद्योग में महिलाओं की सहभागिता और सशक्तीकरण का परिचायक है।

ग्रामीण बैंक : महिला सशक्तीकरण में नवोन्मेषी पहल

बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक महिला सशक्तीकरण में एक नए युग का प्रवर्तक रहा है जो एक अनुकरणीय पहल है। 1976 में ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश के एक छोटे से ग्राम में सूक्ष्म साख का कार्यक्रम शुरू किया था और 42 महिलाओं को ऋण प्रदान किया था। 1980 में इससे ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या 15,000 हो गई थी। 1996 में इसकी कुल सदस्य संख्या 23.4 लाख थी जिसमें से 22.4 लाख महिलाएं थी।¹ इसे 2006 में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ग्रामीण बैंक द्वारा अपनाई गई नीति विश्वास, भागीदारी और जिम्मेदारी पर केंद्रित थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं जो बैंकिंग उद्योग द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय हैं -

- ग्रामीण बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता उन्हें ऋण देने की थी जो सबसे गरीब हैं और जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है।
- इस बैंक से ऋण प्राप्त करने वालों में 97 प्रतिशत महिलाएं हैं और बैंक का संचालन भी काफी हद तक ग्रामीण महिलाओं के हाथों में है।

- ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में ग्रामीण बैंक ऋण की पुनर्चना की भी सुविधा देता है।
- ऋण प्राप्त करने वालों के छोटे समूह बनाए जाते हैं जिससे कि वे मिलकर वित्त के उपयोग और समय पर चुकौती की योजना बना सकें, अपने अनुभव बांट सकें और एक-दूसरे की सहायता भी कर सकें।
- महिलाओं को दिये जाने वाले ऋण प्रायः छोटी मात्रा के किंतु लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की शुरुआत के लिए पर्याप्त होते हैं।
- महिला उद्यमियों के साथ-साथ ग्रामीण बैंक द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी ऋण दिये जाते हैं जो कि आगे चल कर महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे कि, पीने के पानी एवं सिंचाई की व्यवस्था, कृषि उपकरणों की खरीद आदि।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग उद्योग की महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए बैंकिंग उद्योग के समक्ष चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी। भारत का बैंकिंग उद्योग इस दिशा में निरंतर कार्यरत है और भारतीय महिला बैंक इस दिशा में एक नई पहल है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक जैसे सफल प्रयोगों से अनुकरण किया जा सकता है। बैंकों में बढ़ता हुआ महिला कर्मचारियों का प्रतिशत और उच्च पदों पर महिलाओं की पहुंच भी महिलाओं के सशक्तीकरण का एक प्रतीक है। महिलाओं के लिए विशेष ऋण उत्पाद ला कर, उन्हें वित्तीय शिक्षा दे कर, बैंकिंग जगत तक उनकी पहुंच सुलभ बनाकर और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से संबद्ध कर बैंकिंग उद्योग महिलाओं के सशक्तीकरण में बड़े स्तर पर सहायक सिद्ध हो सकता है।

○○○

¹<http://indiagovernance.gov.in/files/Grameen%20Bank.pdf>

कोच की भूमिका में प्रबंधक

प्रत्येक संगठन कतिपय उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया होता है और उन उद्देश्यों को संगठन अपनी जनशक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस जनशक्ति के लिए अब मानव संसाधन और मानव पूंजी जैसे पदों का उपयोग किया जाने लगा है। वास्तव में यह मानव संसाधन या पूंजी ही है जो संगठन का निर्माण करती है। सरल तरीके से कहा जाए तो संगठन लोगों से मिल कर बना होता है और संगठन की उपलब्धियां इन्हीं लोगों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम होती हैं। अतः यदि संगठन की जनशक्ति की गुणवत्ता ऊंचे दर्जे की है तो इससे संगठन को मिलने वाले परिणाम भी बेहतर होंगे। लोगों की गुणवत्ता इससे निर्धारित होगी कि उन्हें अपने कार्यों, भूमिका तथा दायित्वों की जानकारी कितनी है, वे संगठन के लक्ष्यों से कितना परिचित हैं और इनके प्रति कितने समर्पित हैं, उनमें अभिप्रेरणा का स्तर क्या है और अपनी कुशलताओं के विकास के लिए वे कितने तत्पर हैं।

संगठनों में प्रबंधक की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है, इससे हम सभी परिचित हैं। संगठनात्मक ढांचे में प्रबंधन वह



विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य, बैंक ऑफ इंडिया
नवी मुंबई

धुरी है जो संगठन में विभिन्न गतिविधियों को संचालित व नियंत्रित करती है। मोटे तौर पर प्रबंधन के चार कार्य माने जाते हैं - आयोजना, व्यवस्था, दिशा-निर्देशन एवं नियंत्रण। वैसे तो संगठन में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी कार्य करते हैं और संगठन की सफलता में सभी का योगदान होता है परंतु प्रबंधक का स्थान विशिष्ट माना जाता है। प्रबंधक कर्मचारियों के सीधे संपर्क में होता है। कर्मचारियों के बीच कार्य आबंटन, क्षमता निर्माण व विकास, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखना, उनकी वाजिब समस्याओं का निराकरण करना तथा कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण प्रबंधक की ज़िम्मेदारी होती है। प्रबंधक कर्मचारियों एवं कार्यपालकों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रबंधक का अधिकांश समय अपनी टीम के साथ गुजरता है। एक अच्छे प्रबंधक के लिए तमाम खुबियां गिनाई जा सकती हैं। इनमें सबसे अधिक जरूरी है कि वह अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं एवं कुशलताओं के विकास के लिए तत्पर हो और इनका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे।

यदि प्रबंधक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सिर्फ अनुदेश देता है और उनसे केवल कार्य परिणामों की अपेक्षा करता है तो वह शायद संगठन के लिए उन बहुत सारी संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा जो इन कर्मचारियों में निहित है। साथ ही, यह कहा जा सकता है कि यहां प्रबंधक ने अपनी भूमिका को सीमित बना रखा है। यदि प्रबंधक कोच की भूमिका भी अख्तियार करता है तो इसका लाभ कर्मचारियों को तो मिलेगा ही, संगठन भी इससे लाभान्वित होगा।

मशहूर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डगलस मकग्रेगर ने 1960

में प्रकाशित अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज' में थ्योरी एक्स व वाई के अंतर्गत प्रबंधकीय शैली के दो संभावित प्रकार बताए हैं और थ्योरी वाई जो कोचिंग उन्मुख है, को बेहतर बताया है। बहुत से अन्य शोधों में भी बताया गया है कि प्रबंधक यदि कर्मचारियों के विकास और उन्हें सहायता प्रदान करने में रुचि लेता है तो कर्मचारियों का अपने कार्य व संगठन के प्रति लगाव ज्यादा होगा और उनसे संगठन को बेहतर परिणाम मिलेंगे।

प्रबंधकों के कोचिंग उन्मुख होने के लाभों के निर्विवाद साक्ष्यों के बावजूद वास्तविकता यह है कि प्रबंधकों में से बहुत कम कोच का कर्तव्य निभाते हुए कर्मचारियों के विकास के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक कड़वा तथ्य यह भी है कि कई प्रबंधक कर्मचारियों में निहित संभावनाओं को फलीभूत करने में मददगार कम और बाधक ज्यादा हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं।

विगत करीब एक दशक में कारोबार की दुनिया में कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। व्यापक आर्थिक मंदी ने संगठनों को लागतें कम रखने का सबक सिखाया है। संसाधनों में कटौती के बावजूद अब प्रबंधकों से उच्चस्तर के लक्ष्य प्राप्त करने की आशा की जाती है। इससे प्रबंधकों पर कार्य निष्पादन परिणाम दर्शाने हेतु दबाव बढ़ गया है। ऐसे में वे कोचिंग पर कम ही ध्यान दे पाते हैं। रोजगार के परिदृश्य पर भी अनेक बदलाव हुए हैं। प्रबंधकीय कार्यों के लिए अनुभव की अनिवार्यता पहले हुआ करती थी, जो अब नहीं है। आज अनुभवहीन लोगों को भी प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अवसर आसानी से मिल रहा है। इस वर्ग में अनुभव एवं परिपक्वता की कमी इसे कोच बनने के योग्य नहीं ठहराती। कुछ उद्योगों में जनशक्ति का टर्नओवर ज्यादा है। कर्मचारी कितने दिन संगठन में टिका रहेगा इसे लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। अतः संगठन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास में ज्यादा निवेश नहीं करते, न ही उनकी कोचिंग पर ध्यान दिया जाता रहा है।

परंतु अब स्थितियां बदल रही हैं। सभी तो नहीं, लेकिन बहुत से संगठनों को अब यह समझ में आने लगा है कि संगठन

के भीतर मौजूद प्रतिभाओं को निखारना संवारना संगठन के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। संगठन यह भी महसूस करने लगे हैं कि नई पीढ़ी कैरियर के लिए ऐसे संगठनों को चुनने को प्राथमिकता देती है जो ज्ञान को महत्व देते हों और जहां सीखने सिखाने पर ज़ोर हो। इन सब कारणों से आधुनिक संगठनों में कोचिंग को कर्मचारियों को टिकाए रखने एवं उनके विकास के लिए एक साधन के रूप में देखा जाने लगा है। कोचिंग के लिए संगठन में सबसे अधिक उपयुक्त प्रबंधक को माना जाता है जो स्वाभाविक है, इसलिए कि प्रबंधक एवं कर्मचारी को आपस में मिलने-जुलने के अधिक अवसर होते हैं, प्रबंधक कर्मचारियों के मजबूत एवं कमजोर पक्ष की समझ रखता है एवं उसे यह भी मालूम होता है कि कर्मचारियों को किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है।

कोच के रूप में प्रबंधक की अवधारणा, कार्य के दौरान प्रबंधक द्वारा अपनी टीम सदस्यों के प्रति दर्शाने वाले व्यवहार से जुड़ी है। इस अवधारणा में वे सभी कार्य शामिल हैं जिनकी अपेक्षा एक कोचिंग उन्मुख प्रबंधक से की जाती है। कोच के रूप में प्रबंधक का आशय प्रबंधन को दरकिनार कर केवल कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि प्रबंधन शैली में कोचिंग को समाविष्ट करना है। इस मॉडल के अनुसार प्रबंधक के लिए उसकी टीम के सदस्य विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वाह करने वाले तो हैं ही, भावनाओं एवं संवेदनाओं से युक्त मानव रूपी प्राणी भी हैं। प्रबंधक अपने इस रूप में जहां इन सदस्यों से कतिपय अपेक्षाएं रखता है, वहीं कोच के रूप में इस संसाधन की गुणवत्ता एवं उपादेयता बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। प्रबंधक की अपेक्षा होती है कि कर्मचारी संगठन में अपने दायित्वों को जाने, उनका निर्वाह करे एवं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे। प्रबंधक का कार्य कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करना, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश देना एवं उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना होता है।

कोचिंग उन्मुख प्रबंधक भी यह सारे कार्य करता है। लेकिन

इनसे आगे बढ़कर वह कुछ और करता है जो उसकी भूमिका को कहीं अधिक मानवीय एवं सर्वांगीण बनाते हैं। ऐसा प्रबंधक संगठन व कर्मचारी के बीच के संविदात्मक संबंधों के दायरे से आगे आकर कर्मचारी के लिए निम्नलिखित प्रकार से उद्देश्य प्रस्तुत करता है -

- संगठन को समझने व संगठन के भीतर संबंध विकसित करने में कर्मचारी की मदद करना,
- कर्मचारी की दूसरों पर निर्भरता को कम करना,
- महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से पूर्व संबंधित पहलुओं व पृष्ठभूमि को समझने में कर्मचारी की मदद करना,
- कार्य सौंपने, भूमिका स्पष्ट करने और लक्ष्य आबंटित करते समय संदर्भ एवं आधार को पूरी तरह स्पष्ट करना,
- जहां तक संभव हो कर्मचारी को उसकी अभिरुचि के अनुसार कार्य देना, एवं
- कर्मचारी को अपने कैरियर का लक्ष्य समझने व इससे जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करना।

कोच के रूप में प्रबंधक कर्मचारी से परिणाम की अपेक्षा तो करता है पर इससे अधिक वह कर्मचारी को सफलता के पथ पर अग्रसर होते देखना चाहता है। इसके लिए प्रबंधक नीचे दिए गए उपायों को अपना सकता है -

- कर्मचारी के प्रति सम्मान व सद्भाव प्रदर्शित करना तथा भाषा, लिंग, योग्यता आदि को लेकर कोई भेदभाव न करना,
- कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना एवं आवश्यक तकनीकी व अन्य कुशलताओं से युक्त करना,
- कर्मचारी आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से उसे समस्याओं का हल खुद ढूंढने को प्रेरित करना और जहां कर्मचारी को इसमें मुश्किल आए, उसे संभावित समाधान सुझाना,
- कर्मचारी को उन धारणाओं से छुटकारा दिलाना जो उसे

अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं करने देती अथवा उसके कार्य निष्पादन में रुकावटें खड़ी करती हैं, एवं

- कर्मचारी के कार्य के असंतोषजनक होने पर उसका ध्यान उस पर इस तरह दिलाना कि उसमें हीन भावना न आने पाए, संबंधों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े तथा अच्छे संबंध बने रहें।

प्रबंधक जब कोच की भूमिका में होता है तो वह कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ उसके विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देता है जिस हेतु उसके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

- कर्मचारी को अपने लिए विकास योजना एवं व्यावहारिक रणनीतियां बनाने में मदद करना,
- विकास योजना के सापेक्ष कर्मचारी की प्रगति पर नजर रखना एवं उसे उचित फीडबैक एवं मार्गदर्शन प्रदान करना,
- कर्मचारी को सीखने व ज्ञान बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना एवं उसे ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना जिनसे वह सीखे एवं उसकी क्षमताएं उभर कर सामने आएँ,
- जो क्षमताएं अथवा कुशलताएं कर्मचारी खुद में विकसित करना चाहता है उनमें से कम से कम कुछ के बारे में रोल मॉडल की भूमिका निभाना, एवं
- संगठन के भीतर और बाहर कर्मचारी को विकास हेतु साधन उपलब्ध करना।

उपर्युक्त में से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्रबंधक के दैनंदिन कार्य से अलग करके देखा जाए। ये सारे कार्यकलाप ऐसे हैं जिनका आकलन किया जा सकता है। मतलब यह कि कर्मचारी प्रबंधक के साथ कार्य करते हुए यह देख सकता है कि प्रबंधक कोच की भूमिका निभा रहा है या नहीं। जिन प्रबंधकों ने कोचिंग करने से खुद को अभी तक दूर रखा था उन्हें शुरू में थोड़ी समस्या आ सकती है परंतु अभ्यास से धीरे-धीरे कोचिंग उनकी आदत में शुमार हो जाएगी। कोच के रूप में प्रबंधक

का व्यवहार सहज एवं स्वाभाविक प्रतीत होना चाहिए, ओढ़ा हुआ नहीं।

जैसे कर्मचारियों से उनकी भूमिका के निर्वाह हेतु उनमें कतिपय क्षमताओं के होने की अपेक्षा की जाती है उसी प्रकार प्रबंधक को अच्छा कोच बनने के लिए कुछ बातों पर ध्यान जरूरी है। कोचिंग को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे संगठन के लिए मानव संसाधन विकास के एक सामरिक साधन के रूप में अंगीकार करना चाहिए। अतः यह जरूरी है कि प्रबंधक कोच के रूप में अपनी भूमिका को पूरी गंभीरता से लें।

प्रबंधकों एवं नेताओं के लिए स्वप्रबंधन के महत्त्व पर पीटर ड्रुकर एवं कई विद्वानों ने जोर दिया है। कोच के लिए भी स्वप्रबंधन महत्त्वपूर्ण है। स्वप्रबंधन में शामिल हैं - अपने बारे में जानना, अपने व्यवहार की समीक्षा करना तथा इस पर निगरानी रखना। सोच को परिपक्व होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं झलकना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ऊंचा स्तर रखने वाले लोक स्वप्रबंधन बेहतर तरीके से कर पाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता होने का अर्थ है अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, संबंध बनाना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य न खोना आदि। कोचिंग में प्रबंधक का कारगर होना बहुत कुछ अंतर वैयक्तिक संबंधों में उसकी कुशलता पर निर्भर करेगा जिसका आधार स्वप्रबंधन है।

मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में आज एम्प्लॉई एंगेजमेंट की बड़ी चर्चा है। एम्प्लॉई एंगेजमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब कर्मचारी संगठन एवं इसमें अपने कार्य के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कोच के रूप में प्रबंधक को भी ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें प्रबंधक व टीम सदस्यों के बीच जुड़ाव हो। यह तब मुमकिन होगा जब प्रबंधक अपने टीम की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हो और दोनों के बीच अच्छा तालमेल हो। आपसी विश्वास का वातावरण निर्मित कर प्रबंधक यदि अपने कर्मचारियों को ध्यान

से सुनता है, उनके प्रति सम्मान दर्शाता है तो ऐसा जुड़ाव अथवा लगाव उत्पन्न करना आसान होगा।

प्रबंधक को वैसे भी कार्योंन्मुख होना है और कोच के रूप में भी। लक्ष्य निर्धारित करने, इसे हासिल करने हेतु रणनीतियां बनाने, स्थितियों का विश्लेषण करने, परिणामों पर नजर रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने और इन सब में अपनी टीम को शामिल करने में प्रबंधक को सक्षम होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि समस्त नीतियां एवं रणनीतियां प्रबंधक द्वारा ही तैयार की जाए, कुछ जिम्मेदारी टीम के सदस्यों को भी सौंपी जा सकती है। हां, प्रबंधक को चाहिए कि अपनी निर्देशात्मक भूमिका को सीमित रख वह टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करे ताकि परिणाम हासिल करना आसान हो। आखिरकार प्रबंधक व टीम का अंतिम उद्देश्य लक्ष्य या परिणाम हासिल करना ही होता है।

कोचिंग को संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। ऐसी संस्कृति स्थापित करने की पहल शीर्ष प्रबंधन को करनी होगी, पर संस्कृति को आगे बढ़ाने में बाकी प्रबंधकों की भूमिका को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता।

बैंकिंग कारोबार में शाखाएं परिचालनात्मक इकाई होती हैं। शाखा प्रबंधक इस इकाई के समग्र निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंज़ोली एवं बड़ी शाखाओं में शाखा प्रबंधक के बाद निचले स्तर पर भी प्रबंधक होते हैं। बैंक शाखाओं में वरिष्ठों, सहकर्मियों से सीखने की परंपरा शुरू से रही है जो वरिष्ठों द्वारा कनिष्ठों को दी जाने वाली कोचिंग का ही एक रूप है। हमारे बैंकों की अधिकांश शाखाओं में अच्छा टीम वर्क है और लोग एक दूसरे से सीख कर काम करते हैं। इसी संस्कृति को व्यापक बना कर कोचिंग को मजबूती से स्थापित करने की जरूरत है। बैंकों में प्रबंधक यदि खुद को प्रबंधक के साथ कोच के रूप में देखेंगे तो बैंक कोचिंग की शक्ति और इसमें मौजूद संभावनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

○○○

सरकार की विकासोन्मुख 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' और उसका प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या गरीब एवं अशिक्षितों को रुपया उधार न मिलने की है। उन्हें न तो महाजन अथवा साहूकार और न ही बैंक रुपया उधार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कृषि भूमि अथवा जमानती सामान कम होता है जिसके कारण ऋण लेने के बाद उसको चुकाने की क्षमता उनके पास नहीं होती। परिणामस्वरूप उन्हें अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे ही व्यतीत करना पड़ता है। ग्रामीण लोगों की साक्षरता का स्तर नीचा होने के कारण वे शिक्षा के अभाव में सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। आज भी ग्रामीण लोगों में ऋण लेना सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सिर्फ 59 प्रतिशत परिवारों के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। शहरों में 68 प्रतिशत और गांव में 54 प्रतिशत परिवारों की पहुंच ही बैंकिंग सुविधा तक है, अर्थात् आजादी के छह दशक बीतने पर भी देश की करीब आठ करोड़ शहरी और ढाई करोड़ ग्रामीण आबादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। जिस देश की आबादी का

एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं से अछूता हो, वहां गरीबी के कुचक्र को तोड़ पाना नामुमकिन है। बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों और मजदूरों का साहूकारों के चंगुल में फंसना एक कटु सत्य है। वे मामूली कर्ज भी लेते हैं, तो उसके बदले साहूकार अथवा महाजन को कई गुना ज्यादा ब्याज चुकाते हैं।

हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विकासोन्मुख 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' का शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को किया गया है। बैंक खाता उपलब्ध करा देने से गरीबी खत्म हो जाने की गारंटी तो नहीं है किन्तु यह उनके विकास में सहायक अवश्य है। जहां बैंक खाता न होने के कारण जरूरतमंदों के हिस्से की सब्सिडी पर सेंध लगाने का सिलसिला बरकरार है, वहां एक ऐसी योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ-साथ कमजोर वर्ग को इससे पहचान भी मिलेगी तथा उन महिलाओं को भी फायदा होगा जो घर में कड़ी मेहनत कर अपनी कमाई को नहीं बचा पातीं। खाता खुलवाने का सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि गरीब लोग जरूरत पड़ने पर बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण ले पाएंगे। इस योजना के तहत लगभग सात हजार शाखाएं और बीस हजार एटीएम खुलेंगे। साढ़े सात करोड़ लोगों का बीमा होने से बीमा क्षेत्र को भी काफी फायदा होगा।



डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह¹



वैभव सिंह²

¹ एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (उप्र)

² प्रोबेशनरी ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक, दुबरी (असम)

'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' की शुरुआत कई मामलों में ऐतिहासिक है। इसमें आर्थिक विकास को एक जनान्दोलन का रूप देने की कोशिश की गई है। इस योजना का सूत्र वाक्य 'मेरा खाता, भाग्य विधाता' रखा गया है। वित्तीय समावेशन

की इस योजना का सामाजिक उद्देश्य आर्थिक छुआछूत को मिटाना है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंक अधिकारियों को सात लाख पच्चीस हजार ईमेल भेजे गये तथा वित्त मंत्रालय ने भी अथक प्रयास कर इस योजना के तहत साढ़े सात करोड़ परिवारों के बैंक खाते 26 जनवरी 2015 से पहले खोलने का लक्ष्य निश्चित किया गया था, जबकि वर्ष 2018 तक प्रत्येक परिवार में कम से कम दो लोगों का खाता अपेक्षित होगा। अतः कुल पंद्रह करोड़ खाते खोले जाएंगे। इसके तहत मात्र वे लोग शामिल होंगे जिनके पास एक भी बैंक खाता नहीं है।

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ का उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना तथा ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग को विकास की धारा में लाना है। सरकार द्वारा इन खातों के माध्यम से लाभों के नकद अंतरण की योजनाएं, छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा, खाद्य एवं उर्वरक अनुदान तथा सर्व शिक्षा अभियान आदि जैसे मामलों में भुगतान किए जाएंगे जिससे उनके वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

बैंकों ने देश भर में छह सौ केंद्रों पर सतहत्तर हजार से ज्यादा कैंप लगाकर ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ के तहत एक करोड़ चौरासी लाख अड़सठ हजार खाते पहले ही दिन खोले हैं। अब सरकार हर हफ्ते बैंकों के जरिये कैंप लगाने की तैयारी में है। बैंकों के सामने प्रतिदिन खाता खोलने के अलावा हर शनिवार को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक विशेष कैंप लगाकर 26 जनवरी 2015 तक साढ़े सात करोड़ लोगों के खाते खोलने का लक्ष्य है।

इन खातों के तहत प्रत्येक खातेदार को जीरो बैलेन्स पर खाता खुलवाने की सुविधा, ‘रुपे डेबिट कार्ड’ दिया जाना, खाता खोलने पर एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 26 जनवरी 2015 से पहले खाता खोलने पर तीस हजार रुपये का अतिरिक्त जीवन बीमा का लाभ, छह महीने तक बेहतर तरीके से खाता संचालित करने वालों को पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट

सुविधा, खाते से ऋण की सुविधा तथा दूसरे चरण में पेंशन माइक्रो इन्श्योरेंस उत्पाद की सुविधा भी मिलेगी। अगर आपका बैंक में पहले से ही खाता है लेकिन रुपे डेबिट कार्ड नहीं है तो दुबारा खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो खाता पहले से है उस पर ही आप अपना रुपे डेबिट कार्ड ले सकते हैं। ऐसे सभी कार्डों पर एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना उपलब्ध है। इन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, पैसों की सुरक्षा के साथ-साथ ब्याज भी मिलेगा तथा डेबिट कार्ड के जरिये किसी भी एटीएम से पैसा भी निकाला जा सकता है। भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजना एवं यदि आप हिताधिकारी हैं, तो सरकारी योजनाओं की राशि खाते में सीधे पाना, इसकी विशेषताएं हैं।

बैंक में खाता खोलने के लिए यदि आपके पास आधार कार्ड है तो किसी भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पता बदल गया है तो अपने वर्तमान पते से संबंधित वैध दस्तावेज को स्वप्रमाणित करके देना आवश्यक है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्राधिकृत जन प्राधिकारी अथवा लोक सेवक व सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से किसी एक को जमा कर सकते हैं। पहचान के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान का पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड में से कोई एक दिया जा सकता है। पते के सत्यापन के लिए बिजली या टेलीफोन का बिल, जन्म या विवाह का प्रमाण-पत्र, इनमें से कोई एक जमा किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई सरकारी दस्तावेज पहचान के लिए नहीं है तो भी भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर अपना स्वहस्ताक्षरित फोटो और बैंक अधिकारी के सामने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर अपना खाता खुलवा सकता है। हालांकि खाते को चालू रखने के लिए खाताधारक को एक साल के भीतर अपनी पहचान के लिए सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका खाता बंद किया जा सकेगा। अभी भी देश के एक बड़े हिस्से के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड,

लाइसेंस, निवास स्थान प्रमाण-पत्र आदि नहीं हैं, जो बैंक में खाता खोलने में जरूरी होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिना सरकारी दस्तावेज से खुलने वाले खातों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। इन खातों को छोटा खाता कहा जाएगा, इसके अलावा इन खातों के आधार पर साल में एक लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज नहीं दिया जा सकेगा। इसी तरह महीने में दस हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाली जा सकती है। साथ ही, किसी भी समय खाते में पचास हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं रखी जा सकती है। ऐसे लोग जिनके पास आईडी प्रूफ है, लेकिन जहां वे रहते हैं, उसका प्रमाण-पत्र नहीं है, तो वे लोग अपने गांव या जहां का उनके पास स्थायी निवास प्रमाण-पत्र है, उसके जरिये भी अपना खाता खुलवा सकेंगे।

इस योजना से नए रोजगार का निर्माण भी होगा। पंद्रह करोड़ खाते खोलने के लिए बैंक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत पचास हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत लोगों का खाता खोलने के लिए बैंक मित्रों को न्यूनतम पांच हजार रुपये का स्थायी वेतन मिलेगा। साथ ही, खातों में लेनदेन पर अलग से कमीशन भी दिया जाएगा तथा बैंक मित्रों को कम्प्यूटर, वाहन आदि खरीदने के लिए एक लाख पच्चीस हजार रुपये तक ऋण भी दिया जा सकेगा। इसमें पचास हजार रुपये उपकरण के लिए, पच्चीस हजार रुपये कार्यशील पूंजी के लिए और पचास हजार रुपये वाहन के लिए ऋण होगा। यह ऋण पैंतीस महीने से लेकर साठ महीने तक की अवधि के लिए होगा। ऋण के लिए अठारह साल से साठ साल की उम्र के लोग ही पात्र होंगे। बैंक मित्र हेतु सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, शिक्षक एवं सेना के व्यक्ति पात्र होंगे। कैमिस्ट एवं किराना शॉप, पेट्रोल पंप, स्वयं सहायता समूह, पीसीओ, कॉमन सर्विस सेंटर आदि भी बैंक मित्र के रूप में काम कर सकेंगे।

सरकार की ओर से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' से देश में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग कवरेज का विस्तार होगा तथा लालची एवं गैरकानूनी स्कीमों से निपटने

में सहायता मिलेगी, बचत के अच्छे उत्पाद नहीं रहने के चलते एजेंट बीस से तीस प्रतिशत तक कमीशन की लालच में भोले-भाले निवेशकों को गैरकानूनी निवेश योजनाओं में फंसाते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों, जहां बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कम है, में बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी तरीकों से धन जुटाने वाली योजनाओं में चिट फंड कंपनियों द्वारा ऊंचे रिटर्न का वायदा कर फंसाया गया है।

सरकार की विकासोन्मुख योजनाओं में प्रधानमंत्री जन-धन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल किए गए हैं। साधनहीन लोगों के पास बैंक खाते होने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता अब संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। योजना के शुरुआती दौर में जिस तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग खाता खुलवाने के लिए आगे आए हैं, वह इस बात का परिचायक है कि लोग सदियों से पड़ी आर्थिक बेड़ियां तोड़कर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। देश की उन्नति में गरीबों की समान भागीदारी तभी संभव है, जब समाज के सभी वर्ग अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल हों। बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दुर्घटना बीमा के लिए सरकार में निजी क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी एरगो (HDFC ERGO) के साथ समझौता किया है, जबकि जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ करार किया गया है। साहूकारों के चंगुल से निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका खाताधारकों को मिलेगा। गरीबों के पास खाता होने पर सरकारी योजनाओं की धनराशि भी सीधे उनके खाते में हस्तान्तरित की जाएगी जिससे भ्रष्टाचार खत्म होने की भी पूरी-पूरी उम्मीद है। अतः इसके लिए 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' को पूर्णतः प्रभावी तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है।

○○○

सरकारी बैंकों के एकीकरण की प्रासंगिकता

एक दशक से भी ज्यादा लंबे समय तक बहस के बाद अब सरकार ने मान लिया है कि छोटे सरकारी बैंकों को आपस में मिलाकर बड़े बैंकों का निर्माण आवश्यक है। इसलिए, सरकारी बैंकों के आपस में विलय के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में पुरानी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस क्रम में वित्त मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को बैंकों के विलय एवं पुनःपूँजीकरण की संभावना तलाशने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही, सरकार ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर सरकार को सुपुर्द करे।

सरकारी बैंकों को आपस में मिलाकर बड़े संस्थान में तब्दील करने की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लंबे समय तक चलने की संभावना है। वर्ष 2003 के बाद से इस मुद्दे पर कई बार विचार किया गया, लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं



सतीश कुमार सिंह
प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
पटना

तैयार की जा सकी। जानकारों के अनुसार सरकार के पास सरकारी बैंकों के विलय के संबंध में अनेक सुझाव हैं, जिसमें सबसे व्यावहारिक सुझाव आर.एस. गुजराल की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट है। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी 2012 में दी थी, जिसमें मौजूदा 26 सरकारी बैंकों को आपस में मिलाकर 7 बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था।

गुजराल समिति के अनुसार विलय के पश्चात संभावित सरकारी बैंकों को सात समूहों में विभाजित किया जा सकता है। मसलन, समूह एक में भारतीय स्टेट बैंक और उसके 5 सहयोगी बैंक, जैसे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, समूह दो में पंजाब नैशनल बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, समूह तीन में बैंक ऑफ़ बड़ौदा, यूको बैंक एवं आईडीबीआई बैंक, समूह चार में बैंक ऑफ़ इंडिया, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स तथा आन्ध्रा बैंक, समूह पांच में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक, समूह छह में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, तथा समूह सात में केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कार्पोरेशन बैंक एवं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक आदि।

बता दें कि गुजराल समिति ने मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, आंतरिक लेखा-परीक्षा, धोखाधड़ी, सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) एवं वसूली को आधार बनाकर वाणिज्यिक बैंकों को सात समूह में बांटने का प्रस्ताव रखा था। भारत में फिलहाल 7 बड़े आकार एवं पूँजी वाले बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़

इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बड़े बैंक हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विलय के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। गुजराल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विलय से पहले इन बैंकों के बीच समन्वय की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि विलय के बाद इन बैंकों के लिए फंड जुटाना आसान हो सके। नए जोखिम मानकों के मुताबिक बैंकों को 10 सालों में 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटानी होगी, जिसमें से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये का इंतजाम सरकार को करना होगा।

कारोबार की दुनिया में विलय-अधिग्रहण एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बैंकों के विलय में जोखिम के मायने अलग हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकों को बासेल III के मानकों को 2018 तक पूरा करना है और एक अनुमान के अनुसार सरकारी बैंकों को बासेल III के मानकों को पूरा करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। इसलिए बासेल III के मानकों को पूरा करने में सरकारी बैंकों को कठिनाई का सामना करना होगा। सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए देश में बड़े एवं विश्वस्तरीय बैंकों की ज़रूरत है। इस क्रम में सरकार का कहना है कि बैंकों के विलय को शंका की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। मौजूदा समय में सरकारी बैंकों का आपस में विलय करना सभी के हित में है।

मालूम हो कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय क्रमशः 2008 एवं 2010 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक की आपत्ति के बावजूद सरकार 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय कर चुकी है। आरआरबी के विलय के पीछे सरकार का तर्क था कि आरआरबी की शाखाओं की संख्या कम होने के कारण उनके परिचालन की लागत अधिक थी और वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से

छोटे स्तर के बैंक बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। विलय के विरोध में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आरआरबी की सभी शाखाओं को मिलाकर बैंकों की कुल 40 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसमें निजी और विदेशी बैंकों की सहभागिता नगण्य है। यहां बताना जरूरी है कि आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने के लिए की गई थी।

विलय के बाद मानव संसाधन स्तर पर भारी असंतोष पनपने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर छोटे स्तर के बैंक थे। मानव संसाधन के योग्य और कुशल होने के बावजूद भी इन दोनों बैंकों के अधिकारियों के पदानुसार उनकी वरीयता में एक साल से तीन साल तक की कमी की गई। रोजगार के संकट के दौर में इस तरह की विसंगति मायने नहीं रखती है, परंतु जो अधिकारी कैरियर में आसमान को छूना चाहते हैं, उनके सपने कैसे उड़ान भरेंगे? पूर्व में हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र के ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी), न्यू बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक (यूडब्लूबी) का भी क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नैशनल बैंक एवं आईडीबीआई में विलय किया गया है। विलय के समर्थन में कहा गया कि अतार्किक तरीके से ऋण बांटने के कारण दोनों बैंक घाटे में चले गये थे और जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनका विलय ही एकमात्र विकल्प था।

देश में 6-7 बड़े बैंक हो जाने के बाद बैंकों की मनमानी से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे बड़े एवं विविधतापूर्ण देश में बैंकिंग की सुविधा गली-मोहल्लों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के लिए आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बैंकों के विलय के बाद वित्तीय समावेशन के प्रति प्रस्तावित बड़े बैंकों का रुख किस तरह का होगा, इसका खुलासा वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

ज्ञात हो कि मानव संसाधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वेतन व भत्ते, प्रणाली, आदि का एकीकरण आसान नहीं है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव, यूनियन को विलय के लिए राजी करना, मानव संसाधन का फिटमेंट, विसंगति की स्थिति में हरजाने की व्यवस्था आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान ढूंढना बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पूर्व में दो सरकारी उपक्रमों एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय में सबसे बड़ा रोड़ा मानव संसाधन का एकीकरण ही रहा है।

संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के चलते पिछले कुछ सालों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) ने सरकारी बैंकों के मुनाफे में जबरदस्त सेंध लगाया है और बैंक पूंजी के अभाव में ऋण वितरण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मार्च 2014 में बैंकों का एनपीए बढ़कर 2.45 लाख करोड़ हो गया है। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री सुब्बाराव के मुताबिक सरकारी बैंकों को आने वाले सालों में तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपये की ज़रूरत होगी। माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना सरकारी बैंकों और सरकार दोनों के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि 2013-14 में राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत था और 2014-15 में इसके 4.1 प्रतिशत रहने की आशा है।

श्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी, लेकिन पूंजी इकट्ठा करने के लिए सरकार सरकारी बैंकों में से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में क्रमशः 58.60 एवं 58.87 प्रतिशत हिस्सा सरकार का है, जबकि दूसरे सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 56.26 से 88.63 प्रतिशत है। वर्ष 2014 के नवंबर महीने से सरकार सरकारी बैंकों में से अपनी हिस्सेदारी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिये कम कर सकती है।

इधर, रिज़र्व बैंक का मानना है कि देश में 4-6 बड़े बैंक होने चाहिए, ताकि उनके फेल होने की संभावना नहीं रहे। फिलहाल, सरकारी बैंक पूंजी की कमी और एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। दोनों समस्याएं बड़ी हैं, जिनका विकल्प सरकारी बैंकों का एकीकरण हो सकता है, लेकिन सरकारी बैंकों के एकीकरण के बाद भी उनका फलक विदेशी बैंकों से बहुत कम होगा। मसलन, अमेरिका के 8 बैंकों की समग्र पूंजी वहां के जीडीपी का 60 प्रतिशत है। वहीं, इंग्लैंड और फ्रांस के चार बैंकों की समग्र पूंजी उनके देशों के जीडीपी का 300 प्रतिशत है, जबकि भारत में प्रस्तावित 6-7 बैंकों की समग्र पूंजी देश के जीडीपी का महज एक तिहाई होगा। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मार्गन की पूंजी 2415 बिलियन यूएस डॉलर है, जो भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक से आठ गुना ज्यादा है। इसके अलावा भारत में ऋण वितरण की प्रणाली विदेशी बैंकों की तुलना में सुरक्षित है तथा ऋण का एक्सपोजर विदेशों में न्यून है। इसी वजह से वैश्विक स्तर पर जब बड़े बैंक फेल होने के कगार पर पहुंच गए थे, तब भी भारतीय बैंक वैश्विक संकट से बचे हुए थे।

इस पड़ताल से स्पष्ट है कि बड़ा बैंक होना सफलता की गारंटी नहीं है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप का तानाबाना चीन, अमेरिका या यूरोपीय देशों से मेल नहीं खाता है। लाख शहरीकरण के बाद भी देश की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रहती है। अतः उनको साथ में लिए बिना आर्थिक रूप से विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसे देखते हुए बेहतर पूंजी प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता का समावेश, वसूली के मामले में ईमानदारीपूर्वक प्रयास, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं कुशल मानव संसाधन की मदद से कम पूंजी के बलबूते छोटे बैंक भी शानदार परिणाम दे सकते हैं। साथ ही, इससे बासेल III के मानकों को भी पूरा किया जा सकता है।

○○○

बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस

बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, यथा अमेरिका और ब्रिटेन में एनरॉन, वर्ल्डकॉम, जैरोक्स तथा बीसीसीआई बैंक में घोटालों एवं धोखाधड़ी की घटनाएं हुईं। इन घटनाओं का कारण लेखांकन मानदंडों में पारदर्शिता की कमी, नैतिक जवाबदेही का हास और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की कमी थी। इन घटनाओं के चलते विश्व वित्तीय संकट का शिकार हुआ। वैश्विक वित्तीय संकट की इस पृष्ठभूमि ने विश्व भर में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली की मांग उठी। विश्व भर में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना, इसकी आवश्यकता और इसके स्वरूप के निर्धारण पर चर्चा होने लगी।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार “बेहतर कॉरपोरेट संचालन (गवर्नेंस) एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्यावसायिक नियमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है”। उसके अनुसार “कॉरपोरेट गवर्नेंस संगठन के विभिन्न घटकों जैसे बोर्ड, प्रबंधन, शेयरधारकों, अन्य पणधारकों के बीच अधिकारों और दायित्वों के वितरण को निर्दिष्ट करता है तथा कॉरपोरेट कार्यों में निर्णय लेने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाता है। वस्तुतः कॉरपोरेट गवर्नेंस ऐसी प्रक्रिया उपलब्ध कराता



डॉ. जयकरण हीरेकर

प्रबंधक (राजभाषा)

स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

है जिसके माध्यम से संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और साथ ही, यह इन उद्देश्यों के प्रति कार्य-निष्पादन के साधन भी उपलब्ध कराता है। इन्फोसिस के मुख्य मेंटर श्री जे. नारायणमूर्ति के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्वोत्तम संव्यवहारों की संहिता है जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट आधारों पर चलाए जा रहे किसी संगठन में कंपनियों की ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।”

कॉरपोरेट गवर्नेंस न केवल संगठन या बैंक विशेष के लिए बल्कि जिस अर्थव्यवस्था में ये कार्य कर रहे हैं उसकी सुदृढ़ता और विकास के लिए भी आवश्यक है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमुख मानक - पारदर्शिता, स्वतंत्रता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, ईमानदारी और निष्ठा हैं। संक्षेप में कॉरपोरेट गवर्नेंस - “प्रबंधन तंत्र में पूर्ण पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही की मांग करती है, साथ ही, शेयरधारकों/पणधारकों के साथ-साथ सार्वजनिक या सामुदायिक दायित्व के ईमानदारी से निर्वाह पर जोर देती है। वस्तुतः बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस न केवल कंपनियों के लिए बल्कि इसके शेयरधारकों/पणधारकों और समाज तथा राष्ट्र के विकास व प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।”

बैंक देश की वित्तीय संरचना का महत्वपूर्ण घटक है। बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। बैंक वित्तीय मध्यस्थता के महत्वपूर्ण साधन हैं। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंक के महत्व को इस तथ्य से समझ सकते हैं कि देश की किसी महत्वपूर्ण कंपनी के विफल होने से संबंधित कंपनी के कर्मचारियों और उसके शेयरधारकों को हानि पहुंचती है जबकि किसी महत्वपूर्ण बैंक के विफल होने का प्रभाव उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों के साथ-साथ इसका नकारात्मक प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अतः बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंकों के साथ-साथ

पूरे राष्ट्र के लिए अपरिहार्य है। बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मूल स्वर को रेखांकित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. विमल जालान ने कहा “बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन एवं समय रहते चेतावनी सिग्नल या संकेत को पहचान कर उसके लिए शीघ्र निवारक उपाय कर बैंक को विफल होने से बचाना बैंकों के बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल है।”

आज बैंक का परिचालन क्षेत्र राज्य एवं राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर वैश्विक हो गया है। ऐसे में बैंकों का आर्थिक/वित्तीय महत्त्व राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर वैश्विक हो गया है। यही कारण है कि भारतीय बैंकों का परिचालन हमारे देश के सरकारी तंत्रों के साथ-साथ वैश्विक नीतियों व मानदंडों द्वारा भी शासित होता है। इसका सुंदर उदाहरण वर्तमान में भारतीय बैंकों पर बासेल समिति के मानदंडों का बाध्यकारी होना है।

बासेल समिति ने बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस समिति ने सितंबर 1998 में जारी अपनी रिपोर्ट में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन एवं बैंकिंग संव्यवहार में पारदर्शिता लाने और जुलाई 1999 की रिपोर्ट में ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए मानदंड एवं दिशा-निर्देश जारी किया है। बासेल समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उसके अनुसार बैंकिंग उद्योग में प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना बैंकिंग पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी है। समिति का दृढ़ अभिमत है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में उपयुक्त उत्तरदायित्व का निर्धारण, जांच-बिंदुओं का निर्धारण तथा संतुलनकारी प्रक्रिया स्थापित करना अनिवार्य है।

भारतीय बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय का दोहरा नियंत्रण होता है। ये नियमित रूप से बैंकों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा, निरीक्षण एवं निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस में बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा करने के लिए श्री ए.एस. गांगुली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने अप्रैल 2002 में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की। इस समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं -

- बोर्ड में प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली, विपणन तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता रखनेवाले सदस्य हों। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा प्रस्तावित निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
- बोर्ड के सदस्यों का चुनाव उनकी योग्यता, अनुभव और उनके पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर हो। प्रत्येक निदेशक से इस आशय का वचनपत्र लें कि उन्होंने निदेशकों की भूमिका और जवाबदेही को परिभाषित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ा और अपने दायित्व को समझा है।
- बैंकों के निदेशकों की आयु सीमा 35 से 65 के बीच होनी चाहिए। उन्हें संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- बैंक के प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक के साथ करार किया जाए, जिसमें उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
- बोर्ड के सदस्यों का चयन बोर्ड के नामांकन समिति द्वारा किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक पात्र उम्मीदवारों की सूची मात्र बनाए।
- आवश्यकता के अनुसार बोर्ड के निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- निदेशक मंडल से संबद्ध विभिन्न समितियों यथा लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, प्रतिपूर्ति समिति और नामांकन समिति का गठन किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गांगुली समिति की अधिकांश सिफ़ारिशों को लागू किया है। इससे बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि बासेल समिति की रिपोर्टों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप बैंक के निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारों एवं जवाबदेही को परिभाषित करे और संगठन में ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे कि सभी आवश्यक सूचनाएं उसे उपयुक्त समय पर मिलती रहें। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने एवं प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करना बैंकों के लिए अनिवार्य शर्त है। बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए

निम्नलिखित चार स्तरों पर पर्यवेक्षण प्रणालियों को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है -

1. निदेशक मंडल अथवा पर्यवेक्षक बोर्डों द्वारा निगरानी।
2. विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों को चलाने के लिए दिन-प्रति-दिन के कार्यों से न जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा निगरानी।
3. विभिन्न कारोबारी क्षेत्र के पर्यवेक्षण की प्रत्यक्ष प्रणालियां।
4. स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा संबंधी कार्य।

बैंक के निदेशक मंडल को चाहिए कि वह बैंक के समग्र परिचालन/निष्पादन/व्यवसाय में अनवरत रूप से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए -

- अपनी पर्यवेक्षी भूमिका और बैंक के प्रति इसके शेयरधारकों की निष्ठा की अनिवार्यता को समझे।
- बैंक के दैनिक प्रबंधक की अपेक्षा नियंत्रणकारी हैसियत में कार्य करे।
- प्रबंधन तंत्र से स्पष्टीकरण मांगने के अधिकार के प्रति सचेत रहे एवं आवश्यक होने पर प्रबंधन तंत्र से वांछित स्पष्टीकरण मांगे।
- निष्पक्ष परामर्श दे।
- अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन न करे।
- अपनी गतिविधियों में और दूसरे संगठनों के प्रति अपनी वचनबद्धता में, हितों के टकराव से बचे।
- वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और आंतरिक लेखापरीक्षकों से नियमित रूप से मिले ताकि उनके नीतिगत सिफारिशों को लागू कर संगठन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और प्रगति पर नजर रखा जा सके।
- उन निर्णयों से स्वयं को अलग रखे, जिनमें वस्तुनिष्ठ रूप से सलाह देने में असमर्थ हैं।
- बैंक के दैनिक कार्यों के प्रबंधन से स्वयं को अलग रखे।

बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए स्वयं बैंक के कार्यपालकों, कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और लिखतों में, जवाबदेही में, उत्पादों के ग्राहकीकरण

में, लेखापरीक्षा पारदर्शिता, निधियों के प्रबंधन, भुगतान प्रणालियों के नवोन्मेषन, निगरानी तथा प्रबंधन में दक्षता और कौशल लाया जाना आवश्यक है।

बैंकों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का योगदान भी आवश्यक है। यह आवश्यक कि वे -

- उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दें ताकि ग्राहकों को संतुष्ट रखकर अधिक से अधिक व्यवसाय बढ़ाया जा सके।
- बैंकिंग व्यवसाय के प्रति समर्पण एवं निष्ठा का भाव हो ताकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता और कर्मचारी लाभप्रदता में वृद्धि हो।
- सूचना (बैंक की सेवाओं और इसके उत्पादों की) के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान दें।

आर्थिक जगत के विद्वानों का यह मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त निम्नलिखित कमियों को दूर कर ही बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाया जा सकता है -

- सर्वोच्च प्रबंधन की जवाबदेही में कमी,
- लेखापरीक्षकों में पारदर्शिता और प्रकटीकरण का अभाव,
- नैतिक मूल्यों और आचार संहिताओं के अनुपालन में कमी,
- अकुशल प्रबंधन एवं दोषी लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना,
- शेयरधारकों और पणधारकों के हितों के संरक्षण में कोताही बरतने पर निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई व्यवस्था का न होना, एवं
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पास असीमित अधिकार, परंतु जवाबदेही का नहीं होना।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री एस.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए -

- प्रकटीकरण और पारदर्शिता के नियमों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाए।

- लेखापरीक्षकों और सनदी लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा लेखापरीक्षित बैंकों को दिए गए प्रमाणपत्र के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।
 - भेदिया कारोबार, जालसाजी या धोखाधड़ी को रोकने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को कठोर बनाया जाए तथा अपने निर्णयों/अभिमत या निष्कर्षों के लिए उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाए।
 - लेखापरीक्षा और वार्षिक तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते की प्रामाणिकता के लिए अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और लेखापरीक्षा समिति के निदेशक को भी जवाबदेह ठहराया जाए।
 - इरादतन चूक करने एवं गलत प्रमाणपत्र देने के लिए लेखा-परीक्षकों एवं सनदी लेखाकारों को आगे के लिए अपात्र ठहराया जाए।
 - कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी नियम सभी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध बैंकों पर समान रूप से लागू किए जाए।
 - बोर्ड के निदेशकों को उनके दायित्व का ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
 - अपने पद का दुरुपयोग करने वाले या अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाने या अपनी अधिकार-सीमा का उल्लंघन करने वाले अध्यक्ष, निदेशकों, प्राधिकारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सेबी, रिज़र्व बैंक और कॉर्पोरेट कार्य विभाग के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में एक प्राधिकरण की स्थापना की जाए। बैंकिंग लोकपाल के अधिकार को बढ़ाया जाए और उसे पर्याप्त दण्डात्मक अधिकार दिए जाएं।
 - प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए और दंडात्मक प्रावधानों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाए।
 - बैंकों की आर्थिक स्थिति की सही सूचनाएं तिमाही अंतराल पर अनिवार्यतः प्रकाशित की जाएं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इन पहलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है -
- **सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति** : रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक में एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करता है। इस अधिकारी का कार्य उक्त बैंक में किए जानेवाले बड़े-बड़े लेनदेनों, उसके निर्णय और वास्तविक संपत्ति के क्रय-विक्रय पर निगरानी रखना और कहीं संदेह होने पर उसकी सूचना बैंक के प्रबंध निदेशक या निदेशक मंडल को देना है।
 - **निदेशकों की नियुक्ति** : रिज़र्व बैंक बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चयनीय निदेशक को छोड़, अन्य निदेशकों की नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है। ये निदेशक बोर्ड के स्तर पर किए जाने वाले निर्णयों में पारदर्शिता और प्रकटीकरण के साथ-साथ उनमें नेकनियती, ईमानदारी और निष्पक्षता की निगरानी करते हैं।
 - **बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति** : रिज़र्व बैंक प्रायः प्रत्येक राज्य में एक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करता है। इस लोकपाल को बैंक द्वारा की गई कोताही, अधिक वसूली, अनियमित व्यवहार अथवा बैंक स्तर पर की गई ज्यादती की शिकायत की जा सकती है। प्राप्त शिकायत के मामले में बैंकिंग लोकपाल का दिया गया निर्णय बैंकों के लिए मान्य होता है, यद्यपि बैंक इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय जा सकते हैं। रिज़र्व बैंक स्तर पर भी शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
 - **रिकार्डों को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड रूम** : रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्डों, संविदाओं, करारों को वांछित समय तक सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूम बनाने का अनुदेश दिया है।
 - **अपने ग्राहक को जानिए (KYC)** : बैंक में जालसाजी/धोखाधड़ी को रोकने के लिए और काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने “अपने ग्राहक को जानिए” की व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था से बैंक को हर

ग्राहक की पृष्ठभूमि, उसके धंधे तथा उसकी आय के स्रोतों और लेनदेनों की जानकारी मिलती है और जालसाज एवं धोखाबाज ग्राहक की पहचान होने पर बैंक संभावी जालसाजी एवं धोखाधड़ी से बच सकता है।

- **आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण :** रिज़र्व बैंक बैंकों में लेखा-परीक्षक नियुक्त करता है। यह लेखा-परीक्षक का दायित्व है कि वह बैंक में पायी जानेवाली अनियमितता की सूचना रिज़र्व बैंक तथा संबंधित बैंक के निदेशक मंडल को दे।
- **बैंक के निदेशक या बोर्ड को बर्खास्त करना :** किसी बैंक में भारी अनियमितता पाए जाने पर रिज़र्व बैंक उस बैंक के किसी निदेशक को बर्खास्त करने की सिफ़ारिश करता है और आवश्यक होने पर पूरे बोर्ड को बर्खास्त कर नया बोर्ड गठित करने की सिफ़ारिश करता है।
- **जोखिम आधारित पर्यवेक्षण :** रिज़र्व बैंक एवं सेबी ने बैंक और वित्तीय संस्थानों में प्रत्यक्ष निरीक्षण के साथ-साथ परोक्ष पर्यवेक्षण व निगरानी की व्यवस्था की है। साथ ही, जिन बैंकों में जोखिम की संभावना अधिक है, उनके लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की व्यवस्था शुरू की है ताकि बैंक में समय रहते निदानात्मक उपाय करके उनसे निपटा जा सके।
- **वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट देना :** रिज़र्व बैंक एवं सेबी ने बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं - यथा बैंक अपनी सहायक संस्थाओं के लाभ-हानि खाते की बैंक के अध्यक्ष, निदेशकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें; रिपोर्ट में अध्यक्ष, निदेशकों एवं मुख्य लेखाकारों को अदा किए गए वेतन, पारिश्रमिक, परिलब्धियों की जानकारी और बैंक में गठित लेखापरीक्षा समिति, प्रतिभूति समिति और जोखिम समिति की बैठकों की जानकारी दें।
- **अन्य दिशा-निर्देश :** रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इनमें से प्रमुख दिशा-निर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है -

- बैंक, निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें।
- बैंक नीतिगत विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग की स्पष्ट लिखित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करें।
- बोर्ड को पर्याप्त स्टाफ, सूचनाएं, आंकड़े समय रहते उपलब्ध कराए जाएं।
- अध्यक्ष, निदेशक और अधिकारी अपने सभी नीतियों, निर्णयों तथा कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए।
- प्रबंधन की नीतियों, उद्देश्यों, लक्ष्यों की सूचना सभी स्तर पर सभी को दी जाए।
- व्यावसायिक प्रबंधक और नीति-निर्माताओं को अलग रखना चाहिए।
- प्रकटीकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मुद्दों पर जोर दिया जाना चाहिए।
- बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, प्रभावी नियंत्रण द्वारा ऋण को पारदर्शी बनाएं, एवं
- बैंक में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस की सफलता की कुंजी है।

यद्यपि बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस की बातें कहना आसान है परंतु इन्हें अमल में लाना बैंकों के लिए कठिन है। तथापि, संगठन में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करना, आज के समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समय के साथ-साथ अपने व्यवसाय में प्रगति करने और लाभ को बढ़ाने की अनिवार्य शर्त है। अतः प्रत्येक बैंक को चाहिए कि बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस को न केवल गंभीरतापूर्वक लें बल्कि इसे सुनियोजित रूप से कार्यान्वित करें और स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभावी एवं सफल बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक के लिए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौमुखी सफलताओं की राहें खोल देगा बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

○○○

बदलते परिदृश्य में प्रबंधकीय नेतृत्व की अवधारणा

व्यावसायिक क्षेत्र के मौजूदा दौर में सफलता एक निरंतर जारी रहने वाला अभियान है। एक बार लक्ष्यों की प्राप्ति के उपरांत उससे संतुष्ट हो जाना अधोगति की शुरुआत मानी जाती है। आज के वैश्विक बाजार में नित नए लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के लिए अत्यंत जरूरी है। वैसे तो समूची सृष्टि में ही हमेशा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है लेकिन हमारे देश में विगत दो दशकों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कई तरह के नए बदलाव आए हैं। बैंकिंग संस्थाएं संपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। संचार क्रांति के कारण बैंकिंग सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी है। एक बहुत बड़ा नया ग्राहक वर्ग “जेन-नेक्स्ट” बैंकिंग की नई विधाओं के प्रयोग का अग्रणी बना है। लगभग सभी बैंकों में युवा स्टाफ सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बैंकों के भौतिक स्वरूप अर्थात् शाखा की साज-सज्जा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आंतरिक कामकाज की पद्धतियों में किए गए बदलाव के कारण ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है।

बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ग्राहकों, शेयरधारकों, नियामकों और स्टाफ सदस्यों की यथासंभव अपेक्षाओं को पूरा



श्री. के.आर. चौहान

मुख्य प्रबंधक

बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद

करते हुए संगठन के कार्यनिष्पादन को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की शाश्वत चुनौती आज के शीर्ष प्रबंधन के समक्ष बनी हुई है। मौजूदा प्रबंधन तंत्र जिस तेजी से नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने में लगा हुआ है, उससे भी अधिक तेजी से ग्राहकों की अपेक्षाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इन सबकी बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संस्था (यूनिट) के मुखिया की होती है। यहीं से आरंभ होता है - प्रबंधन। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए संस्था के समस्त संसाधनों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करना ही कुशल प्रबंधन कहलाता है।

किसी भी संगठन में शिक्षित, कुशल और योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं होती है। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि हर मनुष्य में अपनी एक प्रतिभा और क्षमता होती है। प्रत्येक संगठन को अपने सभी कर्मचारियों से सदैव बेहतर कार्य निष्पादन की उम्मीद रहती है। कोई भी मनुष्य चाहे वो कर्मचारी है या व्यापारी, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान उसी कार्य में देता है जिस कार्य को करने से उसका मन प्रसन्न रहता हो। दुनिया भर में जितने भी महान विचारक और आविष्कारक हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य यही था कि उन्होंने अपना पसंदीदा कार्यक्षेत्र चुना और मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मानवीय क्षमताओं की पहचान कर मनुष्य को स्वतः ही उसके वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु अपने आचरण द्वारा अग्रणी की भूमिका निभाना ही नेतृत्व कहलाता है।

अब तक की स्थापित धारणा के अनुसार प्रबंधन और नेतृत्व को पृथक्ता की दृष्टि से आंका जाता था। इस मान्यता के अनुसार प्रबंधन को यह बताने की जरूरत होती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है जबकि नेतृत्व स्वप्रेरित होता है। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रबंधन एवं नेतृत्व के समन्वय पर जोर दिया गया

है। लंबे समय तक बाजार में टिके रहकर निरंतर प्रगति हेतु आज प्रत्येक संगठन के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में नैतिकता का समावेश करे, अपने उत्पाद एवं सेवाओं को भरोसेमंद बनाए और समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भलीभांति निर्वाह करे। अतः एक प्रबंधक की सफलता में उसकी नेतृत्व क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक प्रबंधक में नेतृत्व के गुणों का विकास कर उसे परिणामोन्मुखता से विचारोन्मुखता की ओर अग्रसर करना ही प्रबंधकीय नेतृत्व है। प्रबंधकीय नेतृत्व की अवधारणा मानव संसाधन विकास की बुनियाद पर टिकी है। चूंकि संगठन के सभी क्रियाकलापों की धुरी “मनुष्य” है, जिस संगठन में मानव संसाधन विकास की नीतियां युक्तियुक्त होंगी, प्रबंधकीय नेतृत्व की यह अवधारणा अवश्य सफलता प्राप्त करेगी। इस अवधारणा में व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही साथ मानव शक्ति के विकास को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, जिससे संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय उपलब्धि, संतोष एवं अपने आप की सार्थकता महसूस कर सके और उसे अपनी सफलता का एहसास भी हो। हमारे बैंक में मानव संसाधन विकास के लिए “प्रोजेक्ट स्पर्श” नामक जो नवोन्मेषी पहल की गई है, वो प्रबंधकीय नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है।

क्या जरूरत है एक प्रबंधक को अच्छा लीडर होने की?

किसी भी संगठन में सब लोग एक जैसे नहीं होते, उनकी योग्यताएं, क्षमताएं, उम्र, कुशलताएं और उनकी सोच के तरीकों में भी अंतर होता है। पारंपरिक व्यावसायिक संगठनों के प्रबंधक वर्ग इन सब घटकों के लिए एक समान नीति-नियमों का निर्माण करते आए थे और सब से एक समान कार्यनिष्पादन की अपेक्षा रखी जाती थी। सभी संगठन उनके पास उपलब्ध जनशक्ति के बल पर ही अपना विकास करते हैं और समाज एवं देश की प्रगति में अपनी भूमिका अदा करते हैं।

जहां तक बैंकों की बात की जाए तो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के परिणामों का अध्ययन करने से एक बात सामने आई है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आस्तियों की बाजार सहभागिता में भारी कमी दर्ज की गई है। इनकी बाजार हिस्सेदारी 1993 में 90 प्रतिशत से घटकर 2012 में 70 प्रतिशत के आसपास रह गई है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि

जहां परिचालन में उच्च प्रबंधन द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाती है वहीं बैंक कर्मियों में अपने उच्च नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता बढ़ जाती है। परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, प्रबंधन में नेतृत्व की जरूरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस अवधारणा को लागू किए जाने की आवश्यकता नीचे लिखे मुख्य कारणों से महसूस की जा रही है -

- सदैव सर्वश्रेष्ठ बने रहने का बाजार दबाव,
- ग्राहकों की अपेक्षाओं में हुई बढ़ोतरी,
- प्रतिस्पर्धियों की प्रौद्योगिकी क्षमता में हो रही बढ़ोतरी,
- स्टाफ सदस्यों में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किए जाने की बढ़ती हुई भावना,
- सक्षम एवं तकनीकी कौशल से युक्त कर्मचारियों का संस्था को छोड़कर जाने का विचार,
- ग्राहकों द्वारा नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती हुई मांग, एवं
- समाज व विशेष तौर पर अपने कर्मचारियों के प्रति व्यापारिक संगठनों के दायित्व बोध में परिवर्तन।

इस प्रकार प्रबंधकीय नेतृत्व की अवधारणा के पार्श्व में चार मुख्य पक्ष सामने आते हैं - ग्राहक, कर्मचारी, संस्था और प्रतिस्पर्धी।

प्रबंधकीय नेतृत्व के स्तर - इस अवधारणा के तहत एक व्यक्ति में बहु-आयामी चारित्रिक गुणों का विकास किन-किन स्तरों से होकर किया जा सकता है, इस बात पर अधिक बल दिया जाता है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक की सोच को वस्तुपरक सोच से व्यक्तिपरक सोच में रूपांतरित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हो सकती है -

1. **स्वयं को जानकर स्वयं का नेतृत्व करना** - पद सोपान के प्रत्येक स्तर पर जिन लोगों पर दूसरों को दिशा-निर्देश देने की जिम्मेदारी होती है, उनके पास स्वप्रबंधन का कौशल भी होना जरूरी है। जो व्यक्ति स्वयं को भलीभांति समझता हो, वही दूसरों को और संगठन को भी प्रभावी तरीके और बेहतर ढंग से समझ सकता है। स्वनेतृत्व के लिए सहज बोध, स्वयं को मोड़ने की शक्ति, स्पष्ट नजरिया और सहनशीलता जैसे गुणों की जरूरत होती है। इन गुणों

की प्राप्ति के लिए अपने आप का मूल्यांकन कर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करना जरूरी है। अपनी पहचान में व्यक्ति के लिए स्वयं का “मैं” अर्थात् अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट बनता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि “औरों से पहले हम” की भावना मन में विकसित की जाए तो हम स्वयं अपना प्रबंधन बेहतर करने में सक्षम होंगे, जैसे ही हमने अपना प्रबंधन कर लिया तो बाकी तीनों घटक - हमारे लोग, हमारे ग्राहक और हमारा व्यावसायिक लक्ष्य, हमसे अधिक दूर नहीं रह सकते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि “स्वप्रबंधन” से ही हम “सर्वप्रबंधन” की ओर बढ़ सकते हैं।

2. **अपने लोगों (स्टाफ) को जानना और उनका नेतृत्व करना** - जिस व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और क्षमता का ज्ञान हो जाता है, वो सरलता से अपने इर्द-गिर्द और अपने साथ काम करने वाले लोगों के सामर्थ्य और क्षमता को भी समझ लेता है। दूसरों को जानने के लिए हमारा अपना व्यवहार ही मुख्य भूमिका निभाता है। इस स्थिति में जीत हासिल करने के लिए एक प्रबंधक को अपने आचरण, अपनी वाणी, अपनी कार्यशैली और अपने निर्णयों पर अधिक ध्यान देना होता है। दूसरों पर स्थायी प्रभाव स्थापित करने में उपदेश से अधिक प्रबंधक का आचरण अधिक प्रभावी टूल साबित हुआ है। जैसे ही हमें अपनी क्षमता और संभाव्यताओं का पता चल जाता है, दूसरों की संभाव्यताओं और क्षमताओं को जानने के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। जो प्रबंधक स्वयं जिम्मेदारी को समझ सकता है, वह अपने स्टाफ को भी प्रतिबद्धता से जिम्मेदारी के निर्वाह की तरफ प्रेरित कर सकता है। एक प्रबंधक की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए उनमें संगठन के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होने की प्रेरणा उत्पन्न करे। यहां तक आते-आते प्रबंधकीय नेतृत्व का आधा सफर तय होता है।
3. **ग्राहकों को जानना और उनको नेतृत्व प्रदान करना** - पूरे व्यावसायिक जगत को यदि एक वृत्त माना जाए तो उसकी

धुरी या केंद्र बिंदु केवल एक ही होता है और वह है ग्राहक। मौजूदा दौर में ग्राहक को सामान्य सेवा देकर आप एक बार तो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं लेकिन उसे सदा के लिए प्रसन्नतापूर्वक आप से जोड़े रखने के लिए कुछ और भी करना जरूरी है, जिससे आप पर, आपके उत्पाद पर और आपकी सेवा पर उसका विश्वास कायम रह सके। ग्राहक एवं उसकी जरूरत को समझने के लिए उसके साथ सार्थक संवाद स्थापित करना होता है। ग्राहक की बातों से अधिक ग्राहक की भावनाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है। इस स्थिति में आते-आते प्रबंधक के समक्ष दो मानवीय पहलू उपस्थित होते हैं - एक संगठन के लोग और दूसरे ग्राहक। यहीं से आरंभ होता है, एक प्रबंधक के लीडर बनने का असली सफर। अपने लोगों को लीड करने के बाद ग्राहक को समझना, उसकी जरूरतों को समझना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जरूरी होता है जिससे ग्राहक सदा के लिए हमसे संबंध बना लें। अपने ग्राहक के साथ लेनदेन आधारित व्यवहार के साथ-साथ संबंधपरक व्यवहार करने पर एक प्रबंधक अपने ग्राहकों का नेतृत्व करने की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति तक पहुंचते-पहुंचते एक प्रबंधक अपने आप को पूरी तरह से नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर लेता है। वह दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, जो वह अपने लिए उचित समझता है।

4. **व्यवसाय को जानना और बिजनेस लीडर बनना**- व्यावसायिक गतिविधि के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जिन तीन घटकों की आवश्यकता होती है वे हैं - प्रबंधक, उसके कर्मचारी और ग्राहक। उन तीनों घटकों को भलीभांति समझने और उन्हें लीड करने के उपरांत ही कोई व्यक्ति उसके व्यवसाय को समझ सकता है। बैंकिंग के संदर्भ में यदि व्यवसाय को समझने की बात की जाए तो केवल जमा एवं ऋण वितरण तक इसे सीमित नहीं माना जा सकता है। वर्तमान वैश्विक व्यापार के दौर में केवल तात्कालिक सांख्यिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति को ही व्यावसायिक सफलता मानना उचित नहीं होगा। व्यवसाय मानव सभ्यता के साथ-साथ विकसित होने वाली गतिविधि माना गया है। जिस प्रकार मानव

समाज को समझने के लिए उसकी मौलिक नीतियों की जानकारी जरूरी है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय की पूरी जानकारी रखने के लिए हमारी व्यावसायिक नीतियों की जानकारी यदि एक प्रबंधक को हो जाए तो उसकी नेतृत्व क्षमता असंदिग्ध हो सकती है। उपरोक्त तीन स्तरों पर सफलता प्राप्त किया हुआ प्रबंधक व्यवसाय को बड़ी ही आसानी से जानने और समझने में सफल हो जाता है। व्यवसाय की समझ विकसित होते ही काम की रणनीति और कार्यान्वयन के लिए उसकी टीम स्वतः प्रेरित होकर ग्राहक संतुष्टि के साथ दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण करते हुए व्यावसायिक सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है।

संसार के अधिकांश समाज विज्ञानी यह मानते हैं कि सबसे अंतर्मुखी व्यक्ति भी अपने जीवन काल में कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक व्यावसायिक संगठन में नेतृत्व की शुरुआत अवश्य पद की प्राप्ति से होती है लेकिन नेतृत्व की समाप्ति सेवानिवृत्ति से नहीं होती। सच्ची लीडरशिप केवल पद एवं अधिकार प्राप्ति तक ही सीमित

नहीं रहती। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर श्री नारायणमूर्तिजी का उदाहरण हमारे सामने है। इस स्थिति में पहुंचने तक की इनकी यात्रा में इन्होंने सर्वप्रथम अपना संदेश अपने लोगो तक “संप्रेषित” किया। लोगों ने उसे स्वीकार किया और कार्यान्वित किया, जिससे इनकी व इनके लोगों की “पहचान” बनी और परिणामस्वरूप समाज एवं देश के बिजनेस जगत पर इनका स्थायी “प्रभाव” पड़ा।



उपरोक्त अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक प्रबंधक की भूमिका में भी नेतृत्व के बीज विद्यमान होते हैं। यदि एक प्रबंधक को नेतृत्व के मोर्चे पर खरा उतरना है तो उसे विजनरी होना चाहिए। संक्षेप में प्रबंधन एवं नेतृत्व का समन्वय संगठन के मानव संसाधन की क्षमता विकास में सहायक होते हुए संगठन को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है और संगठन को भविष्य की अनिश्चितताओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करने योग्य मानव संसाधन की एक सशक्त टीम तैयार करने में यह अवधारणा कई संगठनों में सफल हुई है। इसकी मदद से साधारण क्षमताओं से भी असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

एक प्रबंधक और लीडर में फर्क ?


| प्रबंधक | लीडर |
|--|--|
| प्रबंधक कर्मचारियों से काम करवाता है। | लीडर कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। |
| इसकी कार्यक्षमता अधिकारों पर निर्भर करती है। | इनकी कार्यक्षमता सद्भावना पर निर्भर है। |
| वार्तालाप में स्टाफ को भय रहता है। | बातचीत करने में स्टाफ उत्साहित रहता है। |
| प्रबंधक कहता है - “मैंने किया”। | लीडर कहता है - “हमने किया”। |
| प्रबंधक किसी गलती के लिए दोषी की तलाश करता है। | लीडर गलती को सुधारने का प्रयास करता है। |
| प्रबंधक कहकर बताता है कि किस काम को कैसे करना है। | लीडर काम को करके दिखाता है कि किस काम को कैसे किया जाए। |
| प्रबंधक कहता है - “जाओ”। | लीडर कहता है - “आओ हम चलें”। |
| प्रबंधक कहता है - “कौन गलत है”। | लीडर बताता है - “क्या गलत है”। |
| प्रबंधक तात्कालिक परिणाम पर ध्यान देता है। | लीडर दीर्घकालिक “विजन” पर ध्यान देता है। |
| प्रबंधक नियंत्रण पर विश्वास रखता है। | लीडर प्रतिबद्धता विकसित करने पर विश्वास रखता है। |
| प्रबंधक स्टाफ से दूरी बनाने में विश्वास रखता है। | लीडर लोगों से संपर्क बनाने में विश्वास रखता है। |
| प्रबंधक की कार्यशैली निर्देशात्मक होती है। | लीडर की कार्यशैली प्रेरणात्मक होती है। |
| प्रबंधक कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है। | लीडर संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। |
| प्रबंधक दबाव बनाकर काम करवाने में विश्वास रखता है। | यह टीम में जोश पैदा करके काम करवाने में विश्वास रखता है। |

अंतर की सूची अनंत हो सकती है।

इस अवधारणा की सफलता के लिए मुख्य तत्व -



आपको क्या करना है?



आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रबंधकीय कौशल से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति तो की जा सकती है लेकिन निरंतर वृद्धिशील संगठनों के लिए बाजार में अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अपने प्रबंधकों में नेतृत्व के गुणों का विकास आज की महती व्यावसायिक जरूरत है। आज भारत पर सारे देशों की नजर है। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देकर

कारोबारी अवसरों की तलाश करने वाले ऐसे नेतृत्व की आज सबसे अधिक जरूरत है जो संस्थागत संरचना में परिवर्तन को सहर्ष लागू करे, कर्मचारी केंद्रित प्रबंध प्रणाली अपनाए और नवोन्मेषी सोच के साथ कर्मचारियों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शक बन सके।

○○○

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। पारंपरिक बैंकिंग से हम आधुनिक बैंकिंग व तकनीक युक्त बैंकिंग की ओर अग्रसर हैं और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।

बैंकिंग क्षेत्र का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए ही सन् 1969 व सन् 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे सामान्य जनता के प्रति अपनी भूमिका का यथोचित निर्वहन करें। किसी भी क्षेत्र का विकास सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति पर निर्भर होता है। विश्व में प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति पश्चिमी देशों में हुई। इस समय कई नए खोज एवं आविष्कार हुए और मानव कार्य की जगह कंप्यूटरों ने हथिया ली। इस सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव सभी क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। इस क्रांति से एक नए विचारधारा व नए वर्ग का उदय हुआ। तकनीकी व गैर-तकनीकी के बीच की दूरी बढ़ती गयी।

बैंकों में कंप्यूटरीकरण को लागू करने के लिए सन् 1984 व 1988 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित की



श्री एन.एस. गोपाल रत्नम

सहायक प्रबंधक

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
चेन्नै



श्री प्रशांत रामटेके

सहायक प्रबंधक

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
चेन्नै

गई और समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार बैंकों में कंप्यूटरीकरण को लागू किया गया।

कंप्यूटरीकरण से पूर्व बैंकों में कामकाज हस्तलिखित रूप में होता था और इसके लिए बड़े-बड़े लेजर और रजिस्टर बैंकों में होते थे। अतः प्रति ग्राहक संव्यवहार के लिए काफी समय लगता था। उस समय बैंकों का काम केवल चालू खाता, बचत खाता एवं सावधि खाते में ग्राहकों से धनराशि लेकर उसे अन्य ग्राहकों को ऋण मुहैया करवाना था। इन दो संव्यवहारों के बीच ब्याज दर का अंतर बैंकों के लिए लाभ था। इस प्रकार बैंकों के पास केवल दो ही कार्य थे - ग्राहकों से धनराशि प्राप्त कर उसे अन्य ग्राहकों को ऋण के रूप प्रदान करना। कामकाज का स्वरूप सीमित होने के कारण जोखिम भी कम थी और सभी कार्य मशीनयुक्त न होकर मानवयुक्त था।

किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण बैंकों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इस क्रांति के कारण कई नए बैंकिंग उत्पादों का सृजन हुआ। लेनदेन की निपटान प्रणाली में लगने वाले समय में काफी कमी आयी। इससे न्यूनतम समय में काफी सेवाएं एक साथ प्रदान करने में बैंक सक्षम हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चलते कई नवोन्मेषी बैंकिंग उत्पाद ग्राहकों के लिए उपलब्ध हुए हैं जैसे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आदि।

इसके अलावा, प्रति विक्रय उत्पाद भी बैंकों के पास उपलब्ध हैं। यद्यपि, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चलते ग्राहकों को काफी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, किंतु जोखिम में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। प्रत्येक बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन को लागू किया गया है और इस पर सतत रूप से निगरानी रखी जा रही है।

जीवित या संपत्ति को आपदा का खतरा हमेशा से बना हुआ है और ऐसे खतरे की पहचान करके उसकी रोकथाम करना बैंकों के बहुसमावेशक आपदा राहत योजना में शामिल किया गया है। आपदा को रोका नहीं जा सकता किन्तु बहुसमावेशक आपदा राहत योजना अपनाने से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दैवीय घटना, मानव द्वारा भूल-चूक एवं मशीनों के अकार्यक्षम स्थिति के कारण आपदाएं घटित होती हैं जो निम्नानुसार हैं -

दैवीय घटना

प्राकृतिक आपदाएं जैसे बिजली प्रहार, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के कारण जीवित या संपत्ति को हानि पहुंचती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता किन्तु इन आपदाओं का सामना करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आग लगने की घटनाएं बहुतायत में होने की संभावना होती है। इसका प्रमुख कारण मुख्यतः शार्ट सर्किट होता है। विद्युत केबलिंग, पावर पॉइंटस तथा उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखने से अग्निजन्य आपदाओं से बचा जा सकता है। आग से सुरक्षा करने के उपाय व अग्निशामक उपकरण चलाने का प्रशिक्षण स्टाफ सदस्यों को दिया जाना चाहिए।

मानवीय कारण

व्यक्ति से अनजाने में या जानबूझकर गलती के कारण आपदा उद्भवित हो सकती है। इसे रोकने के लिए समुचित पहुंच नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया जाना चाहिए। अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाकर संवेदनशील क्षेत्र में पहुंच केवल पासवर्ड के माध्यम से होनी चाहिए।

मशीन

मशीन की कार्य प्रणाली में बाधा आने से या उसके बंद होने से आर्थिक रूप से हानि होने की संभावना है। मशीन के नियमित रूप से रखरखाव से आपदा को रोका जा सकता है।

बीमा

किसी भी जोखिम प्रबंधन का बीमा एक महत्वपूर्ण घटक है। बीमा प्राप्त करने से हानि को कम किया जा सकता है।

सूचना प्रणाली की संरक्षा व सुरक्षा

विद्युत आपूर्ति में अवरोध, मशीन की खराबी आदि के कारण डेटा खोने की संभावना है। यूपीएस व जनरेटर से इसे रोका जा

सकता है। नियमित अंतराल पर सभी उपकरणों की जांच की जानी चाहिए और सिस्टम प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए गए रिकार्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण संव्यवहार एवं संवेदनशील मामले को बैंक अप के रूप में रखना चाहिए।

बैंकिंग के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के खातों में नियमित आधार पर लेनदेन होता है। आपदा के घटित होने पर लेनदेन में बाधा आती है और सारा ध्यान बिना किसी विलंब परिचालन के पुनःस्थापन पर केंद्रित होता है। आपदा की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए हानि प्रणाली के किसी एक भाग, परिसर का कोई एक हिस्सा या भवन की कोई मंजिल तक सीमित हो सकता है। कभी-कभी पूरा भवन भी तबाह हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पूरी साइट यथावत है किन्तु विपदा के कारण व्यक्ति के पहुंच के बाहर है।

आज के नेटवर्क परिवेश में प्रणाली का कोई एक खंड प्रभावित होने पर संव्यवहार को दूसरे खंड के माध्यम से परिचालित किया जा सकता है। डेटा के संपूर्ण खो जाने के मामले में बैंक अप फाइलों/ऑफ साइट में सुरक्षित संव्यवहार अभिलेख की सहायता से फाइलों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यदि आपदा बैंकिंग कामकाज के समय घटित होती है और संव्यवहार अभिलेख नष्ट हो जाता है तब नकद/समाशोधन विभागों या ग्राहकों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभिलेखों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां संव्यवहारों की संख्या अधिक मात्रा में है एवं संव्यवहार ज्यादा धनराशि वाले हैं तब यह वांछनीय हो जाता है कि विभिन्न स्थान पर कार्यरत प्रतिकृति प्रणाली को अपनाया जाए। इससे मुख्य प्रणाली में बाधा आने पर भी ग्राहक को बाधारहित सेवा का लाभ प्राप्त होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक व्यवसाय चक्र को पुनः परिभाषित किया है। नेटवर्किंग और संप्रेषण ने व्यवसाय को गति प्रदान की है। व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए बैंक अपने-अपने स्तर पर मापदंड निर्धारित कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी आपदा राहत योजना एक बहुसमावेशक दस्तावेज है जिसे आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात कार्यान्वित किया जाता है। आपदा के दौरान व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राहत योजना का

प्रलेखीकरण किया जाना आवश्यक है एवं इसका पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी आपदा राहत योजना का प्रारंभिक उद्देश्य

- व्यवसाय परिचालन में न्यूनतम अवरोध,
- सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- विश्वसनीय बैंक अप प्रणाली की उपलब्धता, एवं
- तीव्र गति के साथ परिचालन का पुनःस्थापन।

बैंकों में व्यवसाय की संवेदनशीलता में वृद्धि हो रही है और इसे सुरक्षित रखने के लिए उन्नत तकनीक को अपनाया जाना आवश्यक है। किसी भी संगठन में आपदा राहत योजना में तीन घटक महत्वपूर्ण हैं - रोकथाम, पूर्वानुमान एवं शमन। रोकथाम एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत आपदा को टाला जा सकता है। पूर्वानुमान के तहत अपरिहार्य आपदा को रोकने के लिए समुचित योजना व उपायों को अपनाना है। शमन के तहत आपदा का प्रभावी रूप से प्रबंध करना है और इसके जरिए नकारात्मक आघात को कम करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी आपदा राहत योजना में वर्तमान नेटवर्क संरचना, एप्लीकेशन, डेटाबेस, उपकरण, संरचना एवं संबंधित विवरण का पूर्ण विश्लेषण शामिल है।

आपदा राहत दल की स्थापना

बैंक द्वारा आपदा राहत दल की स्थापना की जानी चाहिए जो संपूर्ण आपदा राहत परिचालन में सहायक होगी। इस दल में उच्च प्रबंधन तंत्र से लेकर सभी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपदा राहत योजना का कार्यान्वयन एवं इस पर निगरानी के लिए यह दल जिम्मेवार होगा।

जोखिम निर्धारण

जोखिम विश्लेषण एवं व्यवसाय आघात विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसमें दोनों प्राकृतिक एवं कृत्रिम संभाव्य आपदा शामिल हैं। इस तरह का विश्लेषण करने से आपदा के समय महत्वपूर्ण संसाधनों को निश्चित किया जा सकता है।

प्रक्रिया और परिचालन की प्राथमिकता

डेटा, प्रलेखीकरण, सेवाएं, प्रक्रिया, परिचालन, महत्वपूर्ण संसाधन, नीति एवं क्रियाविधियों के संबंध में बैंकों के प्रत्येक

विभागों से संबंधित बैंक की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं निश्चित की जानी चाहिए। इसे प्राथमिकता के तौर पर अत्यावश्यक, आवश्यक एवं अनावश्यक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए।

डेटा संग्रहण

संगठन से संबंधित संपूर्ण डेटा को एकत्रित करके प्रलेखीकरण किया जाना चाहिए। इसमें सूची, नीतियां, उपकरण, संप्रेषण, महत्वपूर्ण टेलीफोन क्रमांक, संपर्क विवरण, ग्राहक विवरण, संसाधन विवरण, ऑन साइट व ऑफ साइट स्थान, बैंक अप स्टोरेज सुविधा का विवरण आदि शामिल होंगे।

आपदा राहत योजना का निर्माण

आपदा राहत योजना का निर्माण मानक प्रपत्र में किया जाना चाहिए जिसमें क्रियाविधि व आवश्यक जानकारी शामिल होगी। सभी महत्वपूर्ण क्रियाविधि स्पष्ट रूप से योजना में शामिल होगी। आपदा के घटित होने पर की जानेवाली चरणबद्ध कार्रवाई को योजना में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। इस योजना के अनुरक्षण के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि तथा आपदा राहत दल एवं उच्च प्रबंधन तंत्र द्वारा इसकी नियमित समीक्षा किए जाने को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

आपदा राहत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के पश्चात संगठन सामान्य कार्यनिष्पादन की पुनः बहाली के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा में पहुंच स्थापित की जाती है। आपदा राहत योजना में मुख्यतया सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा पर लक्ष्य केंद्रित किया जाता है किन्तु इस प्रक्रिया में संगठन की श्रमशक्ति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपदा राहत योजना व्यवसाय निरंतरता योजना का एक घटक है। आपदा राहत योजना का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि आपदा के घटित होने पर इसमें शामिल दल इसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर सकें। आपदा राहत योजना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए जैसे नए लोग, नई शाखा, नया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आदि को आपदा राहत योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

योजना का परीक्षण

कार्यक्षमता को प्रभावी करने के लिए विकसित की गई आपदा राहत योजना का परीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण

एक ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करता है जिसमें विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन एवं समायोजन का पता लगता है।

एक अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी आपदा राहत योजना विकसित करने से आपदा के समय संभाव्य आर्थिक हानि एवं परिचालन में अवरोध को कमी लाने में सहायक सिद्ध होगी।

व्यवसाय निरंतरता आयोजना

यह एक इस तरह की आयोजना है जो आपदा के घटित होने पर क्रियान्वित की जाएगी। यह प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एक व्यवस्था है जिसे आपदा के समय लागू किया जाएगा। बहु भौगोलिक स्तर जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के आपदाओं को इसमें शामिल किया गया है। इस आयोजना में तकनीकी वायरस से लेकर आतंकवादी आक्रमण को शामिल किया जाता है। अंतिम उद्देश्य यह है कि आपदा के पश्चात संगठन के महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली के पुनः संचालन को तेजी से बहाल किया गया। एक विकसित अग्रिम योजना इस दिशा में सहायक सिद्ध होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा की रोकथाम के लिए निम्नानुसार उपाय किए जाने हैं -

आपदा की स्थिति में हानि को कम करने/रोकने के लिए की जानेवाली कार्रवाई

- जैसा कि अनेक आपदाएं शार्ट सर्किट के कारण घटित होती हैं, अतः विद्युत केबलिंग, पावर पॉइंट और अन्य उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखना,
- स्वचालित अग्निशामक उपकरणों का प्रतिष्ठापन,
- सभी अग्निशामक उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखना,
- जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से छद्म अभ्यास,
- नजदीकी अग्निशामक दल के साथ सीधे हॉट लाइन से संपर्क और निरंतर परीक्षण के साथ इसे कार्यक्षम स्थिति में रखना,
- परिसर के भीतर धूम्रपान की मनाही,
- दैवीय घटना जैसे बिजली के प्रकोप को टालने हेतु बिजली अवरोधक का प्रतिष्ठापन,

- भूकंप एवं बाढ़ का आघात सहने हेतु सशक्त भवन का निर्माण,
- हानि को कम करने हेतु भवन एवं मशीनरी दोनों का बीमा, एवं
- आपदा प्रबंधन में संबंधित स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण।

सूचना प्रणाली के क्षेत्र में हानि को रोकने/कम करने हेतु किए जानेवाले उपाय

क) आधारभूत आवश्यकताएं

- मजबूत यूपीएस सिस्टम एवं जनरेटर के प्रतिष्ठापन से अनियमित बिजली आपूर्ति पर रोक,
- यूपीएस व जनरेटर दोनों को निरंतर कार्यक्षम स्थिति में रखने के लिए बहुसमावेशक वार्षिक अनुरक्षण करार,
- यूपीएस व जनरेटर का समय-समय पर परीक्षण, एवं
- संभव होने पर सेवा में अवरोध को कम करने हेतु दो स्वतंत्र बिजली आपूर्ति मार्गों की उपलब्धता।

ख) तकनीकी आवश्यकताएं

हार्डवेयर आवश्यकताएं

- संवेदनशील डेटा होने पर हार्डवेयर की प्रचुरता को सुनिश्चित किया जाना, एवं
- मशीनों के अधिकतम उपरिकाल को सुनिश्चित करने के लिए बहुसमावेशक वार्षिक अनुरक्षण करार की व्यवस्था।

नेटवर्क आवश्यकताएं

- पूर्ण ब्रेक डाउन को टालने हेतु संपूर्ण केबलिंग नेटवर्क को विभाजित करना, एवं
- इंटरनेट/इंट्रानेट की सुविधा होने पर सॉफ्टवेयर अवरोधक जैसे फायरवाल्स को सुनिश्चित करना।

साफ्टवेयर आवश्यकताएं

- सिस्टम में वायरस के रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित अद्यतन मानक एंटी-वायरस का इस्तेमाल,
- डीओएस परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त पहुंच नियंत्रण पैकेज का उपयोग, एवं
- उपयोगकर्ता को सोर्स कोड उपलब्ध न कराया जाना।

ग) प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं

- बहु-उपयोगकर्ता परिवेश में सिस्टम प्रशासक की पहचान आवश्यक है और वह सिस्टम का प्रभारी होगा। वह आवश्यकता के अनुसार पहुंच के विभिन्न स्तरों की पहचान करेगा,
- संवेदनशील एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड एवं सिस्टम प्रशासक के पासवर्ड को बंद लिफाफे में आग रोधक तिजोरी में रखा जाना चाहिए और उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए, एवं
- सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पासवर्ड को नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए।

घ) बैंक अप आवश्यकताएं

जहां बैंक अप सर्वर उपलब्ध है, वहां अवरोध के समय तक ऑनलाइन बैंक अप उपलब्ध होता है। इसके बावजूद, निम्नलिखित बैंक अप क्रियाविधि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए -

- सभी संवेदनशील डेटा का प्रतिदिन बैंक अप (तीन सेट) लिया जाना चाहिए जिसका एक सेट कार्य स्थल पर व शेष दो सेटों को ऑफ-साइट में रखा जाना चाहिए, एवं
- बैंक अप मीडिया को समय-समय पर पुनः चक्रित किया जाना चाहिए।

च) मानवशक्ति आवश्यकताएं

- तकनीकी क्षेत्र में कुशल मानवशक्ति का हमेशा ही अभाव रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों को संभालने के लिए यथोचित कर्मिक दल एवं उनके लिए समुचित प्रशिक्षण आवश्यक है। आपदा को रोकने एवं हानि को कम करने हेतु समुचित प्रशिक्षित मानवशक्ति आवश्यक है, एवं
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थाओं में आपदा प्रबंधन एवं राहत पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपातकाल में सुलभ संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित की जानेवाली सूची

- कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण अतिरिक्त कलपुर्जों की सूची,
- आपातकाल के दौरान सेवा प्रदाताओं जैसे पुलिस, अस्पताल, अग्निशामक, अनुरक्षण इंजीनियर एवं संबंधित अधिकारियों के संपूर्ण संपर्क विवरण, एवं

- समाशोधन गृह के सदस्य बैंकों की सूची (संपर्क विवरण सहित)।

कार्य स्थल पर एवं ऑफ-साइट में रखी जानेवाली जानकारी

- आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों का विवरण, उनका कार्य एवं दायित्व,
- दल, प्रबंधकों एवं प्राधिकारियों का संपर्क विवरण,
- इनवेंटरी एवं रिपोर्ट प्रपत्र,
- अनुरक्षण प्रपत्र,
- हार्डवेयर सूची एवं अनुक्रमांक,
- सॉफ्टवेयर सूची और लाइसेंस नंबर,
- वेंडरों और अनुरक्षण एजेंसी की सूची,
- नेटवर्क विन्यास,
- भवन विन्यास,
- कर्मचारियों का सामान्य एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण,
- अनुरक्षण करार का विवरण, एवं
- उपकरण व प्रणाली के परिचालन अनुदेश।

आपदा एक अकस्मात एवं अनपेक्षित संकट है और यह बिना किसी पूर्वसूचना के घटित होता है। लगातार निगरानी और दिनरात सतर्कता से संकट को टाला जा सकता है। यद्यपि, बैंकों में आपदा प्रबंधन को लागू किया गया है किन्तु इसके संपूर्ण घटकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस चालू सदी को सूचना प्रौद्योगिकी की सदी माना जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी में घटित अभूतपूर्व क्रांति के चलते ही केवल बैंकिंग क्षेत्र में ही नहीं वरन सभी क्षेत्रों में नवोन्मेषी उत्पादों एवं उपकरणों का सृजन हुआ है और इसके फलस्वरूप ग्राहक ही लाभान्वित हुए हैं।

अंततः हम यही कह सकते हैं कि बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन को प्रभावी रूप से लागू करना सभी के हित में है।

जोखिम से हम क्यों डरें,
जोखिम से हम क्यों दबें।

जोखिम पर स्थापित करें हम नियंत्रण।

तभी होंगे हम सही दिशा की ओर अग्रसर।।

○○○

खातेदार की मृत्यु पर खाते का संचालन व निपटारा

यद्यपि खातों का संचालन करना एक बेहद आसान व सामान्य प्रक्रिया है, तथापि खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसमें जमा धन की अदायगी किसे व कैसे की जाए, बैंक व खातेदार के उत्तराधिकारियों के लिए एक समस्या बन जाती है। यदि खाता एकल नाम से है और खाते में कोई नामांकन या कोई अन्य अधिदेश (mandate) नहीं है तो यह समस्या और भी पेचीदा हो जाती है।

करीब तीन दशक पूर्व तक किसी खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों को खाते में रखे धन को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खाते का निपटारा बैंक अधिकारियों के लिए भी एक समस्या थी। खातेदार की मृत्यु के उपरान्त खाते में जमाराशि के भुगतान में निहित ज़ोखिम को देखते हुए आम तौर पर बैंक, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, इच्छा पत्र (Probate) या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश हेतु अनुग्रह करते थे। इन दिक्कतों को देखते हुए, खातेदार की मृत्यु के उपरान्त खातों के निपटारे व संचालन हेतु अधिदेश (Mandate) प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 1985 में भारतीय विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act)



श्री ए.के. बंसल

मुख्य प्रबंधक (विधि)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई

की धारा 45 को संशोधित किया गया और खातों व सुरक्षा जमा लॉकरों में नामांकन (Nomination) करने का प्रावधान किया गया।

आज के खातेदार पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी काफी लचीली है। समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने खातेदारों की समस्याओं को समझा है व खातों के परिचालन को आसान बनाने हेतु नियमों में परिवर्तन किए हैं। तदनुसार सभी बैंकों ने खातों के परिचालन हेतु परिपत्र जारी किए हैं। खातों का संचालन अब पहले से बहुत आसान हो गया है।

कुछ वर्ष पूर्व तक अलग-अलग प्रकार के खाते खोलने हेतु अलग-अलग प्रकार के फार्म होते थे जिनमें खातेदारों के बारे में सीमित जानकारी ही होती थी। खाते के परिचालन हेतु भी कुछ सीमित अधिदेश (Mandate) ही होते थे। परंतु अब एक समान व विस्तृत फार्म द्वारा विभिन्न तरह के खाते खोलने हेतु प्रावधान हैं। यही नहीं एक समान फार्म में ही परिचालन हेतु अधिदेश, नामांकन सुविधा, ब्याज के भुगतान हेतु अनुदेश, स्थायी अनुदेश, मीयादी जमा नवीनीकरण हेतु अनुदेश की सुविधा है जिससे बैंक अधिकारियों व खातेदार तथा खातेदारों के उत्तराधिकारियों का काम अत्यधिक आसान कर दिया है।

खातों का परिचालन, खातेदारों द्वारा दिए गए अधिदेश (Mandate) के अनुसार किया जाता है परन्तु खातेदार की मृत्यु होने पर खातेदार द्वारा दिए गए अधिदेश समाप्त हो जाते हैं। उसके उपरान्त खातों का निपटारा खातेदार द्वारा दिए गए अधिदेशों के अनुसार किया जाता है। यदि खातेदार ने खाते के परिचालन हेतु कोई अधिदेश दिया है तो उसके उत्तराधिकारियों को लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया अपनाने से राहत मिल जाती है व खाते का संचालन अधिदेश के अनुसार करके बैंक उस खाते में जमा धनराशि की अदायगी कर देता है।

एकल नाम से खाते का परिचालन

यदि खाता एकल नाम से है व उसमें किसी के पक्ष में नामांकन (Nomination) नहीं है तो खातेदार की मृत्यु के उपरांत खाते में जमा धनराशि, मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज लेकर, दे दी जाती है। ऐसे मामले में उत्तराधिकारियों को कई दस्तावेज निष्पादित करने होते हैं तथा मामले के निपटारे में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यदि एकल खाते में नामांकन (Nomination) किया गया है तो खाते में जमाराशि नामिती (Nominee) को, खातेदार से संबंधित मृत्यु प्रमाणपत्र व एक दो अन्य दस्तावेज लेकर, अदा कर दी जाती है।

संयुक्त खाते का परिचालन

संयुक्त खाते में यदि यह अधिदेश है कि खाते का परिचालन सभी खातेदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में किसी एक खातेदार की मृत्यु पर खाता 'मृतक-खाते' की श्रेणी में आएगा जिसका निपटारा आवश्यक दस्तावेज लेकर बाकी के खातेदारों के पक्ष में कर दिया जाएगा लेकिन यदि खाते में उत्तरजीवी धारा का अधिदेश है तो ऐसे मामले में किसी खातेदार की मृत्यु होने पर खाते का संचालन शेष जीवित खातेदार, अधिदेश के अनुसार, कर सकते हैं।

अक्सर देखने में आया है कि किसी एक खातेदार की मृत्यु के उपरांत (खाते में उत्तरजीवी धारा होने के उपरांत भी) मृतक के अन्य उत्तराधिकारी या अन्य पक्ष बैंक को इस आशय का नोटिस भेज देते हैं कि वह व्यक्ति (नोटिस भेजनेवाला) खातेदार का विधिक उत्तराधिकारी (Legal heir) है अतः खाते में जमा धनराशि को प्राप्त करने का हकदार है व यह राशि किसी अन्य व्यक्ति को अदा न की जाए। प्रायः उक्त पक्ष अदालत में भी अपना दावा पेश कर देते हैं कि खाते में जमाराशि का हकदार वह है। इस संबंध में "बैंकिंग विनियमन अधिनियम" की धारा 45 जेडबी (45ZB) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश बैंक को न दिया गया हो, बैंक को ऐसे नोटिस या दावे की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती और बैंक खाते का संचालन अधिदेशों (mandate) के अनुसार करवा सकते हैं।

अवयस्क व्यक्ति का खाता

विधिक रूप से अवयस्क अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु अक्षम माने जाते हैं। अतः उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु विधि (Law) में महत्त्व दिया गया है। यह नियम अवयस्कों द्वारा खोले गए बैंक खातों पर भी लागू होता है। यदि अवयस्क का खाता उसके अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से है तो अभिभावक की मृत्यु की दशा में दूसरे अभिभावक का नाम जोड़ दिया जाना चाहिए। परंतु यदि अवयस्क की मृत्यु हो गई है तो खाते का परिचालन रोककर उसका निपटारा मृतक खाते के रूप में किया जाना चाहिए।

गुमशुदा खातेदारों के खाते

कई बार शाखा में ऐसे खाते भी होते हैं जिनके खातेदार गुमशुदा होते हैं। इस तरह के मामले भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 107 व 108 के अंतर्गत आते हैं। धारा 108 के अनुसार किसी व्यक्ति के गुम होने की स्थिति में उसकी मृत्यु उसके गुम होने के सात वर्ष बाद मानी जाती है। इस तथ्य को यदि सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार करके आदेश पारित कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को मृतक मान लिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार ₹250000 तक के दावों हेतु निम्नलिखित दस्तावेज लेकर खाते का निपटारा किया जा सकता है -

- पुलिस में दायर गुमशुदा रिपोर्ट व पुलिस द्वारा दायर की गई अंतिम रिपोर्ट, एवं
- क्षतिपूर्ति पत्र व शपथ पत्र।

अन्य मामलों में निम्नलिखित दस्तावेज लेकर दावे का निपटारा किया जाना चाहिए -

- पुलिस में दायर गुमशुदा रिपोर्ट व अंतिम रिपोर्ट,
- दावेदार व दो अन्य प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति पत्र,
- घोषणा पत्र/शपथ पत्र, एवं
- यदि धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक है तो गुमशुदा होने का तथ्य तथा मामले के निपटारे हेतु समाचार-पत्र में गुमशुदा होने का प्रकाशन।

वसीयत के मामले में

यदि मृतक खातेदार ने कोई वसीयत छोड़ी है तो निम्नलिखित दस्तावेज लेने के उपरांत मामले का निपटारा किया जा सकता है-

- बैंक द्वारा निर्धारित फार्म,
- वसीयत की सत्य प्रतिलिपि,
- मृत्यु प्रमाणपत्र,
- वसीयत को अनुप्रमाणित करने वाले गवाहों के शपथ पत्र, एवं
- निष्पादकों व लाभार्थियों द्वारा ऊंची हैसियत वाले दो व्यक्तियों सहित बैंक के पक्ष में संयुक्त व पृथक क्षतिपूर्ति पत्र।

बिना वसीयत के मामले में

यदि मृतक खातेदार ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है तो खाते में जमा धनराशि निम्नलिखित दस्तावेज लेकर मृतक के उत्तराधिकारियों को दी जा सकती है -

- बैंक द्वारा निर्धारित फार्म,
- दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र,
- मृत्यु प्रमाणपत्र, एवं
- दावेदारों द्वारा दो व्यक्तियों सहित संयुक्त व पृथक क्षतिपूर्ति पत्र।

यह बात महत्वपूर्ण है कि वसीयत का पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। परन्तु वसीयत का दो साक्षियों (Witness) द्वारा अनुप्रमाणित (Attest) होना अनिवार्य है। यदि वसीयत दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है तो वैध नहीं होती है। यदि वसीयत की यथार्थता (Genuineness) के बारे में कोई संदेह हो या वसीयत को लेकर दावेदारों में कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय से वसीयत का इच्छा-पत्र (Probate) लेना उचित होगा।

सभी प्रकार के मामलों में यदि दावेदार अवयस्क हैं तो अवयस्क के लिए उसके अभिभावक ही प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि खाते का निपटारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन-पत्र (Letter of administration) या किसी सक्षम न्यायालय के अन्य आदेश के आधार पर किया जाना है तो ऐसे केस में क्षतिपूर्ति पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती।

मृतक के खातों के निपटारे हेतु शाखा प्रबंधक को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। खातेदार की मृत्यु के तथ्य की जांच मृत्यु प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य स्रोतों द्वारा भी की जानी चाहिए तथा दावेदारों की पहचान भी उचित रूप से की जानी चाहिए ताकि बाद में बैंक को कोई परेशानी न हो।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय का पता बदल गया है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका के संबंध में अथवा राजभाषा विभाग से किसी भी प्रकार का पत्राचार अब निम्नलिखित पते पर करें -

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सी-9, 2 री मंज़िल
बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051

शैडो बैंकिंग – एक वास्तविकता

आज जब भारत में वित्तीय समावेशन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को नियमित बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाएं अपना योगदान सुनिश्चित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी अनियमित वित्तीय संस्थाएं हैं जो आम लोगों को प्रलोभन के माध्यम से उनकी पूंजी को जमा के रूप में लेकर उसका दुरुपयोग कर रही हैं। इसके कारण एक बड़ी संख्या में साधारण जमाकर्ता अपनी पूंजी को गंवा रहे हैं। यह विशेष रूप से विनियामकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये अनियमित वित्तीय संस्थाएं शैडो बैंकिंग का ही रूप हैं जो अपनी गतिविधियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला रही हैं जिन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

शैडो बैंकिंग की वास्तविकता

शैडो बैंकिंग एक सार्वभौमिक वास्तविक सत्य है, जिसके विभिन्न स्वरूप हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शैडो बैंकिंग का



श्री ध्रुव मुखर्जी

वरिष्ठ प्रबंधक

इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

मूल स्वरूप प्रतिभूतीकरण के माध्यम से जोखिम का रूपांतरण करना है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इन गतिविधियों का स्वरूप बैंकिंग गतिविधियों के अनुपूरक के रूप में ज्यादा है। परंतु वास्तविकता यह है कि शैडो बैंकिंग गतिविधियां दोनों संरचनाओं में नियमित बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर काम करती हैं तथा पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में कम पारदर्शिता और विनियमन के साथ की जाती हैं। सही मायनों में शैडो बैंकिंग एक विशाल हिमखंड की तरह ही है जो सतह पर कम परंतु गहराई में काफी विस्तार से फैली हुई है।

शैडो बैंकिंग तथा गतिविधियां

वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने शैडो बैंकिंग को 'क्रेडिट मध्यस्थता में आंशिक या पूर्ण रूप से शामिल संस्थाएं और युक्त गतिविधियां, जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली की परिधि से बाहर हैं' के रूप में परिभाषित किया है।

निम्न गतिविधियां शैडो बैंकिंग के तहत सम्मिलित की गई हैं जो विनियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर हैं -

- **क्रेडिट मध्यस्थता** : ऋण संबंधी गतिविधियाँ जहाँ बचतकर्ता सीधे तौर पर उधारकर्ता को ऋण नहीं देता है तथा इस गतिविधि में कम-से-कम एक मध्यस्थ अवश्य शामिल होता है।
 - **तरलता रूपांतरण** : अधिक तरल देयताओं से प्राप्त धन के माध्यम से कम तरल आस्तियों में निवेश करना।
 - **परिपक्वता रूपांतरण** : अल्पकालिक देयताओं का निवेश दीर्घकालिक आस्तियों में करना।
- संक्षेप में 'शैडो बैंक' अनियमित वित्तीय संस्थाएं हैं जो

वास्तव में तो बैंकों की तरह ही हैं, परंतु ये सामान्यतः निवेशकों से संगृहीत डिपॉजिट के बजाय ऋण और वित्तीय उत्पादों के माध्यम से वित्तीय गतिविधियों से जुड़े हुए कार्य करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अनुसार, मुद्रा बाजार फंड, अनियमित वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण, दीर्घकालिक आस्तियों द्वारा समर्थित वाणिज्यिक पत्रों हेतु विशेष उत्पाद व निवेश के साधन और रेपो बाजारों के माध्यम से प्रतिभूतीकरण की फंडिंग, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का निर्माण और उनका डेरिवेटिव बाजार में व्यापार आदि गतिविधियां शैडो बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के अनुसार, हाल के वर्षों में कुल 17 गतिविधियों में शैडो बैंकिंग का क्रमिक विकास हो रहा है जिसमें लगभग आधी गतिविधियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हैं। शैडो बैंकिंग में 'हेज-फंड', 'निजी इक्विटी फर्म', 'विशेष उद्देश्य हेतु उत्पाद/सेवाएं', 'बीमा कंपनियां', 'क्राउड-फंडिंग संगठन' और 'मुद्रा बाजार फंड' भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पारंपरिक वित्तीय संस्थान/बैंक भी शामिल हैं।

शैडो बैंकिंग की बढ़ती व्यापकता

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शैडो बैंकिंग 'वित्तीय प्रणाली आस्ति' के औसतन 25 प्रतिशत और 'बैंकिंग प्रणाली आस्ति' के लगभग 50 प्रतिशत तक का प्रतिनिधित्व करता है। विगत 10 वर्षों में आभासी बैंकिंग प्रणाली का विस्तार 26 ट्रिलियन से बढ़कर 67 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक हो गया है जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के आधे हिस्से से भी ऊपर है।

एफएसबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शैडो बैंकिंग कारोबार अनुमानतः 670 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है जो विश्व के कुल वित्तीय प्रणाली के 1 प्रतिशत हिस्से के बराबर है। 2007 के बाद से भारत और इंडोनेशिया में शैडो बैंकिंग की वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है।

परंपरागत व शैडो बैंकों में भिन्नता

परंपरागत बैंकों की तरह, शैडो बैंक भी विभिन्न मध्यस्थता की गतिविधियों का कार्य करते हैं, परंतु मौलिक रूप से विभिन्न मामलों में वे वाणिज्यिक बैंकों से अलग हैं।

मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित हैं -

| परंपरागत वाणिज्यिक बैंक | शैडो बैंक |
|--|--|
| ❖ डिपॉजिटरी संस्था होने के कारण मुद्रा (धन) का निर्माण संभव। | ❖ मुद्रा धन का निर्माण संभव नहीं। |
| ❖ व्यापक और कठोर विनियमनों से संचालित। | ❖ विनियमन तथा व्यापार संचालन में पारदर्शिता की कमी। |
| ❖ सार्वजनिक डिपॉजिट के माध्यम से धन की उगाही। | ❖ बाजार आधारित उपकरणों यथा वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर या अन्य संरचित ऋण उपकरणों के रूप में धन की उगाही। |
| ❖ सामान्य रूप में एक सीमा तक जमाराशि पर बीमा के रूप में सरकार की गारंटी। | ❖ जमाराशि (देनदारियों) पर कोई बीमा गारंटी नहीं। |
| ❖ संकट के समय तरलता के लिए केंद्रीय बैंक तक सीधी पहुंच। | केंद्रीय बैंक से किसी भी तरह का सहारा नहीं। |

बैंकों की तुलना में शैडो बैंकों के संचालन मार्ग पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, तो कभी उनकी संचालन पद्धति में बहुत ही धूमिल भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए विनियमित बैंक अपने तुलन-पत्र से कुछ विशिष्ट आस्तियों को धारण करने तथा बाद में उन्हें हटाने के उद्देश्य से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट करते हैं।

शैडो बैंकिंग – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मूलतः 'ग्रेट डिप्रेशन' और 'ग्लास-स्टीगल अधिनियम' के लागू होने के बाद वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका में वाणिज्यिक बैंकों पर अधिनियम को सख्ती से विनियमित किया गया। उदाहरणार्थ, 'फेडरल रिज़र्व' द्वारा बैंकों के जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज दरों की उच्चसीमा को बांध देना था। जब तक ब्याज दरें कम थीं तब तक तो यह नियम ठीक-ठाक चला, परंतु मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ और नए प्रतिस्पर्धियों के आगमन से इस नियम का उल्लंघन होने लगा।

1970 के दशक में, 'मेरिल लिंच' और 'मॉर्गन स्टेनली' जैसे अनियमित संस्थाओं के एक समूह ने वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों को लुभाने हेतु 'मुद्रा बाजार फंड' का आविष्कार किया। इस फंड के तहत ये कंपनियां वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में निवेशकों से उच्च ब्याज दरों पर डिपॉजिट लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों को अल्पकालिक कॉरपोरेट ऋण मुहैया कराती थीं। इसी तरह प्रतिभूति डीलरों के बीच एक नए बाज़ार का निर्माण भी हुआ जो अल्पकालिक तरलता के लिए आपस में प्रतिभूतियों के खरीदने व बेचने से तालुक रखता था (जिसे पुनर्खरीद समझौतों की विशेषताओं के कारण अब 'रेपो बाज़ार' के नाम से जाना जाता है)।

विनियमन में ढिलाई की शुरुआत

1990 से पहले, बेशक वाणिज्यिक बैंक नयी प्रतिस्पर्धा से अपने होने वाले नुकसान से ज्यादा रोमांचित नहीं थे फिर भी अविनियमन हेतु एक दीर्घकालिक अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। पिछले दो दशकों में वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते नवोन्मेषन, विनियामक ढांचे में बदलाव, प्रतिबंधों में ढील और गैर-बैंकिंग संस्थाओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते बैंकों को अपनी गतिविधियों के एक हिस्से को बैंकिंग विनियामक ढांचे की परिधि के बाहर शिफ्ट करने पर बाध्य किया जिसने शैडो बैंकिंग के विकास में योगदान दिया। परिणामतः वाणिज्यिक बैंकों का स्वरूप निवेश बैंकों जैसा बृहद व जटिल हो गया

और धीरे-धीरे वे शैडो बैंकिंग क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए। नतीजतन, समय के साथ नए विनियमनों तथा पर्यवेक्षी दिशा-निर्देशों के जवाब में उस डोमेन में जहां विनियामक अंतरपणन हेतु गुंजाइश अधिक थी शैडो बैंकिंग गतिविधियां विकसित हुईं। ये केवल विनियामक अंतरपणन के दोहन हेतु एक अवसर के रूप में ही नहीं वरन बाजार की मांग के जवाब में कम जोखिम तथा उच्च रिटर्न वाले नवीन वित्तीय साधनों/उपकरणों के रूप में उभरीं। अंत में 1999 में 'ग्लास-स्टीगल' के नियमों के हटने से वाणिज्यिक बैंक आभासी बैंकिंग में और भी लिप्त हो गए और निवेशित आस्ति को अनियमित वित्तपोषण गतिविधियों में इस्तेमाल करने लगे।

2007 में सर्वप्रथम पौल मैकले ने 'शैडो बैंक' शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में किया जो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात लंबी अवधि के ऋण के वित्तपोषण के लिए कम अवधि के डिपॉजिट के उपयोग में लिप्त थे। वर्ष 2008 के 'वित्तीय संकट' के समय जोखिम प्रोफाइल के मामले में वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति अपने अनियमित समकक्षों के समान अति-जोखिमपूर्ण दिखने लगी। बीआईएस के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुनामी के लिए शैडो बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो अभी भी वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरा बनी हुई है।

शैडो बैंकिंग से उत्पन्न चुनौतियां

वैश्विक वित्तीय संकट के समय उत्पन्न हुए वित्तीय तानेबानों का जाल इस तरह उलझ गया था कि उसकी गहराइयों और वास्तविकताओं को समझ पाना दुष्कर था। वाणिज्यिक और निवेश बैंकों में कोई भेद नहीं रह गया था क्योंकि वे एक दूसरी भूमिका निभा रहे थे। उस समय अमेरिका में 'फ्रेडी मैक' और 'फैनी मॉई' जैसी सरकार प्रायोजित संस्थाएं भी शैडो बैंकिंग क्षेत्र में काफी सक्रिय थीं। 'फेड' की केवल कुछ संस्थानों को बचाने और दूसरों की अनदेखी करने की 'रैंडम बेल आउट नीति' के कारण पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गयी थी। इसके चलते अचानक विनियमित और अनियमित, सुरक्षित व असुरक्षित गतिविधियों के बीच अंतर बेहद धूमिल हो गया था। हालांकि

आभासी बैंकिंग गतिविधियां नयी नहीं हैं, परंतु हाल के वैश्विक संकट के समय शैडो बैंकिंग गतिविधियों के विनियमन पर रेग्युलेटर्स का ध्यान केंद्रित हुआ। विनियामकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शैडो बैंकिंग की व्यापकता को मालूम करने की थी जिसके चलते विनियामक ढांचे में सेंध लग रही थी। इसका मूल कारण शैडो बैंकिंग की प्रकृति, उपकरणों और गतिविधियों का डेटाबेस उपलब्ध न होना था। सामान्यतः शैडो बैंकिंग से उत्पन्न चुनौतियां निम्नलिखित हैं -

- वित्तीय स्थिरता और प्रणालीगत जोखिम

शैडो बैंकों की केंद्रीय बैंक तक फंडिंग हेतु पहुंच या जमा-बीमा सुरक्षा न होने से उन पर सदैव जोखिम बना रहता है। शैडो बैंकों की व्यापक गतिविधियों और वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ उनके परस्पर संबंधों के चलते, इस सेगमेंट में किसी भी प्रकार के जोखिम का सीधा प्रभाव प्रणालीगत जोखिम का कारण बनता है। शैडो बैंकों की क्षमता का स्पष्ट प्रभाव प्रणालीगत संकट के जरिए वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में दिखायी दिया।

- विभिन्न विनियामक फ्रेमवर्क

शैडो बैंकिंग गतिविधियों पर अंकुश हेतु विभिन्न देशों में तरह-तरह के कानून और विनियामक फ्रेमवर्क हैं। एकसमान कानून न होने से इन गतिविधियों को रोकने में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ कुछ देशों में उच्च कराधान की स्थिति वित्तीय कंपनियों को कर परिहार रणनीतियां अपनाने को प्रेरित करती हैं जिसके चलते एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है।

- मौद्रिक नीति के संचालन में कठिनाई

संरचना, आकार, संचालन, शैडो बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं के परस्पर संबंधों में पारदर्शिता का अभाव तथा मौद्रिक नीति संबंधित संकेतकों की अपूर्ण जानकारीयां आदि मौद्रिक नीति के संचालन को कमजोर बनाती हैं।

- व्यापार-चक्र पर प्रभाव

शैडो बैंकिंग गतिविधियां वित्तीय और बिजनेस साइकिल को प्रभावित करती हैं। बूम के दौरान संपत्ति मूल्य में वृद्धि और सुरक्षित ऋण पर कम मार्जिन के कारण शैडो बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत मंदी के समय जब संपत्ति मूल्य में गिरावट और सुरक्षित ऋण पर मार्जिन बढ़ जाता है तब शैडो बैंकिंग गतिविधियां कम हो जाती हैं जिसका सीधा प्रभाव व्यापार-चक्र पर पड़ता है।

शैडो बैंकिंग - चिंता का विषय

शैडो बैंकिंग ने वित्तीय नवोन्मेष के माध्यम से स्पष्ट रूप से आर्थिक क्षमता का विकास किया, परंतु वित्तीय संकट के समय शैडो बैंकिंग ने संक्रामक चैनल तथा पारंपरिक बैंकों और पूंजी बाजार के बीच प्रणालीगत जोखिम का संचरण किया। विनियामकों के लिए बड़े बैंकों तथा शैडो बैंकों के बीच घनिष्ठ संबंध चिंता का विषय बने हुए हैं क्योंकि किसी कारणवश यदि शैडो बैंकों का पतन होता है तो वे विनियमित बैंकों के पतन का कारण बन सकते हैं। ये आशंकाएं समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली की अपारदर्शिता को प्रतिबिंबित करती हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर इन अनियमित संस्थाओं को नियामक ढांचे के अंतर्गत लाने तथा उनकी सतर्कतापूर्वक निगरानी की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

बीआईएस ने महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में उच्च मानकों तथा विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोखिमों तथा प्रक्रियाओं की निगरानी में सुधार हो सके। आज बड़े वाणिज्यिक बैंकों (निवेश बैंकों सहित) के लिए सख्त विनियामक मानक लागू किए गए हैं तथा कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। शैडो बैंकिंग में लिप्त उन बैंकों से लेंडिंग, बॉरोइंग तथा प्रतिभूतीकरण में बढ़ती हुई इस प्रकार की धनराशि को हटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अमेरिका ने प्रणालीगत महत्त्व के सभी संस्थानों को विनियमित करने के उद्देश्य से 2010 में फेडरल रिज़र्व को मजबूती देने के लिए 'डोड फ्रैंक अधिनियम' पारित किया।

शैडो बैंकिंग की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ ने प्रतिभूतीकरण, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमन आदि में विशेष उपाय किए। भारत भी वित्तीय स्थिरता के लिए शैडो बैंकिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियामक ढांचे में सुधार हेतु प्रयत्न कर रहा है।

शैडो बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को शैडो बैंक के रूप में जाना जाता है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है क्योंकि पांच दशकों से ये भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक ढांचे के तहत काम कर रहे हैं।

भारत में एनबीएफसी – नियमन का विकास

1950-60 के दशक में कई बैंकों की विफलता के कारण साधारण जमाकर्ताओं की एक बड़ी संख्या ने अपने जमा पूंजी को गंवा दिया। अतः बैंक जमाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा-तंत्र उपलब्ध कराने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा निगम का गठन किया गया। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी की गतिविधियों को भी विनियमित करने की पहल की क्योंकि उनसे भी जमाकर्ताओं को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। 1996 में एक बड़े एनबीएफसी संस्था की विफलता के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी की विनियामक संरचना को और भी सख्त बनाया तथा पंजीकरण आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण को नियमित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी फैसला किया कि किसी भी एनबीएफसी को जनता से डिपॉजिट लेने की अनुमति नहीं होगी। तपश्चात् जब एनबीएफसी ने अपने फंड के लिए बैंकिंग सिस्टम को स्रोत का जरिया बनाया तब प्रणालीगत जोखिम बढ़ने तथा वित्तीय अस्थिरता की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के आस्ति पक्ष पर प्रूडेंशियल नियमों को लागू किया।

भारत में एनबीएफसी की स्थिति

‘एनबीएफसी’ के अंतर्गत न केवल वित्तीय कंपनियां वरन निवेश, बीमा, चिटफंड, निधि, मर्चेन्ट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, वैकल्पिक निवेश आदि में युक्त कंपनियां भी शामिल

हैं। एनबीएफसी के वित्तीय मध्यस्थ होने के कारण वे बैंकों की एक अनुपूरक भूमिका में हैं। विशेष रूप से एनबीएफसी-एमएफआई और असेट फाइनेंस कंपनियां वित्तीय समावेशन के एजेंडे को लागू करने में कॉम्प्लिमेंटरी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, फैक्ट्रिंग व्यापार में युक्त एनबीएफसी कंपनियां इन क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। संक्षेप में, वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसी आवश्यक विविधता ला रही है।

एनबीएफसी – विनियामक चुनौतियां

एनबीएफसी की बढ़ती व्यापकता व अंतर-संबंध वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। वित्तीय स्थिरता, जमाकर्ताओं/ग्राहकों के हितों की रक्षा तथा इस क्षेत्र के स्वस्थ और कुशल विकास हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एनबीएफसी विनियमन को कारगर बनाने में प्रयत्नशील है। शैडो बैंक और एनबीएफसी के अलग शैली के होने से उनके द्वारा उत्पन्न खतरे भी अलग प्रकार के हैं। नतीजतन विनियामक चुनौतियां भी अलग तरह की हैं।

कानून संबंधी चुनौतियां

- बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं।
- ऐसे भी निकाय हैं जो वित्तीय गतिविधियों से युक्त हैं, परंतु अनियमित हैं तथा विनियमित नहीं हैं।
- ऐसी नियमित कंपनियां तथा अनियमित संस्थाएं हैं जो अवैध रूप से डिपॉजिट स्वीकार करती हैं।
- ऐसी संस्थाएं जो अन्य नामों तथा छलावे से अवैध रूप से डिपॉजिट स्वीकार करती हैं।

बाजार संबंधी चुनौतियां

विशेष रूप से अनियमित संस्थाएं देश के किसी भी कोने में बिना किसी नियामक संस्था का ध्यान आकर्षित किए तथा अपने ग्राहकों के हितों को खतरे में डालकर व्यवसाय प्रारम्भ कर देती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी व संरचित

मार्केट इंटेलिजेंस की जरूरत है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक इंटेलिजेंस प्रणाली को सशक्त करने के लिए विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनात्मक सेट-अप का पुनर्गठन कर रहा है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

कानून का प्रवर्तन एक चुनौती है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय एजेंसियों की गतिविधियों के विनियमन हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं। कानून के प्रभावी, समय पर और एकीकृत प्रवर्तन हेतु केंद्रीय सरकार के वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय, सीबीआई व एफआईयू-इण्ड, रिज़र्व बैंक, सेबी, कंपनी रजिस्ट्रार जैसे विनियामक एजेंसियों, राज्य सरकार व पुलिस तंत्र सभी को जानकारी साझा करने तथा आपस में सहयोग व समन्वय समितियों (एसएलसीसी) को मजबूत किया जा रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति के गठन पर भी विचार किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक शैडो बैंकों को सख्त नियमों के तहत लाए जाने की जरूरत है। जी 20 ने वर्ष 2015 तक इस मिशन को प्राप्त करने पर जोर दिया है। भारत के मामले में शैडो बैंकों को नियमों के तहत लाना कोई विशेष मुद्दा नहीं है क्योंकि वे पहले से ही विनियमित हैं। अपितु मुख्य चुनौती एनबीएफसी क्षेत्र को कड़ाई तथा बारीकी से विनियमित करने की है।

शैडो बैंकिंग प्रणाली के सकारात्मक पहलू

सामान्यतः शैडो बैंकिंग गतिविधियां काफी लाभप्रद परंतु जोखिमयुक्त होती हैं। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में शैडो बैंकों का ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन में

महत्वपूर्ण भूमिका है। वे वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक विकल्प और पूरक दोनों की भूमिका निभाते हैं। जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली नियामक बाधाओं अथवा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण उधारकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होती है वहीं वे उधारकर्ताओं के वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के साथ वित्तीय प्रणाली को तरलता प्रदान करते हैं। बीआईएस के अनुसार, शैडो बैंकिंग ऋण विस्तार, बैंकों/निवेशकों के ऋण प्रबंधन, तरलता और परिपक्वता जोखिम आदि कार्यों में सहायक हो सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बैंकों की तुलना में इनकी अधिक जोखिम क्षमता के चलते विनियामकों द्वारा इन्हें 'छोटे वित्तीय बैंक' लाइसेंस के आवेदन हेतु प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

शैडो बैंकिंग के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद ये वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में बाधक हैं जो मूलतः ग्राहक संरक्षण से ताल्लुक रखती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र की विशेषताओं के कारण तथा वित्तीय स्थिरता, ग्राहक व जमाकर्ताओं के संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र में और अधिक संस्थाओं की मौजूदगी आदि बहु-उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी तथा आधारभूत निरीक्षण की जरूरत के बारे में सचेत हो रहा है। प्रवृत्ति निश्चित रूप से इस दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है जो संभवतः शैडो बैंकिंग को सही दिशा प्रदान कर मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो सकेगी तथा आम लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान कर सकेगी।

○○○

व्हिसल-ब्लोअर नीति

आजकल के परिचालन जोखिम के दौर में जरूरी है कि प्रत्येक वाणिज्यिक संस्था अपने विरुद्ध होनेवाली धोखाधड़ी, कदाचार एवं अन्य अपकृत्यों के प्रति सतर्क एवं सजग रहे क्योंकि इनसे उसके कारोबार एवं प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंच सकती है। अपने कारोबार की वित्तीय प्रकृति के कारण बैंकों में परिचालन जोखिम विशेष रूप से अधिक रहता है। बासेल समिति की परिभाषा के अनुसार परिचालन जोखिम उस संभावित हानि को कहते हैं जो आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों या प्रणाली की अपर्याप्तता अथवा विफलता के कारण हो सकती है।

किसी भी संस्था को अपने भीतरी लोगों अर्थात कर्मचारियों (इस लेख में कर्मचारी शब्द में अधिकारी वर्ग भी शामिल है) के द्वारा अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है और यह बात बैंकों पर भी समान रूप से लागू होती है। यदि कोई कर्मचारी किसी प्रकार का अनैतिक, गैर-कानूनी अथवा अनुपयुक्त कार्य करता है, अन्य कोई अपकृत्य करता है जैसे कि धोखाधड़ी, अनियमितताएं, गबन, हेराफेरी आदि, बाहरी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेता है, और कदाचार करता है अथवा अपने निजी



रवि गुप्ता

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू

स्वार्थ हेतु पद का दुरुपयोग करता है, तो इनसे किसी भी संगठन के कारोबार, साख तथा प्रतिष्ठा को भारी हानि पहुंच सकती है। बैंकों का कारोबार भरोसे के ऊपर टिका होने के कारण प्रतिष्ठा की हानि उनके लिए सर्वाधिक क्षतिकारक हो सकती है। इससे किसी बैंक के लिए अस्तित्व का संकट तक पैदा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक बैंक के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे निडर होकर ऐसे अपकृत्यों को बैंक के शीर्ष प्रबंधन की जानकारी में लाने के लिए रिपोर्ट कर सकें। व्हिसल-ब्लोअर नीति एक ऐसा ही जरिया प्रदान करती है।

व्हिसल-ब्लोअर (सीटी बजाने वाले) कर्मचारी उन्हें कहा जाता है जो किसी भी प्रकार के अपकृत्य का खुलासा करते हैं। यहां सीटी बजाने को उसी अर्थ में लिया गया है जिस प्रकार एक प्रहरी रात्रि में सीटी बजाकर चोरों के प्रति सावधान करता है। इसी तरह एक व्हिसल-ब्लोअर भी प्रबंधन को ऐसे कर्मचारियों के प्रति सावधान करता है जो कि संस्था का अहित कर रहे हों। बैंक के वे कर्मचारी जो स्वयं किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त नहीं हैं, इसके माध्यम से धोखाधड़ी, कदाचार, घूसखोरी, पद का दुरुपयोग आदि कुकृत्यों के निवारण में एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

किसी भी संगठन में व्हिसल-ब्लोअर प्रणाली का अभाव उस संगठन के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़े कर सकता है। कुछ कंपनियां अपने निहित स्वार्थों के लिए मानव-जाति की सुरक्षा एवं हितों की भी अनदेखी कर देती हैं। रैन्बैक्सी इसका एक उदाहरण है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार कुछ कंपनियों के प्रबंधन द्वारा भी ऐसे काम किए जाते हैं जो कि कंपनी के

हितधारकों के हक में नहीं होते। व्हिसल-ब्लोअर नीति के अभाव में ऐसे कार्य कभी भी उजागर नहीं हो पाएंगे।

विगत कुछ वर्षों में उजागर हुए कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों पर यदि एक निगाह डालें तो सत्यम कम्प्यूटर लिमिटेड का प्रकरण इसके ज्वलंत उदाहरण के रूप में सामने आता है। सत्यम के चेयरमैन श्री रामलिंग राजू 2003 से लेकर 2008 तक कई वर्षों तक कंपनी के खातों में हेराफेरी करते रहे, किन्तु व्हिसल-ब्लोअर प्रणाली के अभाव के चलते अनेक वर्षों तक कंपनी के करोड़ों रूपयों का गबन करते रहने के बावजूद भी यह मामला प्रकाश में नहीं आया। इसके बारे में पता तभी चल पाया जब श्री राजू ने स्वयं ही कंपनी के बोर्ड को इस विषय में पत्र लिखकर अवगत कराया।

अतः व्हिसल-ब्लोअर नीति किसी भी संगठन में सुचारु कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस) को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। वर्ष 2013 में पारित नए कंपनी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी के लिए एक सतर्कता प्रणाली एवं व्हिसल-ब्लोअर नीति और प्रक्रिया को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार विनियामक सेबी (SEBI) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्टॉक-एक्सचेंज पर शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु कंपनियों के लिए एक व्हिसल-ब्लोअर नीति अपने कर्मचारियों को मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

पाश्चात्य देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हिसल बजाने वालों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु व्यापक कानून बनाए गए हैं। भारत में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में व्हिसल-ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे दिनांक 13 मई 2014 से लागू कर दिया गया है।

व्हिसल-ब्लोअर नीति के द्वारा बैंकों के कामकाज में नैतिकता और सदाचार के सर्वोच्च नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे बैंकों को अपने भीतर होने वाले ऐसे अपकृत्यों के विरुद्ध जंग लड़ने में सहायता मिलेगी जो

उनके हितों को हानि पहुंचा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि व्हिसल-ब्लोअर कर्मचारियों को समुचित संरक्षण दिया जाए ताकि वे निडर होकर गलत कामों का खुलासा कर सकें।

व्हिसल-ब्लोअर नीति की संरचना

एक अच्छी व्हिसल-ब्लोअर नीति में निम्नलिखित घटकों का होना अनिवार्य है -

- नीति दस्तावेज़ लिखित में हों तथा सभी कर्मचारियों को आसानी से उपलब्ध हों।
- शिकायतों के निपटान के लिए किसी उच्चाधिकारी जैसे कि महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक को मनोनीत किया जाए।
- नीति दस्तावेज़ में उन सभी वास्तविक अथवा आशंकित अपकृत्यों का उल्लेख हो जिनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है तथा उन कृत्यों की भी जो नीति के दायरे में नहीं आते।
- खुलासा करने की प्रक्रिया का नीति-दस्तावेज़ में विस्तार से वर्णन किया गया हो।
- मनोनीत अधिकारी का नाम तथा पता नीति-दस्तावेज़ में उपलब्ध होने चाहिए।
- शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया तथा समयावधि का नीति दस्तावेज़ में विस्तार से उल्लेख होना चाहिए।
- शिकायतों की समुचित एवं निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए।
- शिकायतों के सही पाये जाने पर की जानेवाली कार्रवाई का विवरण दिया जाए।
- व्हिसल-ब्लोअर को दिये जाने वाले संरक्षण की व्यवस्था का नीति में स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।
- जिन परिस्थितियों में व्हिसल-ब्लोअर को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा उनका नीति में उल्लेख होना चाहिए जैसे कि दुर्भावपूर्ण अथवा झूठी शिकायतें आदि।
- शिकायतकर्ता द्वारा अपनी पहचान संबंधी ब्योरा देना

अनिवार्य हो। गुमनाम तथा छद्मनाम से की गयी शिकायतों के निपटान की विधि भी दी जानी चाहिए।

व्हिसल-ब्लोअर को क्या-क्या संरक्षण प्राप्त होना चाहिए

व्हिसल-ब्लोअर के द्वारा की गयी शिकायत से प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध बदले की भावना से कुछ गलत कार्रवाई की जा सकती है। व्हिसल-ब्लोअर नीति की सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्हिसल-ब्लोअर को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए अन्यथा कोई भी कर्मचारी शिकायत करने से परहेज करेगा।

रैन्बेक्सी का मामला इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। रैन्बेक्सी के इंजीनियर श्री दिनेश ठाकुर ने पाया कि कंपनी की निर्यात की जानेवाली दवाओं के निर्माण के तरीकों तथा उनका टेस्ट करने में सही मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। जब उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताया तो उनकी बातों की अनदेखी कर दी गयी। बल्कि उन पर झूठे अभियोग लगा कर उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। किन्तु बाद में जब श्री ठाकुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हिसल-ब्लोअर कानून के अंतर्गत कंपनी के कामकाज के तरीकों के बारे में खुलासा किया तो कंपनी को 500 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ा।

व्हिसल-ब्लोअर के संरक्षण के लिए नीति में निम्नलिखित प्रावधान रखे जाने चाहिए -

- व्हिसल-ब्लोअर का नाम हर हाल में गुप्त रखा जाए।
- व्हिसल-ब्लोअर की पहचान का ब्योरा केवल एक ही व्यक्ति के पास रहे। तहकीकात करने वाले अधिकारियों को भी उसकी पहचान न बताई जाए।
- व्हिसल-ब्लोअर के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
- किसी भी प्रभावित पार्टी द्वारा यदि व्हिसल-ब्लोअर को परेशान अथवा प्रताड़ित किया जाए तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

- यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी बदले की भावना से व्हिसल-ब्लोअर को परेशान या प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का नीति में प्रावधान होना चाहिए।
- संपूर्ण बैंक स्तर पर किसी उच्चाधिकारी को समीक्षा प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाए जिसके पास व्हिसल-ब्लोअर अपने विरुद्ध की गयी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए आवेदन कर सके।
- व्हिसल-ब्लोअर की वार्षिक रिपोर्ट उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बदले की भावना से खराब न कर दी जाए, इससे निपटने के लिए भी नीति में समुचित प्रबंध होना चाहिए।

किसी भी व्हिसल-ब्लोअर नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि -

- कर्मचारियों में इस नीति को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- नीति-दस्तावेज़ सभी कर्मचारियों को परिपत्रों, वेबसाइट अथवा अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराया जाए।
- अपकृत्यों का खुलासा करके बैंक को वित्तीय नुकसान से बचाने वाले कर्मचारियों के लिए नीति में पुरस्कार की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- बैंक की लेखा समिति इसकी निगरानी करे तथा समय-समय पर ज़रूरी संशोधन भी किया जाए।

व्हिसल-ब्लोअर नीति की सफलता के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता तथा कर्मचारियों का नैतिक मूल्यों में विश्वास, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। इस नीति के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारी संस्था के अंदर होने वाले अपकृत्यों का खुलासा सर्वप्रथम संस्था के अंदर ही कर सकें। अन्यथा यदि वे इनका खुलासा संस्था के बाहर सार्वजनिक रूप से करते हैं अथवा सरकारी प्राधिकारियों के सामने करते हैं तो इससे संस्था की साख और हितों को भारी नुकसान हो सकता है।

○○○

समूह कृषि वित्त

परिचय

भारतीय कृषि का समृद्ध इतिहास है। हमने अब तक कृषि संबंधी अनेक समस्याओं का हल खोजा है। कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से पिछले 50 वर्षों में फसल के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 तक भारतीय कृषि का काफी विस्तार एवं विविधीकरण हुआ, जीडीपी में इसकी 14 प्रतिशत की और निर्यात लाभ में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हमारा देश फल, दलहन, भैंस-दूध, बाजरा-जवार और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही गेहूँ, चावल, सब्जी एवं चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक है और अण्डों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यद्यपि भारत ने कुछ सालों में खाद्यान्न के मामले में पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर होने में काफी प्रगति की है, तथापि भारत का कृषि उत्पादन ब्राज़ील, चीन, संयुक्त राष्ट्र (यूएस), फ्रांस के कृषि उत्पादन की तुलना में कम है। इतना ही नहीं भारतीय वित्तीय व्यवहार्यता में आ रही कमी के चलते किसान के लिए कृषि



रावेन्द्रा वेंकटेश्वर राव

सहायक महाप्रबंधक (संकाय)
स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

हिंदी अनुवाद - डॉ. जयकरण हीरेकर
प्रबंधक (राजभाषा)

स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

लाभकारी नहीं रहा है। कड़े परिश्रम के बावजूद भारतीय किसान को कृषि से लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को कृषि से कम आय होने के निम्नलिखित कारण हैं :

- विखंडित भू जोत के कारण आधुनिक कृषि विधियों को अपनाना मुश्किल है।
- न्यून निवेश क्षमता एवं कमजोर आधारभूत सुविधाएं।
- बाजार तक कम पहुंच एवं बिचौलियों द्वारा शोषण।

“भारतीय राष्ट्रीय कृषक आयोग” ने “युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने एवं इस क्षेत्र में उन्हें बनाए रखने के लिए कृषि को बौद्धिक रूप से आकर्षक एवं आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के और छोटे एवं सीमांत किसानों को उत्पादन और कृषि की फसल कटाई के बाद के चरण के आर्थिक सहायता एवं अधिकार देने के उपाय करने” की सिफ़ारिश की है।

सुझाए गए पहल निम्नानुसार हैं :

- कृषि कार्यकलाप बौद्धिक रूप से आकर्षक हो।
- कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।
- छोटे एवं सीमांत किसानों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाना।
- कृषि उत्पादन एवं फसल की कटाई के बाद के चरण पर ध्यान देना।
- कृषि संबंधी कार्यकलापों की ओर युवाओं को आकर्षित करना एवं उन्हें बनाए रखना।

भारत के 80 प्रतिशत किसान 2 हेक्टेयर से कम भू क्षमता वाले छोटे एवं सीमांत किसान हैं। इस श्रेणी के किसानों की प्रमुख समस्या अपनी फसल के विपणन, ऋण की उपलब्धता

और बाजार के भाव में उतार-चढ़ाव है। उत्पादनकर्ता के मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य में काफी अंतर होता है। भारत के किसान को उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य का मात्र 10 से 23 प्रतिशत ही मिलता है। शेष बिचौलियों को एवं अन्य को जाता है। यूरोप एवं यूएस जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में इसके ठीक विपरीत उपभोक्ता सुपर मार्केट में जो मूल्य अदा करता है, उसका 64 से 81 प्रतिशत किसान को जाता है। अतः छोटे किसानों के लिए आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए फसल के विपणन की समस्या के लिए सक्षम मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा सामूहिक विपणन के लिए अनेक मॉडल हैं, जैसे - स्वयं सहायता समूह मॉडल, छोटे उत्पादनकर्ता सहकारी मॉडल एवं संविदा कृषि; पंजाब में “अपनी मंडी”, आंध्र प्रदेश में “रायतु बाजार”, गुजरात में “डेयरी सहकारी संस्थाएं”, सामूहिक विपणन के कुछ सफल उदाहरण हैं। सामूहिक विपणन के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को इकट्ठा करना एवं उच्च मूल्य वाली कृषि से जोड़ना चुनौती भरा काम है। समूहन एवं विपणन से लाभ हासिल करने के लिए समूह दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

भारत में छोटे एवं सीमांत किसानों की प्राप्य आय (realizable income) बढ़ाने के लिए विकसित प्रथाओं से कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक प्रणालियों एवं ऋण सुपुर्दगी को साथ-साथ चलना होगा। राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एनसीईयूएस, 2008) ने छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम सुझाया है। छोटे एवं सीमांत किसान समूहों की प्रोन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सुझाव दिया है। यह कार्यक्रम उन्हें कम मूल्य पर कृषि सामग्री प्राप्त करने एवं उच्च मूल्य पर उत्पाद का विपणन करने में सहायक होगा।

उपयुक्त अवधारणा के अनुपालनार्थ नीति निर्माता, बैंकर एवं सरकार को चाहिए कि किसान एवं किसानों के समूह को लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले कृषि एवं विपणन के समूह दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। कृषि को कृषि व्यवसाय मानना समूची खाद्य श्रृंखला खेत - खलियान से उपभोक्ता तक एवं सूत से फैशन तक अर्थात् आदि से अंत तक (Farm to plate & fiber to fashion)-चिंतनीय है। भारतीय किसान, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत

श्रेणी के किसान, कृषि पण्य आपूर्ति श्रृंखला की कमजोर कड़ियां हैं। बाजार मूल्य - लाभ का अधिकांश अंश इन किसानों की जगह बिचौलियों को मिलता है। “समूह कृषि वित्त” योजना कृषि उत्पाद की बाजार में बिक्री से संबंधित अड़चनों को बेहतर ढंग से दूर करती है। बैंकर, इस मॉडल में, नकदी प्रबंधन से लेकर बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं।

इस शोध प्रपत्र में, देश एवं विदेश के समूह कृषि मॉडल संबंधी साहित्य-सामग्री की समीक्षा की गई है, साथ ही भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित प्रकरण की चर्चा की गई है।

कृषि संबंधी साहित्य - सामग्री की समीक्षा

1. लेटिन अमरीकी फल समूह

लेटिन अमरीकी फल समूह के छोटे एवं मध्यम उत्पादकों ने बाजार के दबाव को वहन करने के अनेक तरीकों को खोजा है। इसका अच्छा उदाहरण, चिली के मॉला एवं बाइओ हैं, जो रसबेरी का उत्पादन, इन्हें पैक/प्रोसेस एवं निर्यात करते हैं। उन्होंने छोटे सुपरमार्केट के साथ सीधे आपूर्ति (सोर्सिंग) की व्यवस्था में और नीतिपरक उत्पादन एवं विपणन नेटवर्क में भाग लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने बाजार की मांग के अनुरूप कम लागत पर सामूहिक रूप से वांछित मात्रा में उत्पादन एवं आपूर्ति की चुनौती का सामना करने के लिए संयुक्त कार्रवाई की है।

2. एक्वाडॉर पुष्प समूह

एक्वाडॉर का एक्स्प्लोरेस पुष्प उत्पादकों, निर्यातकों एवं प्लांट विस्तार (डेसेमिनेशन) कंपनियों के समूहों को एकीकृत करने वाले समूह की सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। यह प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायक कार्यक्रमों को विकसित करता है, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों से करार करता है और बाजार, सामाजिक तथा पर्यावरण मामलों पर आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन और प्रसार करता है। एक्वाडोरियन पुष्प समूह की सामूहिक कार्रवाई का उद्देश्य मूलभूत सामान्य समस्याओं जैसे आवश्यक सामान (उदाहरण

बीज, उर्वरक, कार्डबोर्ड के बक्से) की, फसल के ट्रांसपोर्ट की एवं बैंक द्वारा रोकड़ प्रेषण की व्यवस्था करना है।

3. फिलिपियन वेजिटेबल क्लस्टर

फिलीपीन्स में बढ़ती जनसंख्या के साथ परिवारों की आय में वृद्धि हुई एवं शहरीकरण का विस्तार हुआ है, इससे सब्जी उद्योग के लिए होटलों, अस्पतालों, सुपरमार्केटों, रेस्टोरेंटों और फास्ट फूड की दुकानों को सब्जी की आपूर्ति करने के अवसर सृजित हुए हैं। इन संस्थागत क्रेताओं को अपने मेनू के लिए बहुत ज्यादा सब्जी की जरूरत होती है एवं उन्हें उचित दाम पर उत्तम गुणवत्ता की सब्जी की लगातार आपूर्ति करने वाले विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता होती है। फिलीपीन्स के अधिकांश सब्जी उत्पादक 3 हेक्टेयर से कम जमीन में सब्जी उगाते हैं, उत्पादक एवं उत्पादक संगठन अपने उत्पादन समेकन के लिए एकीकृत हुए हैं। सब्जी उत्पादक समूह (वेजिटेबल क्लस्टर) को संस्थागत मदद, जैसे वाणिज्यिक बैंकों एवं सरकारी विभागों की मदद, से प्रोत्साहित किया जाता है। ये समूह छोटे उत्पादकों को अधिक आय प्रदान करने में सफल रहे हैं। ये क्लस्टर छोटे उत्पादकों को अधिक आय प्रदान करने में सफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संगठनों को गुणवत्तापूर्ण सब्जी की आपूर्ति हो पा रही है।

भारत कृषि क्षेत्र में भी सफल समूह दृष्टिकोण (क्लस्टर अप्रोच) के अनेक उदाहरण जैसे महाराष्ट्र में अंगूर क्लस्टर, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में डेयरी क्लस्टर अनेक सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ये क्लस्टर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सहकारी संरचना द्वारा संचालित होते हैं। हम यहां, “**कामेरी ग्राम समूह**” की चर्चा कर रहे हैं। यह समूह बैंक द्वारा सीमित क्षेत्र के छोटे किसान समूहों के व्यवहार्य एकीकरण संबंधी सभी मामलों की देखरेख के लिए प्रायोजित है।

कामेरी ग्राम पुष्पोत्पादन (फ्लोरिकल्चर) परियोजना

परियोजना की शुरुआत

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के कामेरी गाँव के किसानों

के बीच सामूहिक कृषि (क्लस्टर फार्मिंग) की अवधारणा, किसानों की आर्थिक स्थिति में और सामाजिक परिवेश में सुधार लाने के इच्छुक एक बेरोजगार युवक द्वारा किसानों का छोटा समूह बनाने की नई सोच के कारण, अस्तित्व में आई। उनका उद्देश्य, ऐसे कार्यों को मिलजुल कर करने का था जो अकेले किसान द्वारा संभव नहीं हैं। ये सभी किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं एवं इनमें से अनेक ने तो औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली है। इन सभी पहलों को भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की है, बैंक ने इस गाँव को “**एसबीआई का अपना गाँव**” के रूप में अंगीकार किया है। इस अत्यंत व्यावहारिक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि इस मॉडल की सफलता से किसानों का चहुंमुखी विकास होता है। बैंक ने व्यवहार्य ऋण मॉडल के रूप में “**समूह कृषि ऋण (क्लस्टर फार्मिंग फाइनेंस)**” नामक फार्मिंग समूह बनाया।

पृष्ठभूमि

कामेरी गाँव, सातारा ब्लॉक मुख्यालय एवं जिले से 23 किलोमीटर दूर, कृष्णा नदी के किनारे स्थित दूर-दराज का गाँव है। यह गाँव, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 की सड़क के अंतिम छोर पर स्थित है। इस गाँव की कुल जनसंख्या 2226 है और इसमें 352 परिवार रहते हैं, इनमें से 69 परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। यहाँ की प्रमुख फसल - गन्ना, मक्का, जवार और सब्जी हैं। यहां के अधिकांश परिवार गन्ना, भुट्टा, जवार और सब्जी की खेती करते हैं। अधिकांश किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं एवं अनेक परिवार डेयरी फार्मिंग का कार्य करते हैं। यह गाँव, विभिन्न वर्गों में सामाजिक सौहार्दता के लिए जाना जाता है और इसके लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा अवार्ड भी मिला है।

चूंकि गन्ना इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है एवं इन्हें इससे पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए कुछ युवकों ने वैकल्पिक कृषि अपनाने पर विचार किया। इसी क्रम में शिक्षित बेरोजगार युवा श्री विनोद गाडगे ने गाँव में पुष्पोत्पादन (फ्लोरिकल्चर) को शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया। इस सिलसिले में उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित पॉली हाउज़ फ्लोरिकल्चर में तीन माह का ऑन-फार्म प्रशिक्षण हासिल किया। उन्होंने जेरबेरा की फसल

के सभी कार्यकलाप, बुवाई से फूलों की कटाई तक के कार्य से अपने को जोड़ा, वित्तीय बातों को नोट किया, खाद्य सामग्री आदि के एवं फूल के विपणनकर्ताओं के विचार जाने और पॉली हाउज़ एवं रोपण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत की। विनोद, जेरबेरा की फसल के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार 560 वर्ग मीटर का पॉली हाउज़ शुरू करने के लिए वांछित ज्ञान एवं सूचनाओं के साथ अपने गाँव वापस लौटा।

समूह कृषि (क्लस्टर फार्मिंग) की शुरुआत

चूँकि यह गाँव दूर-दराज इलाके में स्थित है, विनोद ने विचार किया कि एक अकेले इकाई से फूलों का विपणन करना जोखिम का काम होगा। पुणे के खरीददार इतनी थोड़ी मात्रा में फूल खरीदने के लिए बार-बार गाँव नहीं आएंगे और किफायती न होने के कारण फूल हर दिन थोक विक्रेता के पास नहीं ले जा सकते हैं। उसने एसबीआई जाकर पुष्पोत्पादन (फ्लोरीकल्चर) इकाई शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा, सातारा ने बैंक की नवोन्मेषी पहल “किसानों के साथ मजबूत संबंध कायम करना” के तहत “एसबीआई का अपना गाँव” के रूप में कामेरी गाँव को गोद लिया। बैंक ने कामेरी गाँव में अनेक कृषि-कार्यकलापों को ऋण दिया एवं अनेक सीएसआर पहलों को शुरू किया। शाखा ने विनोद की व्यक्ति आधारित पुष्पोत्पादन प्रस्ताव के कार्यान्वयन में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए उसे समूह कृषि का प्रस्ताव दिया। विनोद ने कुछ युवा समूहों तथा बैंक के अधिकारियों को बुलाकर फूलोत्पादन तथा गुणवत्ता वाले जेरबेरा फूल के उत्पादन के लिए उनके गाँव में विद्यमान सुविधाओं जैसे मिट्टी, बारहमासा समान मौसम और कृष्णा नदी के प्रचुर पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। बैंक के तकनीकी स्टाफ ने जेरबेरा उत्पादन के 560 वर्ग मीटर के पॉली हाउज़ इकाई के बारे में और राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता की योजना के बारे में जानकारी दी। 25 उत्साही किसानों ने इस योजना में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। ये सभी छोटे किसान थे, इनमें से कुछ बेरोजगार युवा और कुछ बुजुर्ग किसान भी थे। युवाओं और वृद्धों के इस मिश्रित समूह ने इस नए उद्यम को शुरू किया।

समूह खेती – कार्यान्वयन का विचार

किसानों के उत्साह एवं गाँव के उत्तम वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर बैंक ने “समूह खेती” नामक नवोन्मेषी वित्तीय मॉडल का सुझाव दिया।

कार्यप्रणाली

1. फूलों का उत्पादन प्रत्येक किसान करेगा।
2. आम फसल-पैदावार के बाद की मूलभूत संरचना का विकास करना।
3. ऋण (पॉली हाउज़ के निर्माण के लिए, प्लांट की लागत आदि आम मूलभूत संरचना में किसान के अंश के लिए) हर एक किसान के नाम पर होगा।
4. उगाए गए फूलों को बैंकिंग गृह में सामूहिक रूप से पैक किया जाएगा।
5. किसान स्वयं सातारा में स्थापित विपणन सहकारी संस्था के मार्फत ‘ब्रैंड नाम’ पर फूलों का विपणन करेंगे।
6. व्यवस्थित रूप से नकदी की वसूली के लिए सदस्यों की इकाई बनाई जाएगी।
7. किसानों द्वारा की गई फूलों की आपूर्ति के अनुसार उन्हें बिक्री राशि का बंटवारा किया जाएगा।

अपेक्षाएं

1. 560 वर्ग मीटर की इकाई। हर एक किसान के पास पॉली हाउज़ बनाया जाएगा और फूलों का उत्पादन हर एक किसान के द्वारा किया जाएगा।
2. सबके लिए एक आम ‘बैंकिंग गृह’ बनाया जाएगा।
3. पैक किए गए फूल सातारा ले जाने के लिए सब मिल कर ट्रांसपोर्ट वाहन की खरीदी करेंगे।

बाजार-व्यवस्था

सातारा की अजिंक्ययात्रा सोसाइटी वर्ष 1997 से फूलों के विपणन का काम सफलता पूर्वक कर रही है। यह सोसाइटी फूल उत्पादनकर्ताओं से प्राप्त फूल के बॉक्स पुणे, मुंबई, दिल्ली,

कलकत्ता, हैदराबाद एवं बेंगलूर बाज़ार में भेजती है। यह सोसाइटी 'अजिंक्य फ्लोरा' ब्रैंड नाम से फूलों का विपणन थोक में करती है। यह सोसाइटी किसानों को उचित दाम पर उर्वरक, कीटाणुनाशक, पैकेजिंग सामग्री एवं बक्सों की भी आपूर्ति करती है। इससे फूल उत्पादकों को गुणवत्ता वाले फूलों के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सुविधा होती है। अजिंक्ययात्रा सहकारी सोसाइटी नाममात्र शुल्क वसूल करने के बाद बिक्री से प्राप्त राशि किसानों को वितरित कर देती है, इससे किसानों को अपने कड़े परिश्रम एवं अपने निवेश का समुचित लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारतीय स्टेट बैंक ने कामेरी क्लस्टर को अजिंक्ययात्रा से जोड़ने की पहल की।

बिक्री से प्राप्त राशि के वितरण की पद्धति

शुरू में चेकों की उगाही में हुई देरी के कारण बिक्री राशि की वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैंक द्वारा सुझाए गए निष्कंटक रोकड़-प्रबंधन कार्यविधि के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से किसानों को काफी प्रसन्नता हुई। यह बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के कारण संभव हुआ है।

इस संबंध में किए गए उपाय :

1. एडीबी, सातारा शाखा सभी 25 किसानों के लिए बचत बैंक खाता खोलेगी एवं एटीएम कार्ड और बहुनगरीय चेक जारी करेगी।
2. इन खातों के लिए मूल शाखा (Home Branch) को बदल दिया जाता है, ताकि फूल मार्केट के समीप की एसबीआई की शाखा में हर एक खाते में रोकड़ जमा करने की सुविधा हो।
3. परेषण के अनुसार विभिन्न शहरों के किसानों के संबंधित खातों में उसी दिन रोकड़ जमा किया जाएगा।
4. चूंकि शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान से जुड़ी होने के कारण किसानों को सातारा या, जहाँ वे हैं, वहाँ के एटीएम से रोकड़ के आहरण की सुविधा होगी।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी पहल किस प्रकार दूरस्थ इलाकों के छोटे

किसानों के लिए उपयोगी प्रमाणित हो रही है, इसका अच्छा उदाहरण है।

वित्तीय पक्ष

प्रस्ताव के अनुसार फूलों का उत्पादन हर एक किसान करेगा एवं इसके बाद हैण्डलिंग, पैकिंग एवं विपणन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाएगा। हर एक किसान अनुमानित लागत में उत्पादन लागत एवं आम मूलभूत संरचना में इनकी भागीदारी लागत शामिल है।

किसान के लिए प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउज़ (560 वर्ग मीटर) की अनुमानित लागत

| विवरण | लागत रु. में |
|--|---|
| प्लास्टिक फिल्म सहित संरचना | 3,50,000 |
| जेरबेरा फूल बोने की सामग्री @ 35 रु. प्रति 3300 पौधे | 1,15,000 |
| माइक्रो सिंचाई प्रणाली | 40,000 |
| ट्रांसपोर्टेशन | 5,000 |
| सहायक सामग्री | 60,000 |
| कुल लागत | 5,70,000 |
| आम मूलभूत संरचना की लागत: | |
| पैकिंग गृह की लागत | रु. 1,50,000 |
| ट्रांसपोर्ट वाहन की लागत | रु. 4,50,000 |
| कुल आम मूलभूत संरचना | रु. 6,00,000 |
| प्रति किसान लागत | रु. 6,00,000/25 = रु. 24,000 |
| कुल निवेश | रु. 5,70,000 + 24,000 = रु. 5,94,000 |
| एनएचबी अर्थ सहायता राशि(20%) | रु. 1,14,000 |
| आवेदक की मार्जिन राशि (20%) | रु. 1,15,000 |
| मीयादी ऋण | रु. 3,65,000 (चुकौती : रु. 73,000 प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष तक) |

क. अनिवार्य वार्षिक चुकौती

| | |
|---|---|
| इन्स्टालेशन | रु. 73,000 + औसत ब्याज : 23,000 = रु. 96,000 |
| आय | (40 फूल प्रति पौधा प्रति वर्ष एवं बिक्री @ रु. 2.50 प्रति फूल) |
| सकल वार्षिक आय | (3300 X 40 X 2.50): रु. 3,30,000 |
| घटाव | : अनुरक्षण लागत रु. 50,000 |
| ख. वार्षिक आय | रु. 2,80,000 |
| नामे सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) : रु. 96,000 : 2,80,000 | 1 : 2.9 |
| किसान का निवल अधिशेष प्रति वर्ष : रु. 2,80,000 (- रु.2,80,000) | रु. 1,84,000 |

आरंभिक बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई है कि प्रोजेक्ट के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित है। सामूहिक दृष्टिकोण समझने एवं इसके लाभ को जानने के लिए अनवरत संचार प्रक्रिया आवश्यक है। चूंकि किसान पारंपरिक रूप से अर्थात् अकेले काम करते थे, निर्णय स्वयं लेते थे, उनके वित्तीय भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय कभी भी संयुक्त रूप से नहीं लेते थे। अतः उत्पादनकर्ता किसान पूर्णतः समूह की अवधारणा को एवं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना बड़ी चुनौती हैं। चूंकि कामेरी गाँव के किसानों में सामुदायिक एकता रही है, इसीलिए सक्रिय समूह एवं 'पूर्णतः एकीकृत समूह कृषि' को समझना उनके लिए आसान होगा। सभी किसानों ने सहज रूप से ऋण प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया एवं अर्थसहायता के लिए एनएचबी ऐक्सेस करने का निर्णय किया है। कार्रवाई तत्काल शुरू हो गई एवं जनवरी 2008 में इकाइयां स्थापित हो गईं। बैंक ने प्रस्तावों को प्रोसेस करने को प्राथमिकता दी और एनएचबी ने अर्थसहायता आवेदनपत्र भरने एवं इनकी प्रस्तुति में किसानों को मदद प्रदान की। सभी किसानों को एनएचबी द्वारा जारी 20 प्रतिशत अर्थ सहायता हासिल हुई। पुणे की फर्म ने टर्नकी आधार पर पॉली हाउज़ों का निर्माण किया। बाँयो-टेक कंपनी ने प्लांट सामग्री एवं तकनीकी सहायता दी। समूह में शामिल होने के कारण जेरबेरा खेती से जानकार होने में

उन्हें अधिक समय नहीं लगा। फूलों की पहली खेप तैयार होने तक उनके बचत खाता खुल गए थे।

मूल्यांकन

इस आलेख के आलेखकार ने वर्ष 2008, 2010 एवं 2013 के दौरान मूल्यांकन दौरा किया, पाया कि किसानों का विश्वास अत्यधिक बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यकलापों को वित्तीय सफलता मिली। समूह का उत्साह बढ़ा। किसानों के परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अन्य किसान नए वेंचर के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की सातारा कृषि विकास शाखा इस परियोजना से पूर्णतः संतुष्ट है एवं किसानों के उत्साह की प्रशंसा करती है। सभी खातों का परिचालन नियमित है एवं सुझाई गई 'रोकड़ प्रबंधन' कार्यविधि भलीभांति काम कर रही है।

इस मॉडल के लाभ

'समूह कृषि वित्त' निम्नलिखित कारणों से सफल एवं लाभदायक प्रमाणित हुआ है :

1. यह छोटे किसानों का ध्यान रखती है एवं एकीकरण द्वारा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में सहायक है।
2. परियोजना के वैयक्तिक लागत को कम करने में आम मूलभूत संरचना मददगार है।
3. बिचौलिये नहीं हैं।
4. हर एक किसान को उनके कड़े परिश्रम के लिए बेहतर भुगतान मिलता है।
5. बड़ी संख्या में छोटी इकाइयों के संयुक्त रूप से व्यवसाय करने के कारण किसानों के साथ औद्योगिक विचार-विमर्श आसान होगा।
6. समानता होने के कारण बैंकर के लिए ऋण की प्रोसेसिंग एवं अर्थसहाय्य का प्रबंधन करना आसान होता है।
7. हर एक किसान को ब्रैंडिंग शक्ति का लाभ मिलता है।
8. सरकारी विभाग या स्थानीय निकायों के साथ सामूहिक मोल-भाव संभव है।

9. फसल उत्पादन संयुक्त या सहकारी फर्म से भिन्न, वैयक्तिक आधार पर होने के कारण हर एक किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने का भरसक प्रयास करता है।
10. फसल-उत्पादन के मूल्य का निर्धारण पहले से नहीं किए जाने के कारण संविदा कृषि वाला नुकसान इसमें नहीं है एवं कीमते बाजार की कीमत से कम होने की भी संभावना नहीं है।
11. कम उत्पादन करने वाले किसानों पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं बैंक ऋण की वसूली के मामले में साथ वाले किसानों का दबाव रहता है।
12. ऋण हर एक को अलग-अलग संस्वीकृत किए जाने के कारण ऋण दायित्व सहकारी/समूह ऋण/स्वयं सहायता समूह के मामले से भिन्न संबंधित किसान तक सीमित होता है, इससे किसानों को समय पर भुगतान करने एवं प्रतिभूतियां वापस पाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

‘समूह कृषि वित्त’ के लिए अन्य कार्यकलापों के संबंध में अन्य सुझाव

कामेरी गाँव पुष्पोत्पादन समूह परियोजना के समान, एक समान मूलभूत संरचना एवं ब्रैंड नाम वाली संयुक्त विपणन वाले समूह कृषि वाले कार्यकलापों के लिए इस परियोजना को लिया जा सकता है, जैसे -

1. एक समान पैकिंग गृह एवं पक्वन चैंबर (Ripening Chamber) वाले केला उत्पादक किसानों का इनके अपने ब्रैंड के साथ समूह।
2. एक समान गुड़ प्रसंस्करण सुविधा, गोदाम वाले गन्ना उत्पादक किसानों का इनके अपने ब्रैंड के साथ समूह।
3. छोटे आकार के शीत भण्डारण (Cold Storage), पैकिंग गृह एवं सुपर मार्केट को आपूर्ति करने वाले सब्जी उत्पादक किसानों का समूह।
4. किशमिश बनाने के लिए आम शुष्कन (Drying) गृह वाले अंगूर उत्पादक किसानों का समूह।
5. महानगरी एवं शहरी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण जैविक सब्जी की

आपूर्ति की बहुत मांग है। ये क्लस्टर सब्जी बाजार में बिना किसी बिचौलिए के खुद के बिक्री केंद्र लगा सकते हैं।

निष्कर्ष

अंत में निष्कर्ष यह है कि किसान पारंपरिक रूप से स्वतंत्र होता है एवं उनके परिचालन में समूहन के द्वारा प्रस्तावित मूलभूत बदलाव के लिए कुछ समय लगेगा। यदि समूह को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है तो इससे भावी आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ होंगे। समूह का लाभ हासिल करने के लिए बैंक छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने की पहल कर सकते हैं। क्लस्टर कृषि का कार्यशील मॉडल बदलाव लाने में परिवर्तनकारी कारक प्रमाणित होगा। संक्षिप्त में, वर्तमान माइक्रो शोध पत्र यह दर्शाता है कि छोटे किसानों का समूहन हर एक किसान के लिए अधिक लाभदायक है। किसान महत्वपूर्ण श्रृंखला में अधिक लाभ हासिल करेंगे। इस क्रम में, ऐसे समूह बनाने की पहल करने वाले बैंक का कृषि ऋण गुणवत्तापूर्ण एवं लाभदायक ऋण होगा। समूह कृषि भारतीय कृषि के परिदृश्य को बदल सकता है और बैंकों के लिए व्यवहार्य वित्त मॉडल प्रमाणित होगा।

संदर्भ एवं विस्तृत पठन :

1. राय. डी. तथा थोरात. ए. 2008, Success in High-Value Horticultural Export Markets for Small Farmers: The Case of Mahagrapes in India.
2. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalised economy लेखक रवी गाल्वेज़ नोगेल्स, Market, Economist, Rural Infrastructure and Agro-Industries Division, FAO.
3. स्वामीनाथन रिपोर्ट : National commission on Farmers: <http://www.prsindia.org/parliamenttrack/report-summaries/swaminathan-report-national-commission-on-farmers-662/>

○○○

लेखकों से/पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
 - ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
 - ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
 - घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
 - ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।
3. क. लेख अधिकतम 8 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
 - ख. वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
 - ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
 - घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फॉन्ट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अवश्य दें।
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

रेग्युलेटर की नज़र से

[संपादकीय समिति ने पाठकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक नया स्तंभ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाएगा। प्रस्तुत है इस कॉलम का पहला लेख।]

एनएसीएच

अब तक म्यूच्युअल फंड संबंधी लेनदेनों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा अर्थात् ईसीएस के माध्यम से किया जाता था, जिसकी पहुंच देश में लगभग 90 केंद्रों तक सीमित थी। इन केंद्रों के बाहर परंपरागत तरीके से चेक से भुगतान किया जाता था। अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बार-बार और आवधिक रूप से किए जाने वाले अंतर-बैंक, अधिक मात्रा वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों को सुकर बनाने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों और सरकार के सामने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह अर्थात् नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) नामक योजना को कार्यान्वित किया है।

इसके दस फायदे हैं - पहला, यह राष्ट्रव्यापी होगा; दूसरा, इसमें बैच के बजाए रीयल टाइम आधार पर लेनदेनों का निपटान होगा; तीसरा, इसमें मैनुअल प्रॉसेसेज को समाप्त किया गया है और इसके पूरे प्लैटफॉर्म को सीमलेस और सुदृढ़ बनाया गया है; चौथा, इसमें पंजीकरण में काफी कम अर्थात् 10 से 15 दिन का ही समय लगेगा; पांचवां, इसमें मैनडेट फार्म की वास्तविक आवाजाही के बजाए उसकी स्कैन प्रतियां भेजी जाएंगी; छठा,



डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

नेट बैंकिंग की सुविधा न लेने वाले ग्राहक भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे; सातवां, लेनदेन पर बेहतर नज़र रखने के लिए अलग-अलग मैनडेट पंजीकरण संदर्भ संख्या होगी; आठवां, अलग-अलग निवेश के लिए एक एनएसीएच फार्म काफी होगा क्योंकि इसे फोलियो स्तर पर, न कि लेनदेन के स्तर पर, रखा जाएगा; नौवां, इसमें पंजीकरण की शत प्रतिशत पुष्टि प्राप्त होगी और दसवां, एसआईपी संबंधी लेनदेन अधिक तीव्र गति से होगा क्योंकि निवेशक के खाते में निधि का अंतरण उसी कारोबारी दिन में दिखाई देगा।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब निवेशक एसआईपी के लिए एसआईपी-ईसीएस के बजाय एसआईपी-एनएसीएच फार्म भरेंगे। इसमें ईसीएस की तुलना में अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

अटल पेंशन योजना

2010-11 में शुरू की गई स्वावलंबन पेंशन योजना में जो कुछ कमियां थीं उन्हें दूर करते हुए 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना कम लागत पर दी जाने वाली ऐसी पेंशन योजना है जिससे असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को 60 साल की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु वाले नागरिक इस योजना से जुड़ सकते हैं। साथ ही, जो नागरिक ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। इस योजना में धारक का आधार कार्ड होना आवश्यक है ताकि योजना के लाभ आसानी से उपभोक्ता को मिलें। योजना से जुड़ने के बाद भी कुछ समय बाद आधार नम्बर प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस योजना के तहत 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन राशि मिलेगी, जो इस बात पर निर्भर होगा कि संबंधित

व्यक्ति ने किस उम्र में इस योजना में अंशदान करना शुरू किया और उसने कितना अंशदान किया। 42 रुपये प्रति माह जमा करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 रुपये प्रति माह और 210 रुपये प्रति माह जमा करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत पेंशनभोगी को 60 वर्ष पूरा करते ही पेंशन मिलेगी। अगर 60 वर्ष की आयु के बाद खातेदार की मृत्यु हो जाती है तब पेंशन उसकी पत्नी अथवा पति को मिलेगी और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तब पेंशन नामिनी को मिलेगी। अगर खातेदार की मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है तब जमा की गई राशि नामिनी को दे दी जाएगी और अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

योगदान राशि उपभोक्ता के खाते से बैंक द्वारा ले ली जाएगी, जिससे समय एवं अन्य खर्चों में बचत होगी। साथ ही, तारीख याद रखने की परेशानी भी नहीं होगी। 31 दिसंबर 2015 से पहले जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा बनते हैं उन्हें सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का योगदान दिया जाएगा जो कि 5 साल तक रहेगा पर यह सुविधा उन्हीं को दी जाएगी जो आय कर दाता नहीं हैं। प्रीमियम राशि की अदायगी देरी से करने पर दंड लगाया जाएगा और 6 महीने तक खाते में पैसा नहीं जमा कराने पर खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा, 12 महीने तक पैसा नहीं जमा कराने पर खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा तथा 24 महीने तक पैसा नहीं जमा कराने पर खाता बंद कर दिया जाएगा।

नवोदित कंपनियों (start up) की लिस्टिंग

देश में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना ज़रूरी है। आज इस सेक्टर का दायरा बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन कंपनियों में संस्थापकों की पूंजी काफी कम (कहीं कहीं 10 प्रतिशत से भी कम) है क्योंकि इन्हें व्यावसायिक घरानों ने नहीं अपितु पेशेवरों ने शुरू किया है, इनमें से अधिकांश जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि घाटे में भी चल रही हैं। इनमें से कइयों के विफल होने की संभावना भी काफी है।

जहां एक ओर इनकी लिस्टिंग का प्रावधान करना है ताकि ये आसानी से पैसे जुटा सकें और अपनी व्यावसायिक ज़रूरतें पूरी करते हुए लाभप्रद रोजगार दे सकें, वहीं यह भी देखना होगा कि इनमें क्यूआईबी की हिस्सेदारी कम हो ताकि इन्हें बड़ी वित्तीय

फर्मों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। सेबी इनकी लिस्टिंग के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है, जिसमें कुल निर्गम का शायद 5 प्रतिशत तक हिस्सा ही क्यूआईबी के लिए रखा जाए।

इसके अलावा, चूंकि इन कंपनियों में से कुछ बहुत अधिक लाभप्रद हो सकती हैं तो कई विफल भी हो सकती हैं, अतः अधिक लाभप्रदता के लोभ में छोटे निवेशक अपनी पूंजी भी न गंवा बैठें, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना है। इसके लिए आवेदन राशि और ट्रेडिंग लॉट का आकार काफी ऊंचा रखा जा सकता है। सेबी के चर्चा पत्र में आवेदन का न्यूनतम आकार 10 लाख रुपये और ट्रेडिंग लॉट 5 लाख रुपये और प्रमोटरों के लिए लॉक-इन अवधि 6 महीने प्रस्तावित है। वैलुएशन की दृष्टि से भारत की प्रमुख नवोदित कंपनियां हैं - फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, आईमोबी, पेटीएम और जोमैटो।

मुद्रा बैंक

भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) की ग्रोथ तेजी से हो रही है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार रोजगार को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार को और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना ज़रूरी है और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कर्ज की व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। जहां बड़े उद्योगों में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, वहीं छोटे उद्यमियों ने देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। इन तथ्यों ने जन्म दिया है मुद्रा (माइक्रो यूनित्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक को। 8 अप्रैल 2015 को इसे औपचारिक रूप से लांच किया गया।

इसका आरंभिक कॉर्पस 20000 करोड़ रुपये का है और इसके पास 3000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी निधि है। 2013 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 5.77 करोड़ छोटे कारोबारियों की पहचान इसके संभावित ग्राहकों के रूप में की गई है। इस नई संस्था का जन्म एक एनबीएफसी और सिडबी की एक सहायक संस्था के रूप में हुआ है। संभव है कि बाद में इसके महत्त्व को देखते हुए कोई नया कानून बनाकर इसे एक पूर्णकाय संस्था का स्वरूप दे दिया जाए और यह सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियामक की भूमिका भी अदा करे।

○○○

इतिहास के पन्नों से

बैंकिंग की अवधारणा भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में मौजूद रही है। नगरसेठ और श्रेष्ठियों जैसी निजी बैंकिंग व्यवस्था उस काल की आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। जैसे-जैसे समय बदलता गया बैंकिंग का स्वरूप भी बदलता गया। आज हम एक ऐसे बैंक की जीवन गाथा देखते हैं, जिसने अपनी शुरुआत तो खासतौर से विदेशी वाणिज्य और मुद्रा संबंधी कारोबार से की, लेकिन बाद में समय के अनुसार वह अपना विस्तार विविध क्षेत्रों में करता गया और नित उन्नति के नए सोपान चढ़ता गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की। आइए, देश की विकास-गाथा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इस बैंक की कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं.....

“आपकी प्रगति का सच्चा साथी” बनने की कामना दिल में लिए सदैव आपकी सेवा में तत्पर मैं हूँ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक। मेरा जन्म उस धरा पर हुआ है, जहां आज से सदियों पहले भी समुद्री यात्रा द्वारा विदेशी व्यापार के लिए जाने वाले व्यापारियों के लिए रुपये-पैसे का फलता-फूलता कारोबार हुआ करता है। व्यापारियों की श्रेणिक न केवल सामाजिक संस्थाएं थीं, बल्कि



डॉ. मीनू मंजरी

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई



1937 में चेन्नै में बैंक की प्रथम शाखा

अपने सदस्यों के लिए बैंक का भी कार्य करती थीं। ऐसे ही अग्रणी व्यापारिक वातावरण वाले चेन्नै शहर में मेरे संस्थापक श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार को एक ऐसे बैंक की स्थापना का ख्याल आया जो विदेशी विनिमय व्यापार का अगुआ बने। इसी विचार को उन्होंने 10 फरवरी 1937 को साकार रूप दिया और मेरी स्थापना हुई। श्री चिदंबरम चेट्टियार अनेक विषयों के ज्ञाता थे और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वे अग्रणी थे। वे एक अभिजात परिवार से संबंध रखते थे और बैंकिंग उनका खानदानी व्यवसाय था। वे इंडियन बैंक के निदेशक भी रहे। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मेरी विशिष्टता इसी बात से समझी जा सकती है कि स्थापना वाले दिन ही मेरी एक नहीं, बल्कि तीन शाखाएं एक साथ खोली गईं - कराईकुडी, चेन्नै और रंगून में। थोड़े ही दिनों बाद मलेशिया के पेनांग में भी मेरी एक शाखा खोली गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत संकटों का सामना कर रही थी,

लेकिन मेरा व्यवसाय निर्बाध गति से चलता रहा। हमारे देश की आजादी के समय मेरी भारत में 38 और विदेशों में 7 शाखाएं थीं। इस समय मेरे पास सकल जमा 6.64 करोड़ रुपये थी और सकल अग्रिम 3.23 करोड़ रुपये थे। मंदी की अवधि में भी मेरा बढ़ता कारोबार अनेक वित्तीय विश्लेषकों के लिए शोध का विषय रहा है। आज मेरी 3351 शाखाएं हैं, जिनमें 1019 ग्रामीण, 940 अर्धशहरी, 740 शहरी और 652 महानगरीय शाखाएं हैं (31 दिसंबर 2014 की स्थिति)।

मेरी जीवन गाथा के कई सोपान रहे हैं। राष्ट्रीयकरण पूर्व की अवधि में मेरा खूब विस्तार हुआ और मैं घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी एक बड़े बैंक के रूप में उभरने लगा। मेरे विदेशी कारोबार का मुख्य क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया था - कोलम्बो, मलेशिया, हांगकांग, सिओल में मेरी उपस्थिति थी। भारत में यह दौर विलय और अधिग्रहण का था - कमजोर निजी बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ कर बैंकिंग क्षेत्र स्वयं को सुदृढ़ कर रहा था। मैंने भी कोयम्बतूर स्टैंडर्ड बैंक, वेंकटेश्वर बैंक जैसे कई छोटे-छोटे स्थानीय बैंकों का अधिग्रहण किया। इन गतिविधियों से मेरे स्टाफ सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और उन्हें नवीनतम तकनीकों और व्यवस्थाओं से अद्यतन रखने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। आज देश भर में मेरे 10 प्रशिक्षण केंद्र और चेन्नै में एक स्टाफ कॉलेज है।

इस काल में मैंने विभिन्न नवोन्मेषी सेवाओं और योजनाओं की शुरुआत की। मैंने कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो बनाया और निजी ऋण योजना की शुरुआत की। हमारे देश में कृषि की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए 1968 में मेरा एक विशिष्ट और संपूर्ण विभाग खोला गया, जो देश के अन्नदाताओं की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। फिर समय आया राष्ट्रीयकरण का - 1969 में सरकार ने बैंकों के जरिए सामाजिक जिम्मेदारियों और सरकारी योजनाओं को भलीभांति संपन्न करने के लिए 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। मैं भी अब एक राष्ट्रीयकृत बैंक था और अपने सामाजिक दायित्वों का और भी प्रतिबद्धता से निर्वाह करने के लिए तत्पर था। इस समय मेरी 195 शाखाएं थीं और कारोबार मिक्स 112.6 करोड़ रुपये का था।

अपने स्थापना काल से ही मैं जन सामान्य के लिए ऋण योजनाएं लागू कर रहा था। राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें और गति

आई। यह समय मेरे लिए आधुनिकीकरण और शाखा विस्तारण का था। अनेक शाखाएं खोली गईं, अत्याधुनिक सुविधाओं का आरंभ किया गया और कारोबार बढ़ाने के लिए सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसी बीच कुछ विदेशी शाखाओं की स्थिति में परिवर्तन भी आया। 1973 में मलेशिया की पांच शाखाओं को बंद करना पड़ा क्योंकि मलेशिया के बैंकिंग कानूनों में उनके देश में विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद वहां यूनाइटेड एशियन बैंक की स्थापना की गई, जिसकी प्रदत्त पूंजी में 16.67 प्रतिशत हिस्सा मेरा था। इसी वर्ष चेन्नै में भारत ओवरसीज़ बैंक की भी स्थापना की गई जिसमें मेरा शेयर 30 प्रतिशत था। फिर मेरी बैंकॉक शाखा को इसी में समाहित कर दिया गया। इसके बाद 1977 में सिओल में मेरी एक शाखा खोली गई और 1979 में कोलंबो में मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई की शुरुआत की गई।

विदेश के साथ-साथ देश में भी मैंने अपना प्रसार बढ़ाया और तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया - पुरी ग्रामीण बैंक, ठेकानाल ग्रामीण बैंक और पाण्डियन ग्राम बैंक। बाद में पुरी ग्रामीण बैंक और ठेकानाल ग्रामीण बैंक को मिलाकर नीलांचल ग्रामीण बैंक बनाया गया। आधुनिकीकरण के प्रति मैं हमेशा से उत्साही रहा हूँ, यही कारण है कि मैंने अलग से कंप्यूटर नीति और प्रायोजना प्रभाग बनाया जो कंप्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के लिए अपना सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने, स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए और ग्राहकों को तकनीक आधारित नवीनतम सुविधाएं देने के लिए काम करता रहा। बाद में इसे विस्तार देकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बनाया गया। तकनीक के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का पता इसी बात से चलता है कि चारों महानगरों की 129 शाखाओं में 'एनीवेयर बैंकिंग' लांच करने वाला मैं सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक था।

आर्थिक उदारीकरण के बाद के दौर यानि कि 1992 के बाद से मैंने अपने व्यावसायिक तथा तकनीकी आयाम और भी विकसित किए। जहां 1996 में पहली बार मेरे मुनाफे ने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं 1997-98 में बैंक को मिली स्वायत्ता के फलस्वरूप मैंने खुद का सॉफ्टवेयर विकसित किया और अपने प्रशासन और परिचालन को उसके आधार पर ढाला।

मैं सितंबर 1999 में नीदरलैंड की नोस्के वेरिटास से अपने कंप्यूटर नीति और प्रायोजना विभाग के लिए 9001 प्रमाणन हासिल करने वाला पहला बैंक बना। इस प्रमाणन में इन हाउस सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, विकास, कार्यान्वयन और रख-रखाव तथा टर्नकी परियोजनाएं भी शामिल होती हैं।

उदारीकरण के दौर में वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान मेरा पहला पब्लिक ऑफर (आईपीओ) बाजार में आया। 25 सितंबर 2000 को खोला गया यह इश्यू 1.89 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। सितंबर 2003 में मैं 240 करोड़ की सकल राशि के लिए पूंजी जुटाने पुनः बाजार में उतरा और इस बार भी 6.14 गुना ओवरसब्सक्राइबिंग के साथ हमारा इश्यू अत्यंत सफल रहा। पब्लिक इश्यू के बाद बैंक की पूंजी में सरकार का हिस्सा कम होकर 61.25 प्रतिशत रह गया।

इस तरह नई सदी में मैंने दूने उत्साह से प्रवेश किया। 2005 में मैंने अपना डेबिट कार्ड लांच किया। 2006 तक मेरा कुल कारोबार एक लाख करोड़ तक पहुंच चुका था और 2006-07 वित्तीय वर्ष में मेरा शुद्ध लाभ एक हजार करोड़ की सीमा को पार कर चुका था। मैंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। वर्ष 2000-01 में मैंने तमिलनाडु स्थित स्वयं सहायता समूहों को कर्ज देने में रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए नाबार्ड से मुझे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पुनः 2011-12 में भी मुझे तमिलनाडु सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को कर्ज देने के लिए उत्कृष्ट बैंक घोषित किया। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्नेहा नाम से 15 वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र न सिर्फ लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं की जानकारी देते और प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि इनके कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जाकर भी वित्तीय और कर्ज संबंधी काउंसिलिंग देते हैं। वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए मैंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत भी अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अब तक कुल 25.32 लाख खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) योजना के तहत अब तक कुल 23.80 लाख रुपये डेबिट कार्ड जारी हो चुके हैं।

भारत का विकास गांवों के विकास के बिना अधूरा है। अतः जीविका के अनेक साधनों को प्रोत्साहित करने वाली “आईओबी संपूर्ण” योजना 100 गांवों में शुरू की गई है। “आईओबी संपूर्ण”

गांवों का चहुंमुखी विकास करने वाली परियोजना है। इसके अंतर्गत क्रेडिट और नॉन-क्रेडिट दोनों घटक हैं, जैसे कि - वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी, जल स्रोतों की सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, कंप्यूटर पर कौशल प्रशिक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन आदि। कारोबार संवादी मॉडल के तहत मेरे यहां कुल 2815 लोग कार्यरत हैं। कुल 14,71,745 स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। ‘आईओबी संपूर्ण’ योजना में ये कारोबार संवादी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बैंक के संस्थापक श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेद्वियार के स्मरण में मेरे प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज़ बैंक कर्मचारी संघ द्वारा शक्ति - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदंबरम चेद्वियार मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई। यह ट्रस्ट महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान 31 शक्ति-आइओबी चिदंबरम चेद्वियार मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्रों में 4 कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और 132 महिलाएँ प्रशिक्षित की गईं। अब तक ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केंद्रों पर 71 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 3708 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

बैंकिंग व्यवसाय का मूल तत्व है ग्राहक सेवा। मैंने इसे भलीभांति समझा है और अपनी कार्यप्रणाली में शामिल किया है। मैं बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (BCSBI) का सदस्य हूँ और इसके सभी मानकों को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। बीसीएसबीआई ने बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को विस्तारपूर्वक कवर करने वाले विभिन्न उचित व्यवहार मानकों को संशोधित किया है। अब इन मानकों में ‘ऋणदाता के लिए उचित व्यवहार मानक’ समाविष्ट कर लिए गए हैं। बीसीएसबीआई द्वारा भारतीय बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा पर किए गए सर्वे के अनुसार मुझे औसत रेटिंग से अधिक अंक मिले हैं और 26 पीएसबी में मेरा स्थान चौथा है। मेरे यहां स्टैंडर्डइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेज़ रिड्रेसल सिस्टम (SPGRS) नामक नई वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली पहले से ही सक्रिय है। यह वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें ग्राहक स्टैटस ट्रैकिंग के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते

हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को सिस्टम में शिकायतें देखने और उनका तुरंत निपटान करने के लिए समर्थ किया गया है। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के 24X7 निवारण के लिए 48 घंटों के भीतर निपटान हेतु टोल फ्री टेली सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। इंडिया बिजनेस जर्नल ने हमें ग्राहक फोकस के लिए आईबीजे बिजनेस उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 भी दिया है।

अपनी बहुमुखी कार्यप्रणाली के कारण मुझे अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आईडीआरबीटी (बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान) से बैंकिंग प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुझे सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार वर्ष 2001 में इनफीनेट (इण्डियन फाइनेंशियल नेटवर्क) पर बैंकिंग एप्लिकेशन के नवोन्मेषी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया। हमने अपनी ई-कॉमर्स नीति तैयार की है और घरेलू इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल विकसित किया है। हमारी सभी 3351 देशी शाखाएँ, 7 विदेशी शाखाएँ, 59 क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और सभी विशिष्ट शाखाएँ, समाशोधन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य कार्यालय व केन्द्र, बैंक के स्वचालित सीबीएस प्रोग्राम व इंटरनेट प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के रूप में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए मुझे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट - पोलरिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बैंकिंग पुरस्कार 2013 से पुरस्कृत किया गया। सीआईएमएसएमई ने तीन वर्गों के तहत, वित्तीय समावेशन पुरस्कार, नए उपायों के लिए ज्यूरि पुरस्कार और एमएसएमई (MSME) उत्कृष्टता पुरस्कार (द्वितीय स्थान) आदि के तहत हमें एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 से पुरस्कृत किया।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी हम उतने ही उत्साह से प्रयासरत हैं, जितना कि अन्य लक्ष्यों के निर्वाह में। हमारी गृह-पत्रिका 'वाणी' को 'ग' क्षेत्र में वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी वर्ष 2012-13 और 2013-14 में हमारी पत्रिका को पुरस्कृत किया।



बैंक का वर्तमान प्रधान कार्यालय

वर्ष 2012-13 में हमने अपनी प्लेटिनम जुबिली मनाई। दिसंबर 2014 तक हमारा कुल वैश्विक कारोबार मिक्स 4,11,354 करोड़ रहा और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मेरा स्थान सातवें नंबर पर रहा। पर हमारा विश्वास प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ते जाने में है। दिलों को छूते हुए मुस्कान बांटना ही हमारा अंतिम ध्येय है और हमारा पूरा परिवार इसके लिए अथक परिश्रम में जुटा है। हमारा मानना है कि

कुछ कर के दिखा दिया, कि काम बहुत हैं
इस जहान में जीतने वाले मुकाम बहुत हैं..





धूमता आईना

2005 से पहले के नोट बदलने की समय सीमा बढ़कर 31 दिसंबर

रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए वर्ष 2005 से पूर्व जारी किए गए बैंक नोटों को बदलवाने की तारीख को अब 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ा दिया है। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 में जनता के लिए इन नोटों को बदलवाने की तारीख 30 जून 2015 निर्धारित की थी।

इन बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने में जनता के सहयोग की मांग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों से आग्रह किया है कि वे पुराने डिजाइन के नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कराएं या उन्हें अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक शाखा में बदलवाएं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि इन नोटों को पूरे मूल्य के साथ बदला जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 2005 से पहले के नोटों पर मुद्रण का वर्ष अंकित नहीं है।

नए नंबरिंग पैटर्न के साथ 100 रुपये का नया नोट जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नए संख्या पैटर्न के साथ महात्मा



के.सी. मालपानी

प्रबंधक (राजभाषा)

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

गांधी श्रृंखला-2005 में बैंक नोट जारी किए हैं। अब इन नोटों के दोनों संख्या पैनलों में अंकों का आकार बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में होंगे जबकि पहले तीन अल्फा न्यूमरिक अंक (जो अंक की शुरुआत में आते हैं) आकार में वैसे ही रहेंगे। (उदाहरण देखें)

नया नंबरिंग पैटर्न



रिज़र्व बैंक ने कहा है कि संख्या को बढ़ते हुए आकार में छापना बैंक नोट में स्पष्ट सिक्वोरिटी फीचर है, जिससे आम जनता सही नोट और जाली नोट में फर्क कर सके। इन बैंक नोटों का डिजाइन नए संख्या पैटर्न को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 में जारी किए गए वर्तमान 100 रुपये के बैंक नोटों के समान होगा। इनमें सिर्फ नंबरिंग पैटर्न का फर्क है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि पहले जारी किए गए 100 रुपये के सभी बैंक नोट वैध होंगे तथा नया नंबरिंग पैटर्न दूसरे बैंक नोटों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

के. वी. कामत बने ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष

आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन के.वी. कामत को ब्रिक्स के नए विकास बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस बैंक की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के समूह ने की है। कामत का कार्यकाल पांच साल होगा। इस बैंक के साल भर के भीतर कामकाज शुरू करने की संभावना है। ब्राजील में पिछले साल हुए ब्रिक्स सम्मेलन में

विभिन्न देशों के नेताओं ने 100 अरब डॉलर की प्रारंभिक पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौता किया था। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। समझौते के मुताबिक, इस बैंक के पहले अध्यक्ष को निर्वाचित करने का अधिकार भारत के पास है।

बैंक अब सिर्फ चिप, पिन आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही जारी करें

ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को हिदायत दी है कि वे ग्राहकों के लिए चिप आधारित और पिन आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही जारी करें। बैंकों को सितंबर से यह व्यवस्था अपनानी होगी। हालांकि कुछ बैंक ईएमवी चिप और पिन कार्ड व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा चुके हैं लेकिन भारी तादाद में बैंक अभी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड व्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में सभी बैंकों से कहा गया है कि वे 1 सितंबर 2015 से केवल ऐसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही जारी करें जो ईएमवी चिप और पिन आधारित हों।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि मौजूदा मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले ग्राहकों को नई व्यवस्था की ओर उन्मुख करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही उसका स्वरूप तय किया जाएगा और उसके लिए समयसीमा भी यथासमय बताई जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' तथा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा बजट 2015-16 में की गई थी। वित्त मंत्री ने इस बीमा योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना से उत्साहित होकर वे सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों व वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क सृजित करने का प्रयास करेंगे। इस योजना का 09 मई 2015 को कोलकाता में शुभारंभ हो गया है। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख का जीवन-बीमा मिलेगा, जबकि सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो

लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। दोनों योजनाओं का लाभ कोई भी बैंक खातेदार उठा सकता है।

आइए जानते हैं इन योजनाओं से जुड़ी हुई कुछ खास बातें -

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- बीमा कवर दो लाख जो प्राकृतिक रूप से या दुर्घटना में मृत्यु होने पर देय होगा।
- उनपर लागू होगा जो 18 से 50 साल के हैं और जिनके पास बैंक खाते हैं। इसके तहत 55 साल की उम्र तक बीमा कवर रहेगा।
- 330 रुपये होगी सालाना प्रीमियम राशि।
- सदस्यता के लिए 31 मई तक करना होगा बैंक में आवेदन, प्रीमियम की राशि ऑटो डेबिट से कटेगी।
- देर से सदस्यता लेने वालों को भी पूरी प्रीमियम राशि देनी होगी।
- जिस बैंक में खाता होगा वहीं मास्टर पॉलिसी होल्डर होगा।
- एक से अधिक बैंक खातों के जरिये एक से अधिक सदस्यता लेने पर एक ही सदस्यता वैध होगी।
- योजना के अंतर्गत पॉलिसी में जमा कराया गया प्रीमियम आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स-फ्री होगा। इसके अलावा प्रोसीड राशि भी आयकर की धारा 10(10डी) के तहत टैक्स-फ्री होगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

अगर आप केवल दुर्घटना बीमा का लाभ ही उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें सिर्फ 12 रुपये प्रतिवर्ष जमा कराने पर 1 से 2 लाख रुपये तक का कवर मिल जाता है। इस योजना की खास बातें निम्नलिखित हैं-

- बीमा अवधि एक साल (01 जून से 31 मई) है जिसे हर साल रिन्यू करना होगा।
- 18 से 70 साल की आयु वर्ग के सभी बैंक खातेदार होंगे पात्र।

- 12 रुपये होगी सालाना प्रीमियम राशि।
- सदस्यता के लिए 31 मई तक करना होगा बैंक में आवेदन, प्रीमियम की राशि ऑटो डेबिट से कटेगी।
- जिस बैंक में खाता होगा वहीं मास्टर पॉलिसी होल्डर होगा।
- एक से अधिक बैंक खातों के जरिये एक से अधिक सदस्यता लेने पर एक ही सदस्यता वैध होगी।
- दुर्घटना में मृत्यु होने, दुर्घटना में दोनों आँखों की दृष्टि पूरी तरह चली जाने और उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होने, दोनों हाथों या दोनों पैरों के इस्तेमाल लायक न रहने या एक आँख की रोशनी जाने और एक हाथ या पैर के इस्तेमाल लायक नहीं रहने पर दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।
- एक आँख की रोशनी पूरी तरह चले जाने और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं होने या एक हाथ या पैर का इस्तेमाल लायक नहीं रहने पर एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।

विश्व की 2000 शक्तिशाली कंपनियों में 56 भारत में

विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई है। फोर्ब्स की 2015 की ग्लोबल 2000 सूची में शामिल 56 भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज अग्रणी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सूची में 142वें स्थान पर है जो पिछले साल के 135वें स्थान से नीचे है। रिलायंस का बाजार मूल्यांकन 42.9 अरब डालर और बिक्री 71.7 अरब डालर रहा। रिलायंस के बाद भारतीय स्टेट बैंक बैंक का स्थान रहा, जो 152वें स्थान पर है और उसका बाजार मूल्यांकन 33 अरब डालर है।

अलग-अलग देशों के हिसाब से देखें तो अमेरिका 579 कंपनियों के साथ शीर्ष पर, जबकि चीन 232 कंपनियों के साथ दूसरे, जापान 218 कंपनियों के साथ तीसरे, ब्रिटेन 94 कंपनियों के साथ चौथे और दक्षिण कोरिया 66 कंपनियों के साथ पांचवें पायदान पर है। इस साल की 'ग्लोबल 2000' कंपनियां 61 देशों से हैं। गौरतलब है कि इस लिस्ट में लगातार दूसरे साल टॉप-10 में चीन की पांच कंपनियां हैं।

जिन अन्य भारतीय कंपनियों से इस सूची में जगह बनाई उनमें ओएनजीसी (183), टाटा मोटर्स (263), आईसीआईसीआई बैंक (283), इंडियन ऑयल (349), एचडीएफसी बैंक (376), एनटीपीसी (431), टीसीएस (485), भारती एयरटेल (506), एक्सिस बैंक (558), इन्फोसिस (672), भारत पेट्रोलियम (757), विप्रो (811), टाटा स्टील (903) और अडाणी एंटरप्राइजेज (944) शामिल हैं।

पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू

3 जुलाई से भारत में नैशनल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (NMNP) लागू हो गई है। इसका मतलब हुआ कि एक राज्य या सर्किल से दूसरे में स्थायी तौर पर जाने पर भी मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। जीवन भर व्यक्ति एक ही मोबाइल नंबर रख सकता है। अभी तक सिर्फ एक मोबाइल सर्किल के बीच ही ऑपरेटर बदलने पर अपना नंबर बनाए रखने की इजाजत थी। इससे पहले 20 जनवरी 2011 में भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई थी लेकिन उस सुविधा के तहत कोई भी उपभोक्ता केवल अपने क्षेत्र (टैलीकॉम एरिया/राज्य) में ही अपना ऑपरेटर बदल सकता था।

क्या है NMNP

NMNP ऐसी सर्विस है जिसके तहत कंपनियां मोबाइल उपभोक्ताओं को सर्किल बदलने यानि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बावजूद उसी नंबर पर बिना रोमिंग चार्ज लिए मोबाइल सर्विस मुहैया कराएंगी। यानि सर्किल बदलने पर अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। तब भी नहीं, जब आप अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बदल लें, यानि मौजूदा कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी की मोबाइल सर्विस लेने लगे।

क्या होगी प्रक्रिया

- मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए आपको यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) की जरूरत होती है। यूनिक पोर्टिंग कोड पाने के लिए आपको सबसे पहले 1900 पर एक एसएमएस करना होता है।
- अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर PORT लिखें।

फिर स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखें और उसे 1900 पर एसएमएस कर दें।

- मेसेज के जवाब में आपको 1901 से यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा। यह कोड आठ नंबर का होगा। साथ ही, यह करीब 15 दिन बाद एक्सपायरी डेट के साथ होगा।
- आठ नंबर के इस कोड के पहले दो अक्षर अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं।
- इस यूनिक पोर्टिंग कोड एक्सपायरी डेट से पहले आपको एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नए ऑपरेटर के स्टोर पर जाकर पुराने नंबर के साथ नए कनेक्शन का फॉर्म भरना होगा।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बकाया नहीं है, नई कंपनी द्वारा आपको नई सिम दी जाएगी।
- खास बात, एक बार नंबर पोर्ट करने के बाद आप 90 दिन से पहले इस ऑपरेटर को नहीं छोड़ सकते हैं।

बीएसएनएल ने शुरू की मोबाइल वॉलेट सेवा – स्पीड-पे

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में प्रीपेड कार्ड से जुड़ी मोबाइल वॉलेट सेवा शुरू कर दी है। इसके जरिये उपभोक्ता धन का अंतरण कर सकेंगे, सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे और साथ ही एक लाख रुपये तक नकदी भी निकाल सकेंगे।

वॉलेट सेवा स्पीड-पे के जरिये ग्राहक बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में भी पैसा लोड कर सकेंगे। मोबाइल वॉलेट में डाले गए धन को किसी बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकेगा और इसे बैंक शाखाओं व बीएसएनएल के आउटलेट्स में निकाला जा सकेगा।

वॉलेट में बैंक खाते से पैसा डालने का भी एक विकल्प है। हालांकि, ऐसे ग्राहक जिनका बैंक में खाता नहीं है, वे बीएसएनएल के किसी रिटेल आउटलेट पर जाकर भी पैसा लोड कर सकते हैं। इसके अलावा वे रिटेलर को अपने मोबाइल वॉलेट खाते को रिचार्ज करने को भी कह सकते हैं। इससे विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान भी किया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड बिलिंग नियमों में बदलाव

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं और इसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो। वर्तमान में यदि देय तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक देरी से भुगतान के लिए शुल्क (लेट पेमेंट चार्ज) लगाते हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि क्रेडिट कार्ड खाते को तभी एनपीए माना जाए जब मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, भुगतान की निश्चित तारीख से 90 दिन के अंदर न किया गया हो। किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान की नियत तारीख से की जाएगी। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिये भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख हो।

नोटों पर लिखने से परहेज करें लोग

रिज़र्व बैंक ने लोगों से बैंक नोट के वाटरमार्क विंडो (वह खाली स्थान जहां गांधीजी की एकदम हल्की फोटो प्रकाश पर रखने से दिखती है) पर कुछ भी नहीं लिखने को कहा है। रिज़र्व बैंक का कहना है कि यह बात उसके संज्ञान में लाई गई कि कुछ लोग और संस्थान बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो पर नाम, संख्या या संदेश आदि लिख देते हैं जिससे नोट खराब हो जाते हैं।

रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि 'वाटरमार्क विंडो में एक महत्वपूर्ण सिक्चरिटी फीचर होता है। विंडो पर किसी तरह की छेड़छाड़ से उसकी यह विशेषता छिप जाती है और आम लोग असली नोट के एक फीचर से अवगत नहीं हो पाते हैं। इसलिए, लोगों से आग्रह है कि वे वाटरमार्क विंडो से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करें।

○○○

बैंकिंग शब्दावली


वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिन्दी पुस्तक

पूंजी पर्याप्तता

एवं

बासेल मानक


मूल्य : 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.

एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16

पंचकूला (हरियाणा)



पंजीकरण संख्या – 47043/88

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्तूबर-दिसंबर 2015 अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जो 'आधुनिक बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन' से संबंधित है। इसके लिए आपसे निम्नलिखित विषयों पर लेख आमंत्रित हैं -

परिचय

1. वर्तमान बैंकिंग में जोखिम के स्वरूप एवं उनका निदान
2. आधुनिक बैंकिंग में प्रभावी जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

वित्तीय जोखिम

क. - ऋण जोखिम

1. वर्तमान परिवेश में ऋण जोखिम प्रबंधन : क्यों और कैसे
2. ऋण जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्व
3. आधुनिक बैंकिंग में ऋण जोखिम : निवारक उपाय
4. बढ़ता एन.पी.ए. - कारण एवं निवारण

ख. - बाजार जोखिम

1. बाजार जोखिम - एक विहंगावलोकन
2. बाजार जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्व

ग. - अन्य वित्तीय जोखिम

1. चलनिधि जोखिम - कारण एवं निवारण
2. ब्याज दर जोखिम - एक परिचय
3. विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम का बदलता स्वरूप
4. करेंसी फ्यूचर्स : जोखिम से बचाव के साधन रूप में

गैर-वित्तीय जोखिम

1. बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन जोखिम - परिणाम एवं समाधान
2. बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन - विधिक सीमाएं
3. जोखिम प्रबंधन में क्रेडिट स्कोर रेटिंग एजेंसियों की भूमिका
4. प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्चना कंपनियों के कार्य एवं उनकी सीमाएं
5. बैंकों में उच्च प्रबंध तंत्र का एक जोखिम प्रबंधक के रूप में भूमिका
6. जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका
7. बैंकिंग में मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन
8. जोखिम आधारित बैंकिंग पर्यवेक्षण (आरबीएस)
9. बैंकों में आस्ति देयता प्रबंधन

तकनीक आधारित जोखिम

1. तकनीक आधारित बैंकिंग की खामियाँ एवं उनका निस्तारण
2. बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक का धड़ल्ले उपयोग - वरदान या अभिशाप
3. साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हाथ - रोकथाम के उपाय

नोट -

1. कृपया इस पत्रिका के पृष्ठ संख्या 62 पर दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए उपर्युक्त किसी एक अथवा एक से ज्यादा विषयों पर आप अपने मौलिक लेख हमें 30 अक्तूबर 2015 तक डाक अथवा ईमेल द्वारा भिजवा सकते हैं। प्रकाशन हेतु उपर्युक्त लेखों का चयन संपादक मंडल द्वारा किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. आप जिस विषय पर लेख भेज रहे हैं उसकी पूर्वसूचना हमें ईमेल द्वारा rajbhashaco@rbi.org.in एवं anilchandra@rbi.org.in पर दें जिससे कि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर दिए गए सभी विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं।

3. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन हेतु अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
4. लेख की सॉफ्ट प्रति एवं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति उक्त ईमेल आईडी पर अवश्य भेजें। अपना पूरा पता, फोन नंबर एवं ईमेल आईडी जरूर लिखें।
5. पत्राचार हेतु हमारा नया पता इस पत्रिका के पृष्ठ संख्या 45 पर दिया गया है।